खण्ड-271, अंक-4
बुधवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1889
(29 मार्च, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 271 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २९ मार्च, १९६७

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८४

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्र इस, श्री

ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)

गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल रामदास, श्री
गोविन्द नारायण सिंहारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जिनेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगुल किशोर, श्री
जे० एन० मिनहा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपकंर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दुगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निदानन्द पाण्डेय, श्री
निराज हुसन, श्री

निहालसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नेर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फाहक चिड़ी, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, बहादुर
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भोला प्रसाद, श्री
भृगुनाथ अनुबंधी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्साहीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महो लाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल जमादार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
राम किशोर, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पाण्डेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
राम श्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लाल कृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल बुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) नियमावली, १९६६†

(समाज कल्याण मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवती प्रसाद विशारद (जिला उन्नाव)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो एक सूचना दी जा रही है उसके बाद आप उठायें।

शिक्षा मंत्री (श्री नवल किशोर)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं समाज कल्याण विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७१६८/३६-स-क-३०२-६२, दिनांक १० अगस्त, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) नियमावली, १९६६" को, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १६ के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, १६६६।

शिक्षा मंत्री (श्री नवल किशोर)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३०६-टी/३०-बी—१०६-पी०-६५, दिनांक ३० नवम्बर, १६६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, १६६६" की, मोटर वेहिकिल्स एक्ट १६३६ की धारा १२६ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

राजनीतिक दलों द्वारा १६६६ में किए गये आन्दोलनों के फलस्वरूप गिरफ्तार व्यक्तियों के मामले वापस लेने के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्ष—

अब मैं माननीय नेता सदन का आवाहन करूंगा कि उन्होंने उस दिन कुछ घोषणा करने की बात कही थी, राजनीतिक दलों ने जो आन्दोलन किये थे उस सिलसिले में। वे कृपया अपनी घोषणा करें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राजनीतिक दलों ने १६६६ में कुछ आन्दोलन किये थे, जैसे कि मई में "घेरा डालो" आन्दोलन एवं जुलाई में 'यू० पी० बन्द'। इन आन्दोलनों के फलस्वरूप बहुत सी गिरफ्तारियां हुईं और मुकदमे चलाये गये। इस विषय पर मैंने विचार किया है एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण भी मुझ से मिले हैं। समस्त परिस्थितियों को विचार में रखते हुये सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस प्रकार के समस्त मामले, जो कि हिंसात्मक नहीं हैं, वापस ले लिये जायं। इस तरह अधिकांश मामले समाप्त हो जायंगे और मुझे विश्वास है कि यह फैसला आपसी मेल-भाव एवं सद्भावना को बढ़ाने में सहायक होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नम्बर ६ लूंगा। माननीय राजस्व मंत्री अपना वक्तव्य दें।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

किस विषय पर?

आचार्य दीपंकर—

माननीय नेता सदन की घोषणा के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

वह तो उनकी केवल घोषणा है। वक्तव्य तो है नहीं।

आचार्य दीपंकर—

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष--

यह जो माननीय नेता सदन ने अभी घोषणा की है यह वैसे कोई वादविवाद का विषय नहीं हो सकती, लेकिन यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप बतायें। अगर माननीय नेता सदन उसका स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर सकते हैं।

आचार्य दीपंकर--

मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने अपनी सद्भावना का परिचय देते हुये बहुत सही कदम उठाया है। उसका मैं अभिनन्दन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसके बारे में मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो हिंसा वाले मामलों की बात रखी है उस सम्बन्ध में उनका क्या आशय है, यानी हिंसा का अभियोग जिन बन्दियों पर है उनके मामले उन्होंने अपवाद छोड़ दिया है वह किस दृष्टि से क्योंकि हिंसा वस्तुतः हुई कहीं नहीं है, वह आरोप मिथ्या थे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अभी हिंसात्मक मुकदमों के बारे में मेरे पास ब्योरेवार कोई इत्तला नहीं आयी है और जब तक मैं हिंसात्मक मामलों का स्वतः देख न लूं तब तक उस मामले में कोई घोषणा करना अनुचित सी बात होगी। इसलिये उस विषय में मैंने घोषणा नहीं की है। जब उनके मामलात देख लूंगा और उस समय कोई ऐसी बात नजर आयी जिससे वे छोड़े जा सकें और मुकदमे वापस लिये जा सकें तो उन मसलों में भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और निर्णय लेगी।

(अगले आइटम के लिये राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष--

मैंने राजस्व मंत्री को बुला लिया है . . .

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

मेरे ११ साथियों पर मुकदमा चल रहा है। उसके बारे में भी देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शास्त्री जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक मेरी अनुमति प्राप्त न कर लें तब तक कुछ पूछना या कुछ आग्रह करना उचित नहीं है। अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो प्रश्नों द्वारा पूछ सकते हैं। मैंने राजस्व मंत्री जी का आह्वान कर लिया है। मैं चाहूंगा कि आप उनको सुनें। यदि उस विषय में कोई शंका हो तो उसका समाधान कर लें।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपल वृष्टि के संबंध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)--

अध्यक्ष महोदय,

श्री मारकंडे राय और श्री नरेश्वर ने आजमगढ़ जिले की घोसी और सगड़ी तहसीलों में १४ और १५ मार्च, १९६७ को ओला वृष्टि से रबी की फसल की क्षति के बारे में सूचना दी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

है। सर्वश्री सुखदेव प्रसाद, इन्द्रपाल एवं गौरीशंकर सर्राफ ने प्रदेश के बस्ती, बांदा, आजमगढ़, देवरिया जिलों में उपल वृष्टि से फसल नष्ट होने की सूचना दी है। सर्वश्री मधुकर दिघे जगदीश सिंह, अश्वनी कुमार ने भी १४ मार्च, १९६७ की रात्रि को इन्हीं जनपदों में एवं गोरखपुर में ओला वृष्टि एवं आंधी के कारण रबी की फसलों के बारे में सूचना दी है। संबंधित जिलाधिकारियों से वास्तविक स्थिति की जानकारी की गयी है और उनसे प्राप्त सूचनानुसार स्थिति निम्न प्रकार से है—

देवरिया—

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में १४ मार्च, १९६७ को उपल वृष्टि हुई। १५२ ग्राम की २१,२०० एकड़ भूमि में क्षति होने का अनुमान है। फसलों में जिनको क्षति पहुंची है गेहूं, जौ, चना और अरहर शामिल हैं। किसी मनुष्य अथवा पशु की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक अहेतुक सहायता तथा तकावी दी जा रही है। मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गयी है।

बलिया—

बलिया में उपल वृष्टि की कोई सूचना नहीं मिली है।

गोंडा—

गोंडा जिले में गोंडा, उतरौला एवं बलरामपुर तहसीलों में २९३ ग्रामों में १४ मार्च, १९६७ को उपल वृष्टि से ७६,२५७ एकड़ भूमि में खड़ी फसल को क्षति होने का अनुमान है। फसल जिनको क्षति पहुंची है उनमें गेहूं, जौ, चना, अरहर शामिल हैं। किसी मनुष्य की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है परन्तु ६ गायों की मृत्यु की सूचना मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में आपत्तिकालीन तकावी और अहेतुक सहायता प्रदान की जा रही है। मालगुजारी में नियमानुसार छूट भी दी जावेगी। राजकीय राशन की दूकानों से राशन की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त अनाज भी बांटा जा रहा है।

बस्ती—

बस्ती जनपद में डोमरियागंज, बांसी, बस्ती, खलीलाबाद और नगर तहसीलों के अन्तर्गत १,७२० ग्रामों में १४ मार्च, १९६७ को उपल वृष्टि से ७१,५७२ एकड़ भूमि में खड़ी फसल की क्षति होने का अनुमान है। फसलों में गेहूं, जौ, चना, अरहर शामिल हैं। किसी मनुष्य अथवा पशु की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में अनाज, दूध का पाउडर एवं कपड़ा जरूरतमंद लोगों को बांटा जा रहा है। आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की गयी है। अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में वसूली का स्थगन कर दिया गया है।

गोरखपुर—

गोरखपुर जिले में सदर, बांसगांव और फरेंदा तहसीलों के अन्तर्गत ९५४ ग्रामों में १४ मार्च, १९६७ को उपल वृष्टि से ३१,७३० एकड़ भूमि में खड़ी फसल की क्षति होने का अनुमान है। गोरखपुर जिले के महाराजगंज तहसील में भी १४ मार्च, १९६७ को उपल वृष्टि हुई किन्तु उपल छोटे-छोटे होने के कारण उनसे कोई विशेष हानि नहीं हुई। फरेंदा तहसील में २३ मार्च, १९६७ को पुनः उपल वृष्टि हुयी थी। फसलों में गेहूं, जौ, चना, अरहर शामिल है। किसी मनुष्य अथवा पशु की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं, दूध का पाउडर एवं कपड़े आदि मुफ्त बांटे जा रहे हैं।

आजमगढ़—

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी और घोसी में १४ मार्च, १९६७ को उपल वृष्टि हुई। यहां ३२१ ग्रामों में ३३,९७२ एकड़ भूमि में खड़ी फसल की क्षति होने का अनुमान है। फसलों में गेहूं, जौ, चना और अरहर शामिल है। किसी मनुष्य की मृत्यु की सूचना नहीं है।

५ पशुओं की मृत्यु और ५ पशुओं के घायल होने की सूचना मिली है । प्रभावित क्षेत्रों में आपत्तिकालीन तकावी और अहेतुक सहायता दी जा रही है । दूध का पावडर और कपड़े बांटे जा रहे हैं और नियमानुसार छूट भी दी जावेगी ।

बांदा—

बांदा जिले की सभी ५ तहसीलें १७ मार्च, १९६७ को उपल वृष्टि से प्रभावित हुई । इस उपल वृष्टि से ७७ ग्रामों में फसलों की क्षति हुई तथा २९,७१८ एकड़ भूमि प्रभावित हुई । फसलों में गेहूं, चना, सरसों, मटर और अलसी को हानि पहुंची है । ३५१ पशु मर गये और ३७८ घायल हुये । मनुष्यों में किसी की मृत्यु होने की सूचना नहीं मिली है किन्तु १३ मनुष्य घायल हो गये हैं ।

इस मास में उपल वृष्टि से निस्सन्देह खेती को हानि हुयी है । शासन इस मामले में जागरूक है और लोगों के सहायतार्थ जो भी आवश्यक कदम जरूरी होंगे, उठाये जायेंगे ।

श्रीमन्, यह २१ मार्च, १९६७ तक की उपलब्ध सूचनायें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री, अभी जितने दिन सदन बैठ रहा है, इस बीच में इसके बाद की सूचना जो मिल जाय, सदन को उससे भी अवगत करा देंगे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं जरूर इसके सम्बन्ध में सूचना दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस पर कोई ज्यादा वादविवाद या प्रश्नों का बड़ा स्कोप इसलिये नहीं है क्योंकि दफा ५१ में जब एक विषय आया था तो अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी विशेष ध्यान के हेतु मैंने मंत्री जी को भेज दिया था । फिर एक माननीय सदस्य ने सदन में आग्रह किया कि सारे प्रदेश की जो सूचना मिल सके वह माननीय राजस्व मंत्री सदन के सामने रख दें । अब इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव है उस पर भी विवाद होगा तो उसमें आपको पूरा समय होगा इस सूचना के आधार पर बात करने का । फिर भी मैं इसके लिये अनुमति दूंगा कि बहुत संक्षेप में अगर स्पष्टीकरण चाहें तो दो एक माननीय सदस्य उसको पूछ लें ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष जी, जिस प्रकार सारे प्रदेश में अति वर्षा और ओला वर्षा से फसल को हानि हुई है और जो माल मंत्री जी का वक्तव्य अभी सुनने को मिला है उससे भी मालूम हुआ कि कुछ जिलों में फसल को नुकसान हुआ । मेरी माननीय सदस्यों से जो बातचीत हुई, जो अपने-अपने जिलों के हालात जानकर आये हैं, उसके आधार पर मैं समझता हूं कि एक दिन यह सदन अलग से इस पर बहस करे । राज्यपाल के भाषण पर विवाद में यह जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जो स्थिति इतनी गम्भीर है और जो समस्या है उसको देखते हुये काफी माननीय सदस्यों का खयाल है कि एक दिन इस पर अलग से बहस हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं चाहूंगा कि आप और नेता सदन दोनों मिलकर अगर यह उचित समझें तो ऐसा करना उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव रखा है नेता सदन उस पर विचार कर लें और अपराह्न में जब मिलें तो निश्चय कर लें । अगर सारे लोगों का आग्रह है और सरकार को अगर कोई आपत्ति न हो तो इस पर कोई दिन मुकर्रर कर लें तो उचित हो । अपराह्न में मैं उसके लिये सूचना दे दूंगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--

मैं आपके द्वारा प्रश्न के रूप में एक सूचना देना चाहता हूं। २६, २७, २८ को नैनीताल और कुमायूं ओले से अकालग्रस्त हो गया है। किसी चीज की फसल नहीं रह गयी। शतप्रतिशत फसल खत्म हो गयी है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी कहा कि २१ तारीख के बाद जितनी सूचनायें उपलब्ध हों वह राजस्व मंत्री सदन के सामने रख देंगे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में ओला पड़ा है और जिसकी जानकारी मंत्री जी ने अभी कराई है, उन क्षेत्रों में तुरन्त दो हजार या तीन हजार की आबादी पर सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवाने की क्या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गयी है या नहीं? क्योंकि वहां पर लगातार रबी और खरीफ की दो फसलें खराब हो चुकी हैं और इस समय वहां पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिये वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें बड़े पैमाने पर खुलवाने की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

जिन क्षेत्रों में इस समय ओलावृष्टि से हानि हुई है, उनके सम्बन्ध में मैं इस समय सदन को केवल इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी संभव है वह सरकार सहायता करेगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

पहले तो इस रपट के बारे में जो मुख्य मंत्री जी ने पढ़ी, कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल झूठ है, असत्य है और काल्पनिक है। मैं इसका घनघोर प्रतिवाद करता हूं। रपट में कहा गया है कि देवरिया में कोई भी व्यक्ति नहीं मरा, किन्तु मेरी पक्की जानकारी है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि मेरे घर से ४ मील की दूरी पर उपल वृष्टि से २ बिजली के खम्भे गिर गये थे, जिनके फलस्वरूप दो आदमियों की मौत हो गयी, जिनके साथ मैं थाने गया और अस्पताल भी गया। मैंने यह सब वहां पर देखा और उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। किन्तु न्याय मंत्री जी ने जो रपट पढ़ी, जो उनके जिला अफसरों ने भेजी वह बिल्कुल मिथ्या, असत्य और कोरी कागजी है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, जो उन्होंने लिखा कि १४ मार्च को देवरिया मे कोई नहीं मरा और कोई क्षति नहीं हुयी। इस रपट के आधार पर या तो ऐसे अफसर को निकाल दिया जाये या मुझे निकाल दिया जाये या राजस्व मंत्री को निकाल दिया जाये। आप पूरी रिपोर्ट मंगाइये कहीं तकावी नहीं बंट रही है, कहीं दूध नहीं बंट रहा है और कहीं अनाज नहीं बट रहा है। हमारा संयुक्त विधायक दल वहां पर जा कर देखे और आपकी सरकार...

श्री अध्यक्ष--

अब आप तो पूरा भाषण देने लगे।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, आपका ध्यान इधर नहीं जा पा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

किसी एक विषय पर सभी सदस्यों को आह्वान करना हमारे लिये संभव नहीं है।

श्री मुल्कीराज (जिला सहारनपुर)--

जो मुख्य मंत्री जी ने रिपोर्ट दी है, उसमें सहारनपुर जिले का कोई जिक्र नहीं किया गया है जब कि सहारनपुर जिले में भगवानपुर और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में और नागल आदि के ४-५ गांवों में बहुत जोर का ओला पड़ा है और उस से फसल को बहुत भारी हानि हुई है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी बात समझ गया, किन्तु आप भी अब हमारी बात समझ लें तथा और भी सदस्य इसको समझ लें। अभी एक बात कही गई कि जो सूचना यहां पर दी गई वह २१ तारीख तक की है और आप २६ तारीख की कह रहे हैं।

श्री मुल्कीराज—

नहीं, मेरी सूचना २१ तारीख के पहले की है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहना चाहता हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा हो, उस समय आप इस सम्बन्ध की सारी बात कर लें या नेता विरोधी दल ने जैसा कि अभी सुझाव रखा है, यदि वह मंजूर हो जाये तो उस समय का सदुपयोग करके आप उसमें इसकी चर्चा कर लें। आपके लिये दो अवसर हैं, इसके अतिरिक्त आप इस बारे में और कोई समय न लें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, स्पष्टीकरण के भी तो कुछ नियम हैं। नियम ५१ में मैंने इसको स्वीकार नहीं किया। एक साधारण-सा वक्तव्य आपके सामने आया। उसमें कई माननीय सदस्यों, विशेषकर माननीय नेता विरोधी दल को मैंने अवसर दिया। अब आप जो भी सूचना उसके अतिरिक्त देना चाहें तो महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर चर्चा में कर दीजियेगा।

श्री भीखा लाल—

वह सूचनायें तो इस वक्तव्य में आ जानी चाहिये थीं...

श्री अध्यक्ष—

उनके सम्बन्ध में अल्पसूचित प्रश्न करके मेरे पास भेज दीजिये, मैं देख लूंगा।

श्री भीखालाल—

नहीं, इस वक्तव्य में यह नहीं है कि इतनी फसलों का नुकसान हुआ तो वह किस मात्रा में हुआ, किस जनपद में ४ आने का हुआ, ६ आने का हुआ यह कोई जिक्र इस वक्तव्य में नहीं है जिस से सदन को यह मालूम होता कि कितना वास्तव में नुकसान हुआ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य को जो सूचनायें देनी हों या जो माननीय मंत्री के वक्तव्य में सूचना देने में गलती रह गयी हो तो उस गलती को साबित करने के लिये आगे आपके पास मौके हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

श्री अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां ओले पड़े हैं और जिसको उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है, वहां-वहां मालगुजारी वसूल हो रही है और वहां उसको स्थगित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया है या नहीं और अगर नहीं दिया है तो क्या उसको स्पष्ट तरीके से अब देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय दिवे। इसके बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि शासन इस सम्बन्ध में जागरूक है और सहायतार्थ जो भी आवश्यक कदम होंगे वह उठाये जावेंगे। अब आपने जो सुझाव दिये हैं वह कदम भी उनमें से एक्सक्लूडेड नहीं हैं।

स्वीकृत अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में श्री अध्यक्ष का निदेश

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

मैंने प्रारम्भ में ही एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३१ में है---"जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, प्रत्येक उपवेशन का पहला घंटा प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा और अल्पसूचित प्रश्नों को अन्य प्रश्नों की अपेक्षा अग्रेता मिलेगी।" तो मान्यवर, सदन की कार्यवाही तो कई दिनों से चल रही है इस में प्रश्नों का हिस्सा अभी तक नहीं शुरू हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके सामने अभी तक कोई प्रश्न नहीं आये, या आपके कार्यालय ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, या आपने कोई अन्य निदेश दे रखे हैं जिनके कारण प्रश्न नहीं आ सके हैं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रश्न कर लिया जो व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं सूचना का प्रश्न था, जिसे कदाचित और माननीय सदस्य भी जानना चाहते हों। ठीक है पहला घंटा प्रश्नों के लिये निर्धारित है लेकिन प्रश्नों के उत्तर के लिये दूसरा नियम है कि १४ से २० दिनों तक की सूचना होनी चाहिये। तो अभी तो उपवेशन को आरम्भ हुये कुछ ही दिन हुए हैं। वह अवधि जिसमें सूचना साधारणतया कम से कम जितने समय की है वह नहीं पूरी हुई है। इस कारण वह उत्तर अभी तक नहीं आये।

श्री भगवती सिंह विशारद---

अल्पसूचित प्रश्न तो तमाम आ चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उसके लिये मैं व्यवस्था कर रहा हूं। इस बीच में सरकार से यह बता देना चाहता हूं कि विशेषतया चूंकि सदन बहुत थोड़े समय के लिये बैठ रहा है और फिर काफी गैप है इसलिये वह इस बात का प्रयत्न करें कि जो अल्पसूचित प्रश्न मैंने स्वीकार किये हैं उनके उत्तर अवश्य जल्दी से जल्दी आना चाहिये जब तक बिल्कुल असंभव न हो, वे तब तक, जब तक हम यहां बैठे रहें उस समय तक सदन में वह सूचना दे दें।

श्री भगवती सिंह विशारद---

फिर हम आशा करें कि १ घंटा हम लोगों को कल से मिलने लगेगा और उसका हम सदुपयोग कर सकेंगे

श्री अध्यक्ष---

सदुपयोग तो नियमों के अनुसार होगा।

विधान सभा में कांग्रेस दल की सदस्य संख्या के संबंध में जानकारी की मांग

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, मैंने उस रोज व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि अब सदन में दलों की स्ट्रेंग्थ के बारे में आप कुछ साफ करने की कृपा करें। आपने कृपा करके कहा था कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय बनारसी दास जी को आप बुला रहे हैं और तय करके बता देंगे। हमारे प्रदेश में कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या कम है लेकिन उधर के लोग आज बताने में संकोच कर

रहे हैं। उसके बारे में निश्चित रूप से घोषणा होनी चाहिये। हमेशा सीटों और सदन के सदस्यों की संख्या की घोषणा पहले ही माननीय अध्यक्ष कर दिया करते थे। मेरा निवेदन है कि आप भी कृपया कर दें।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मेरे पास जो माननीय नेता सदन या माननीय नेता विरोधी दल सूचना भेजना चाहते हैं या भेजते हैं वही रहती है। उसके लिये मैं किसी को बाध्य नहीं करता, न कर सकता हूं। मेरे पास अभी कोई सूचना कांग्रेस दल की ओर से नहीं आयी, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं बात करके शीघ्र ही कोई सूचना, कल या परसों तक सदन को दे सकूंगा।

श्री अनन्त राम (जिला बाराबंकी)—

इसी से जुड़ा हुआ एक और व्यवस्था का मेरा प्रश्न था, श्रीमन्, नियमों में मैंने देखा है कि आप यहां आसनों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहां पर आसनों की कोई व्यवस्था नहीं है और इस से हम नये सदस्यों को पता नहीं चलता कि कांग्रेस के सदस्य कहां हैं और विरोधी दल के सदस्य कहां हैं। तो इसकी व्यवस्था भी आप शीघ्र करें।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन की परम्परा ऐसी नहीं रही है। व्यवस्था के माने अभी तक हमने यही लगाये हैं कि सदस्य यहां बैठेंगे। कौन कहां बैठेगा इसकी व्यवस्था मैं नहीं करता। मैं समझता हूं कि जब आप लोग यहां बैठे हैं तो व्यवस्था तो है ही। यही व्यवस्था की परिभाषा है। लेकिन यदि इस में कोई विशेष सुझाव हो तो आप मुझ से मिल लीजिये। माननीय नेता विरोधी दल से भी मैंने बात की है और जब उस सम्बन्ध में एक स्पष्ट निश्चित बात सामने आ जायेगी तो उसकी घोषणा एक-दो दिन में मैं सदन के सामने कर दंगा।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं कि संयुक्त विधायक दल की घोषणा तो आज कर दें। कांग्रेस दल की जब सूचना आ जावे तो उसकी घोषणा कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

उसे तो आप जानते ही हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप के मुखारविन्द से घोषणा अच्छी लगेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि कल मैं इस सदन को इस बारे में पूरी सूचना दे सकूंगा आज शाम तक की सूचना के आधार पर,

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

(श्री कृष्णानन्द राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

आप मुझे बोलने का अवसर नहीं देते। आप हम लोगों का कोआपरेशन नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका कोआपरेशन चाहता हूं। लेकिन क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री राम सुन्दर शास्त्री---

जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कृपया इस बात को समझ लें कि हम उस से बहुत आगे बढ़ चुके हैं । घड़ी की सुई आगे चलती है, पीछे नहीं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के लिये धन्यबाद प्रकट करता है ।

श्रीमन्, राज्यपाल को धन्यबाद का प्रस्ताव संसदीय व्यवस्था में केवल एक फार्मल प्रस्ताव नहीं होता । (व्यवधान) यह मालम है और उसको समझ कर ही मैं इस प्रस्ताव को रख रहा हूं । श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि धन्यवाद का प्रस्ताव संसदीय व्यवस्था में केवल एक...

श्री अध्यक्ष---

आप साधारणतया कितना समय लेंगे इस प्रस्ताव को रखने के लिये ? आज तक की परम्परा यह रही है कि प्रस्तावक २० मिनट, माननीय नेता विरोधी दल ३० मिनट और अन्य सदस्य दस-दस मिनट का समय लेते हैं । मैं समझता हूं कि यही समय इस बारे के लिये भी उचित रहेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

जो प्रस्ताव रखते हैं उनको तो आधे घंटे का समय दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

आप आरम्भ कीजिये । अगर आवश्यक हुआ तो देख लेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि धन्यवाद का प्रस्ताव संसदीय व्यवस्था में केवल एक फार्मल प्रस्ताव ही नहीं हुआ करता, बल्कि सरकार के प्रति वह एक विश्वास के प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है और इसीलिये धन्यवाद के प्रस्ताव में सरकार की समस्त नीतियों की एक विशद विवेचना की जाती है ।

श्रीमन्, जो धन्यवाद के प्रस्ताव पर विरोधी दल द्वारा संशोधन लाये गये हैं उनमें से एक संशोधन की ओर स्पष्टतया मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में ऐसी किन्हीं नीतियों की चर्चा नहीं की है जिससे कि कांग्रेसी शासन के जोकि पिछले १५ साल और २० साल में कुशासन के परिणाम निकले हैं उस से जनता को राहत मिल सके । श्रीमन्, आज देश में और विरोधी दलों में यह विश्वास है और विचार है कि पिछले २० वर्ष से देश में और प्रदेश में जो कांग्रेस का शासन रहा है वह इतना गलत रहा है, उसकी नीतियां इतनी गलत रही हैं और उस कुशासन का परिणाम यहां की आर्थिक स्थिति में दृष्टिगोचर हो रहा है और जो पिछले आम चुनाव हुये और कांग्रेस के रिवर्सेज हुये वह भी उसके परिणाम का द्योतक है । श्रीमन, इस सम्बन्ध में अगर ऐतिहासिक रूप से इसका विवेचन किया जाय तो यह आरोप बिलकुल असत्य सिद्ध होगा । मैं आपका ध्यान द्वितीय महायुद्ध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जब कि इंगलैंड में चर्चिल की सरकार थी और कोई भी इतिहास लेखक यह नहीं कह सकता कि कम से कम इंगलैंड का जिस प्रकार का संगठन था, शासन था और व्यवस्था चर्चिल सरकार ने द्वितीय महायुद्ध के समय की थी उसे कुशासन या गलत नीतियों की व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कही जा सकती है। हाउस आफ कामन्स के इतिहास में वह एक अजीब अवसर था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जब चर्चिल हाउस आफ कामन्स में गये तो वहां की सभी परम्पराओं को तोड़ करके चाहे विरोधी दल हो या शासक दल हो, सब लोग खड़े हो करके आर्डर शीट के कागजात को ले कर घंटों चर्चिल की प्रशंसा की गयी। लेकिन २ महीने के बाद जबकि चर्चिल चुनाव लड़ने गये तो सन् ४५ में चर्चिल की पार्टी वहां पर हारी और १४८ व्यक्ति विरोधी दल के हाउस आफ कामंस में ज्यादा चुने गये। कोई भी इतिहास लेखक इस बात को नहीं कह सकता कि द्वितीय महायुद्ध में चर्चिल ने जो कुछ इंगलैंड में किया था वह उसका कुशासन था या गलत नीतियां थीं। लेकिन श्रीमन्, चुनाव के उस फल का कारण यह था कि युद्धजनक परिस्थितियों में, उसके दबाव में वहां की अर्थ व्यवस्था में जो असंतुलन आया था और मंहगायी आयी थी और जनता को रोजमर्रा के उपयोग की साधारण वस्तुओं के मिलने में जो कठिनाई हुई थी, जो अंडा और डबल रोटी मिलने में दिक्कत पेश आयी थी उसके जोश में सन् १९४५ में चर्चिल सरकार को जनता ने हराया। इंगलैंड की जनता ने यह महसूस किया था कि शायद इस दल के हराने के बाद जो नये दल का संगठन होगा तो इस मंहगाई का समाधान होगा। लेकिन इंगलैंड की जनता का संदेह मिट गया, क्योंकि ठीक ५ वर्ष के बाद सन् ५१ में जब चुनाव हुये तो चर्चिल की सरकार पुनः बहुमत से आरूढ़ हुयी। मैं देश और प्रदेश के बहुत लम्बे इतिहास में नहीं जा सकता, केवल सन् ६२ से सन् ६७ के अन्दर की जो घटनायें घटित हुयीं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सन् १९६२ में हमारे देश पर चीन का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण को सहन करने के सम्बन्ध में देश पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा जिस से जीवन की आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गये और नाना प्रकार के कर लगाने पड़े जिस से देश की रक्षा की जा सके। उससे भी जनता की परेशानियां बढ़ीं। इसी बीच में सन् ६५ में पाकिस्तान का हिन्दुस्तान पर आक्रमण हुआ और सन् ६२ में जो आर्थिक बोझ था उससे जनता को कोई राहत न मिल सकी, बल्कि वह इस आक्रमण के कारण और भी दूना हो गया। इन दो लड़ाइयों के होते हुए भी सन् ६२ और ६७ के बीच में देश में विकास के लिये बहुत बड़ी योजना चली और १२,००० करोड़ रुपया इसके लिए खर्च किया गया। यही कारण था कि कांग्रेस शासन की नीतियां कितनी भी स्वस्थ रही हों, लेकिन जनता पर उसका भार पड़ गया, टैक्स के रूप में, और बाजार के भाव चढ़ गये और जनता को बड़ी परेशानी हुई चीजों को कठिनाई से प्राप्त करने के रूप में और जब जनता पर उसका भार पड़ेगा तो निश्चय ही उनमें क्षोभ व्याप्त होगा। इंगलैंड में, जहां पर कि इतना सुदृढ़ लोकतंत्र है, जहां पर ९२ फीसदी लोग शिक्षित हैं, वहां की जनता भी इस भार को सहन नहीं कर सकती थी। इसलिये हिन्दुस्तान की जनता में क्षोभ का होना स्वाभाविक था।

मैं श्रीमन्, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कभी भी देश के लिये खतरा उत्पन्न हुआ, उसकी सुरक्षा के लिये कोई खतरा पैदा हुआ तो उसके लिये तथा देश के आर्थिक विकास के लिये जो भी कांग्रेस की नीतियां हैं वे अपनी जगह सुदृढ़ रहेंगी, कांग्रेस की सरकार बराबर उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। देश की आर्थिक दशा को सुधारने में बराबर उसका प्रयास रहेगा, भले ही उसके लिये कांग्रेस को कई बार हारना पड़े। जो इस बात का गलत प्रचार किया जा रहा है कि पिछले १५–२० वर्षों में हमारी गलत नीतियां रहीं, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं इन संशोधनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। जहां पर इनमें कुछ सुझाव दिये गये हैं उनका स्वागत किया जा सकता है परन्तु अन्य बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा। एक तरफ यह सुझाव दिया जाता है कि लगान माफ करो, भूमि-भवन कर माफ करो, अध्यापकों का वेतन बढ़ाओ, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ कहीं भी, किसी संशोधन में, कम्युनिस्ट पार्टी तक के संशोधनों में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, किन साधनों से धन इकट्ठा किया जा सकता है ....

श्री चन्द्रभद्र सिंह (जिला देवरिया)---

माननीय कृष्णानन्दराय अपने प्रस्ताव पर न बोल कर, उसको पेश न करके, बल्कि उनके प्रस्ताव पर जो संशोधन हैं उन्हीं पर बोल रहे हैं, क्या यह उचित है ? आप उनको समझाइये।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझ नहीं पाया कि किसको समझाऊं ? आप को भी यह मालूम होना चाहिये कि उनके धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन आये हैं उन पर भी बोलने का उनको अधिकार है।

श्री कृष्णानन्द राय---

प्रस्ताव तो श्रीमन्, मैं पेश कर चुका हूं। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बड़ी शोचनीय है। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर इस सरकार को ही नहीं सोचना है, बल्कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को सोचना है। उत्तर प्रदेश भारत का सब से बड़ा प्रदेश है। भारत की लगभग १७ प्रतिशत जनता उत्तर प्रदेश में निवास करती है। किन्तु अभी तक पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रतिशत हिसाब से उत्तर प्रदेश में रुपया खर्च नहीं हुआ, जब कि अन्य प्रदेश में उससे अधिक हुआ। पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश में, सारे देश में जितना रुपया खर्च हुआ उसका केवल ७.२ प्रतिशत धन खर्च हुआ। इसी प्रकार तीसरी योजना में सारे देश में जो खर्च हुआ उसका केवल १० प्रतिशत ही उत्तर प्रदेश में खर्च हुआ। सारे देश के अनुपात के हिसाब से चौथी योजना में भी, जो प्रस्ताव अभी हुये हैं उनमें १२ प्रतिशत ही धन केन्द्रीय सरकार ने दिया है। इस प्रकार चारों योजनाओं का अगर अनुपात लगाया जाय तो वह ८.२ प्रतिशत ही आता है जो कि उत्तर प्रदेश की योजनाओं पर खर्च हुआ है जब कि आबादी का प्रतिशत १७ है। देश की आबादी के अनुपात के हिसाब से जितना यहां पर खर्च होना चाहिये था उसका आधा रुपया ही खर्च हुआ है विकास के कार्यों पर। इसलिये यह प्रश्न बड़ा शोचनीय है, जिस पर हम सब को मिल कर विचार करना होगा।

श्रीमन्, मेरे पास प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी आंकड़े मौजूद हैं जिससे यह पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति खर्च २४ रुपया था जब कि हिन्दुस्तान का औसत ४० रुपया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति खर्च ३४ रुपये था जब कि हिन्दुस्तान में औसत खर्च ५२ रुपये था। इसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति खर्च ६८ रुपये था जब कि हिन्दुस्तान का औसत प्रति व्यक्ति खर्च ९२ रुपये था और चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति का खर्च १०५ रुपया प्रस्तावित है जब कि हिन्दुस्तान में औसत प्रति व्यक्ति १४१ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। मैं इन आंकड़ों को इसलिये दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश आर्थिक साधनों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कठिनाई महसूस कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं और विशेष कर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश को आजादी प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश से ही प्रधान मन्त्री भेजने का सौभाग्य और गौरव प्राप्त है, वहां उत्तर प्रदेश को जहां तक आर्थिक साधनों का प्रश्न है, केन्द्र से बहुत ही कम धन प्राप्त हुआ है और इस प्रकार प्रदेश के साथ उपेक्षा की गई है। प्रति व्यक्ति गांव में केन्द्र से जो सहायता प्राप्त हुई है उसके आंकड़े मैं रखना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता १४ रुपये दी गई है जब कि अन्य राज्यों में २५ रुपये वह सहायता दी गई। द्वितीय योजना में १८ रुपये और अन्य राज्यों में वह २७ रुपये थी। तृतीय योजना में वह सहायता ४७ रुपये हुई और अन्य राज्यों में उसकी औसत ५६ रुपये थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिये प्रस्तावित है ५२.१ और जबकि अन्य राज्यों में वह ६० रुपये है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश को जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है उसे देखते हुये यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है और प्रदेशीय सरकार के

सामने यह समस्या है कि प्रदेश की योजनाओं को चलाने के लिये और केन्द्रीय सहायता कैसे प्राप्त की जाय। केन्द्र से उद्योगों को चलाने में जो सहायता प्राप्त हुई है वह और भी शोचनीय कही जा सकती है। पहिली दो पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश में केन्द्र की ओर से कोई भी परियोजना नहीं चलाई गई थी। तीसरी योजना में इस सम्बन्ध में ८.२ प्रतिशत रुपये केन्द्र की ओर से सहायता प्राप्त हुई और चौथी योजना जो प्रभावित है उसमें १२५ करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये हैं, यानी वह कुल का ३.५ प्रतिशत ही है। ये समस्यायें हैं जिन पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिये सभी दलों के विचार करने का प्रश्न उत्पन्न होता है।

राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में उन चीजों पर चर्चा की है जिन पर कि वर्तमान सरकार ने उनके सम्बोधन होने के दिन तक कदम उठाये थे। उन्होंने चर्चा की है कि तीन दिन के अन्दर ही चन्द्रभानु गुप्त की सरकार ने राज्य कर्मचारियों के असन्तोष को समाप्त कर एक स्वस्थ कदम उठाया। जैसा कि जिक्र किया गया यह सही है और सभी को मालूम है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का जो संघर्ष चल रहा था और उसके परिणामस्वरूप जो आर्थिक और शासनिक व्यवस्था थी उसमें विपत्ति आ गई थी, लेकिन जब से इस सरकार ने शासन ग्रहण किया तो उसका समाधान सोच लिया और कर्मचारियों ने भी हड़ताल समाप्त कर दी है और मुझे जहां तक पता है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वही मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये जो केन्द्रीय कर्मचारियों का है और इसके लिये एक कमीशन की नियुक्ति हो ही चुकी है और कमीशन इस प्रकार का प्रस्ताव रखेगा जिससे समस्या का समाधान हो जावेगा।

दूसरी चीज जिसकी चर्चा राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में की है और जिसके लिये यह सदन राज्य सरकार को बधाई दे सकता है वह यह है कि २५ प्रतिशत के अधिभार को भी वापस ले लिया गया है। श्रीमन्, संबोधन में कुछ उन चीजों की चर्चा की गई है जो कि राज्यपाल महोदय के विचार से उनकी सरकार को शीघ्र हल करनी चाहिये और वे कुछ पेचीदा बातें हैं। एक प्रश्न तो मूल्यों के बारे में है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इस सरकार के सामने मूल्यों के बारे में, विशेष तौर से खाद्यान्न के मूल्यों के बारे में एक स्थिर नीति कायम करने का प्रश्न है। यह बिलकुल सही बात है कि जितनी वृद्धि मूल्यों में पिछले ५, ६ महीनों में हुई है उतनी कभी नहीं हुई। मैं सरकार का ध्यान एक तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मूल्यों के भाव अवश्य इस प्रकार से संतुलित किये जावें जिससे लोगों का कष्ट दूर हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में खाद्यान्नों के मूल्यों के मुकाबले में औद्योगिक निर्मित वस्तुओं के मूल्य कहीं अधिक बढ़े हैं। यदि १९५२-५३ के भाव को सूचकांक मान लिया जाय, १०० मान लिया जाय, तो १९६०-६१ में हमारे प्रदेश में खाद्यान्न का भाव ९०.६ सूचकांक था जबकि सारे हिन्दुस्तान में वह १०१.३ था। १९६१-६२ में ८५.८, १९६२-६३ में ८४.१, १९६४-६५ में १२६.४ था। औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य १९६०-६१ में १३७.६, १९६१-६२ में १३२.४, १९६२-६३ में १२६, १९६३-६४ में १४७ और १९६४-६५ में १५६ बढ़ा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब खाद्यान्नों के मूल्य नियत करने की बात सोची जाय तो औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों पर भी ध्यान अवश्य दिया जाय।

माननीय विकल जी ने संशोधन रखा है कि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों को भी गिराने का प्रयत्न किया जाय। वह बात बिलकुल सही है। कृषि हमारा सब से बड़ा उद्योग है। जब तक हमारे किसानों को खाद, लोहा, कपड़ा, सीमेंट इत्यादि बहुत मंहगा मिलता रहेगा, खाद्यान्न के मूल्य कम करने में विशेष कठिनाई पैदा होगी। इसलिये सब ही चीजों के मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी से भावों में स्थिरता आ सकेगी।

जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, प्रदेशीय सरकार की नीतियों की इस संबोधन में जैसी चर्चा की गई है वे काफी स्वस्थ हैं और काफी स्वस्थ कदम भी उठाये जा रहे हैं। सरकार

[श्री कृष्णानन्द राय]

ने हर सम्भव उपाय करने की घोषणा की है जिससे मूल्यों की कृत्रिम वृद्धि में कमी करे। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने काफी साहसी कदम इस ओर उठाये भी हैं। प्रदेश के हर शहर में होर्डिंग को रोकने के लिये काफी रेड्स भी किये और गल्ला प्राप्त करने का प्रयास किया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर सरकार इसी प्रकार से प्रयत्न करती रही तो मूल्यों की वृद्धि अवश्य कम होगी और व्यवसायी वर्ग और जनता भी सरकार को इसमें पूरा सहयोग देगा। धीरे-धीरे बाजार भी स्वयं ठीक होते जावेंगे।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों के विकास के लिये राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में एक हिल बोर्ड की स्थापना की चर्चा है। उदाहरण रूप से यह भी कहा गया है कि पटेल कमीशन ने जिस प्रकार का कार्यक्रम पूर्वी जिलों के लिये बतलाया है हिल बोर्ड के द्वारा भी उसी प्रकार के कार्यक्रम पर विचार किया जायगा। लेकिन प्रदेशीय सरकार पिछड़े इलाकों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। यह बड़ी कठिन परिस्थिति है। केन्द्रीय सरकार से उतनी सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है जितनी कि आवश्यकता है। यही कारण है कि पटेल कमीशन की सिफारिशें पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकीं। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कोई न कोई उपाय इस तरह से सोचें कि पिछड़े इलाकों के विकास की जिम्मेदारी केवल केन्द्रीय सरकार पर न देकर, चूंकि वे इस प्रदेश के भाग हैं, प्रादेशिक सरकार को भी उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये कि उनका भी विकास होकर प्रदेश के दूसरे भागों के साथ वे भी आ सकें। यहां की रेवेन्यू की व्यवस्था के अन्तर्गत उन कामों को करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

श्री गोविन्दनारायण तिवारी, आप का समय होगा लगभग १० मिनट।

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)---

माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र है उनसे उत्तर प्रदेश की नयी सरकार की नीतियों और उसके कार्यक्रमों का आभास मिलता है। जिन बातों का जिक्र है, चाहे वे खेती की तरक्की की हों, या उद्योग की तरक्की की बातें हों, चाहे वे बातें उत्तर प्रदेश की सर्वमुखी तरक्की के लिये हों, उन सब बातों के लिये राज्यपाल महोदय और उत्तर प्रदेश की सरकार धन्यवाद की पात्र है। अभी इस सदन में बजट के मौके पर बड़े-बड़े भाषण हुए और यह कहा गया कि यह सरकार बहुमत की नहीं है और हमारे विरोध पक्ष के काफी दोस्तों ने जो काफी संख्या में इस सदन में बैठते हैं, बार-बार यह कहा कि वे इधर बैठें और हम उधर बैठें। प्रजातंत्र में यह हो सकता है। ऐसा समय कभी भी आ सकता है कि जब आप इधर बैठें और हम लोग उधर बैठें।

श्री प्रताप सिंह---

यही समय तो आ गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा कि वह समय आ गया था। मैं यही कहता हूं कि न वह समय आया था और न आवेगा। मौका दिया गया इस बात का कि आप सरकार बनावें और इधर बैठें। मौका दिया गया आपको इसका कि आप बहुमत प्रदर्शित करें। मगर इस सदन में जितने भी मौके आये आप यह सिद्ध नहीं कर सके कि आप इधर बैठने की ताकत रखते हैं। जैसा हमारे मुख्य मंत्री ने कहा था, अगर आप साठ-गांठ कर के सरकार बना सकते हैं तो कांग्रेस आपको मौका देगी। विरोधी दलों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। कांग्रेस की ओर से, मुख्य मन्त्री की ओर से, राज्यपाल महोदय की ओर से, आप लोगों से सहयोग की याचना की गई। माननीय नेता विरोधी दल ने यहां पर सहयोग का आश्वासन दिया, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर इस प्रकार की परम्परा प्रदेश और देश में कायम की गयी तो अवश्य ही उत्तर प्रदेश का भला होगा, उसकी तरक्की होगी और जनता की हम लोग सेवा कर सकेंगे और सरकार को काम करने का मौका मिलेगा।

राज्यपाल महोदय ने विशेष रूप से कृषि की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में खेती की तरक्की की कितनी बड़ी आवश्यकता है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि मौजूदा फसल की हालत कितनी खराब है। बुन्देलखंड जो राज्य में काफी अन्न पैदा करता था, उसके भी ५–६ जिलों में अन्न की हालत बहुत खराब है। हमारे आप के सामने आज खाद्य समस्या सब से बड़ी समस्या है। उन अंचलों के लिये भी एक समस्या है जहां अन्न काफी मात्रा में होता था और उन अंचलों के लिये भी है जहां अन्न की कमी रहा करती थी। इस विषय में मैं माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय खाद्य मन्त्री को बधाई देता हूं कि अन्न की समस्या के निराकरण के काफी कदम उठाए हैं। कुछ जखीरेबाजों के यहां से गल्ले को प्राप्त किया है मगर जितना गल्ला प्राप्त हो जाना चाहिये था उतना नहीं हो पाया। हमें उम्मीद है कि सदन की राय और विरोधी दलों के सहयोग से ऐसा समय आयेगा जब हम जखीरेबाजों के यहां से और अधिक गल्ला निकाल सकेंगे और जनता को गल्ला दे सकेंगे।

काश्त के सिलसिले में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सीलिंग का कानून बना और लाखों एकड़ भूमि सरकार को प्राप्त हुई। उस जमीन पर न जाने कितना गल्ला पहले पैदा किया जाता था अब ६–७ साल उस कानून को बने हुये हो गये, लेकिन अगस्त के महीने में १–२ साल के लिये ही उसको पट्टे पर दे दिया जाता है। उस जमीन को स्थायी रूप से भूमिहीनों को ५–५ एकड़ के हिसाब से क्यों नहीं दे दिया जाता है, जिससे वह उसकी तरक्की कर सकें? जब सरकार एग्रीकल्चर की तरक्की की बात कहती है, जब सरकार खेती की तरक्की करने के लिये जागरूक है और वह चाहती है कि अधिक से अधिक भूमि को खेती के योग्य बना दिया जाय, अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न किया जाय तो फिर सरकार को मुस्तकिल तौर पर इस जमीन को छोटे काश्तकारों और भूमिहीनों को देने के लिये विचार करना चाहिये ताकि वे भूमि में खाद डाल सकें, बंधी बना सकें और हर तरह से उसकी तरक्की कर सकें। आशा है सरकार इस पर अमल करेगी।

सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को बहुत हद तक हल कर लिया, विद्यार्थी और ला ऐन्ड आर्डर की समस्या अब यहां है नहीं। हमारे यहां केवल भुखमरी और अन्नाभाव की समस्या है और इसके लिये खेती के तरक्की की समस्या है। अतः सरकार और इस सदन के सारे माननीय सदस्यों को केवल अन्न की समस्या पर अपने ध्यान को केन्द्रित करना चाहिये। बहुत-सी लोक कल्याण आदि की स्कीम्स हैं, किन्तु आज वह समय आ गया है इस प्रदेश में और पूरे देश के सामने कि हमारा सारा ध्यान अन्न समस्या की ओर जाय और हमारे सम्पूर्ण साधन खेती की तरक्की में लगायें जायं। क्योंकि सवाल साधन बढ़ाने का है केवल अन्न मुहैया करने का ही नहीं है। आज जब देश के और यहां की सरकार के सामने अन्न की समस्या है तो कोई कारण नहीं है कि हमारी सारी की सारी प्लान खेती पर और अधिक अन्न उपजाने की ओर केन्द्रित न कर दी जाय, हमें उधर पूरे तौर पर कन्सेन्ट्रेट करना चाहिये।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

आबादी के लिहाज से यू० पी० दुनिया के १२० देशों की तुलना में नवां या दसवां देश होगा। यह प्रदेश है, लेकिन देशों की तुलना में आबादी के लिहाज से इसका नवां, दसवां नम्बर आता है और यहां की सवा ८ करोड़ आबादी के लिये, उस के कल्याण और खुशहाली के लिये सरकार जो भी कदम उठायेगी उससे यहां की जनता का कल्याण होगा। सिंचाई विभाग जिन मन्त्री जी को मिला है मैं उनसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आबपाशी के साधनों के लिये जितनी शक्ति लगाई जा सकती है वह लगाई जाय चाहे वह नलकूपों के द्वारा हो, अन्य सिंचाई योजनायें हों, कुएं या तालाब हों, नहरें हों लेकिन एक साल के लिए सारे काम रोक कर इस कार्य को प्राथमिकता देकर देखा जाय और मुझे आशा है कि अगर एक साल के लिये भी हमने अपने को इस दिशा में कनसेन्ट्रेट किया तो यहां की अन्न की समस्या निश्चय ही हल हो जायगी। अगर एक करोड़ एकड़ भूमि में जो नया मेक्सिकन गेहूं आया है वह बोया जाय तो कोई कारण नहीं है कि यहां ४० करोड़ मन गेहूं पैदा न हो।

इसके अतिरिक्त यहां की और भी समस्यायें हैं और हमारे राज्यपाल महोदय इस बात के लिये धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने यह एलान किया कि किसानों का सवाया लगान माफ किया जायगा। कांग्रेस दल ने मुजफ्फरनगर म एक प्रस्ताव पास किया था और एक फैसला इस बात का किया गया था कि जो अलाभकर जोते हैं उनका लगान माफ किया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि यह नई सरकार अलाभकर जोतों का लगान माफ करे और जो आय की कमी हो उसे जिनके पास बहुत अधिक जमीन है उन का लगान दुगुना करके पूरी की जाय। जब सन् १९०१ में बन्दोबस्त हुआ था तब उस वक्त ४ रुपया, ३ रुपया और ६ रुपया फी एकड़ लगान लगता था, लेकिन आज जब वही जमीन दूसरों को उठाई जाती है तो उसका २००–३०० रुपया एकड़ लगान वसूल किया जाता है। इस तरह से अगर छोटे किसानों का लगान माफ कर के बड़ी जोत का बढ़ा दिया जाय तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष---

पहला संशोधन माननीय नेता विरोधी दल का है और कुल ३७ संशोधन आये हैं। जहां तक माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन का सम्बन्ध है उन्होंने सूचना दी है कि उन के स्थान पर माननीय झारखंडे राय उनका संशोधन प्रस्तुत करेंगे। मैं उन को आवाहन करने से पहले यह बताना चाहता हूं कि सन् १९५२ से आज तक यहां की और लोक सभा की परम्परा का मैंने अध्ययन किया और उसके अनुसार इन ३७ संशोधनों के विषय में यह समझा जायगा कि वे प्रस्तुत हो गये और जब वादविवाद जारी होगा, तो संशोधन देने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनको अधिकार होगा कि वह वादविवाद में भाग लें। अब मैं श्री झारखंडे राय जी का आवाहन करूंगा कि वह अपना भाषण जारी करें।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय रामचन्द्र जी विकल का संशोधन है....

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने आपको अधिकृत कर दिया है। अतः यह पढ़ा हुआ मान लिया जायगा।

श्री झारखंडे राय---

तो श्रीमन्, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है?

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, आप अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन जो प्रस्तुत किये हुए माने गए]

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
१	श्री रामचन्द्र विकल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—लगान, भूमि-भवन-कर, वृत्ति एवं व्यापार-कर को समाप्त करने, २—हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने, ३—समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्वीकार करके प्रदेश के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों और सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन तथा सेवा की शर्तों में समानता स्थापित करने, ४—न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अविलम्ब पृथकीकरण करने, ५—अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति प्रथा को समाप्त करने, ६—राज्य कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने, ७—महंगाई-भत्ते को जीवन मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करने, ८—कार्यालयों में बेकारी बढ़ाने वाले स्वचालित यन्त्रीकरण को समाप्त करने, ९—प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का न्यूनतम वेतन १५० रुपये प्रति मास करने, १०—छात्र तथा अन्य राजनैतिक बन्दियों को जेल से तुरन्त रिहा करने, ११—हाल के गोली कांडों पर न्यायिक जांच कराने और एक स्थायी जांच आयोग की नियुक्ति की घोषणा करने, जो हर एक गोली कांड की जांच करेगी, १२—राज-काज के सभी अंगों से अंग्रेजी हटाकर और पूरे प्रशासन में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने, १३—सभी अनाजों के मूल्य, कृषि उपयोगी वस्तुओं तथा कल-कारखानों से बनने वाली जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन (पैरिटी) बनाए रखने की दृष्टि से कोई निश्चित योजना की घोषणा करने, १४—कृषि कार्य के लिए किसानों को बिजली देने में प्राथमिकता तथा सुविधा दिए जाने, १५—किसानों के लिए सिंचाई के सस्ते, सुलभ तथा उपयोगी साधनों की तुरन्त व्यवस्था करने,	

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
		१६—सिंचाई की दरों में कमी करने,
		१७—कृषि योग्य भूमि, ऊसर, परती, बंजर जमीन को मुफ्त बांट देने और वितरण में खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान, हरिजन, थारू, कोल आदि कमजोर तबकों को प्राथमिकता देने,
		१८—अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए विशेष रूप से संरक्षण देने की कोई समुचित योजना बनाने,
		१९—भूमि अधिग्रहण कानून में समुचित संशोधन करने, जिससे कि भूमि मालिकों के हितों का संरक्षण हो सके, की घोषणा नहीं की।
२	श्री गंगाराम तलवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—
		किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		१—जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग-अलग किए जाने के सम्बन्ध में,
		२—कोर्ट फीस को कम किए जाने की,
		३—आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के पद को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में,
		४—विकास क्षेत्र के कार्यालयों को समाप्त करने की,
		५—राजकीय बसों के मार्गों में प्राइवेट बसें चलने की अनुमति दिए जाने की,
		६—मिलों में काम करने वाले मजदूरों की तरह बाजारों में काम करने वाले मजदूरों को भी वही सुविधाएं दिए जाने की,
		७—गांव-गांव में समुचित अस्पताल एवं चिकित्सा की व्यवस्था किए जाने की,
		८—अध्यापकों के वेतन में वृद्धि किए जाने की,
		९—मिल में कार्य करने वाले मजदूरों के आवास की समुचित व्यवस्था किए जाने की,
		१०—कानपुर में सस्ते गल्ले की दूकानों के साथ ही खुली प्राइवेट दूकानों में भी अनाज बेचने की अनुमति दिए जान की,
		११—हरिजनों को रहने के लिए समुचित स्थान (कालोनी) आदि की व्यवस्था किए जाने की,
		१२—प्रदेशीय कर्मचारियों को भी केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ता आदि दिए जाने की,
		१३—सेल्स टैक्स सिंगल प्वाइन्ट होने, तथा

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	
		१४--विधान परिषद् को समाप्त करने के सम्बन्ध में, घोषणा नहीं की है।
३	श्री झारखंडे राय, श्री भीखालाल, श्री रुस्तम सैटिन, श्री ऊदल, श्री आचार्य दीपङ्कर श्री सरदार सिंह, श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री रघुबीर राम, श्री कामता सिंह, श्री राजबली, श्री राम सजीवन, श्री जगदीश त्रिपाठी, श्री पब्बर राम, तथा श्री नर्बदेश्वर लाल।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्न-विषयों पर कोई चर्चा नहीं की : (१) बढ़ती हुई महंगाई को रोकने व कीमतों को नीचे लाने के विषय में सुनिश्चित योजना, (२) राज्य कर्मचारियों की बर्खास्तगी की नोटिसें वापस लेने, निलम्बित कर्मचारियों को बहाल करने, छटनी रोकने और मुकदमे वापस लेने के विषय में, (३) राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर चलने वाले मुकदमें वापस लेने व राजनैतिक बन्दियों को रिहा करने के विषय में, (४) मालगुजारी की प्रथा समाप्त करने के विषय में, (५) सिंचाई दरों में कमी करने के विषय में, (६) कृषि कार्यों के लिए सस्ते रेट पर बिजली देने के विषय में, (७) भूमि-भवन-कर, पेशा-कर की वापसी के विषय में, (८) नगरमहापालिकाओं के निर्वाचन के विषय में, (९) प्रदेश के बन्द मिलों व कारखानों को पुनः खुलवाने के विषय में, (१०) मिल मजदूरों की छटनी के विषय में, (११) प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के विषय में, (१२) ग्राम आन्दोलन से सम्बन्धित छात्रों पर चलने वाले सभी प्रकार के मुकदमे वापस लेने के विषय में, (१३) चीनी मिलों, बिजली कम्पनियों, सूती व जूट मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के विषय में, (१४) राजकीय क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों में लगे हुए मजदूरों के बोनस के विषय में, और (१५) खाद्यान्नों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के विषय में, घोषणा नहीं की।
४	श्री मोहनलाल कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में, (१) अध्यापकों के समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री मोहनलाल कपूर]	(२) सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में, (३) मेरठ नगर की जनता का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से परेशान होने तथा नगर क्षेत्र से टेक्साइल अथवा रिटी का नक्शे पास करने का अधिकार हटाने के सम्बन्ध में, (४) महंगाई दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने, की चर्चा नहीं की।
५	श्री गजाधरप्रसाद आर्य	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में : (१) प्रदेश में अन्न व खाद्यान्न संकट को समाप्त करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था विशेषतः बहराइच जिले में सिंचाई के साधनों के नितान्त अभाव के कारण गम्भीर स्थिति को दूर करने, (२) बहराइच जिले के उत्तरी क्षेत्र में जीवन के दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का अभाव दूर करने, (३) प्रदेश में जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट लाने, (४) प्रदेश में जहां-जहां की चकबन्दी ही रही है विशेष कर बहराइच जिले के उत्तरी क्षेत्र में, वहां भ्रष्टाचार तथा छोटे-छोटे किसानों की तबाही को रोकने, (५) प्रदेश में ५ इकाई वाले किसानों का लगान माफ करने तथा उनसे बिना दस गुना लगान लिए उन्हें भूमिधर बनाने, (६) प्रदेश में परिवार नियोजन को सफल बनाने में जिन राजकीय कर्मचारियों द्वारा अनुचित दबाव डाला जा रहा है उसे रोकने, (७) प्रदेश में भूमि-भवन-कर के लागू होने से जनता में जो असन्तोष व्याप्त है, उसे समाप्त करने, (८) प्रदेश में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में दी गई तकावी तथा लगान को माफ करने, की घोषणा नहीं की।
६	श्री कृष्णबहादुर मिश्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में लगान, भूमि-भवन-कर को समाप्त करने एवं समस्त काश्तकारों को बिना दसगुना जमा किए भूमिधरी का अधिभार देने एवं हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं की है और राज्य कर्मचारियों एवं अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
७	श्री अंगने लाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में— (१) प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचारों को रोकने, (२) बढ़े हुए रोगियों, दुर्बल, अनाथों की मदद करने, (३) महंगाई समाप्त करने, (४) कृषि उन्नति पर विशेष ध्यान देने, (५) देहातों में बिजली की समुचित व्यवस्था करने, (६) विद्यार्थियों की ओर शिक्षा की सहायता करने, (७) न्यायालयों में उचित समय के अन्दर न्याय करने, (८) देहातों में यातायात के साधन की व्यवस्था करने, विशेषकर सण्डीला से धरावन तक पक्की सड़क के निर्माण, (९) देहातों में सरीजों की व्यवस्था, की घोषणा नहीं की।
८	श्री केदारजंगबहादुर राना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में : (१) बहराइच जिले में सरकारी मालगुजारी तथा तकावी की वसूली स्थगित करने, (२) प्रयागपुर से हजूरपुर तक तथा बहराइच-हजूरपुर सड़क पक्की बनवाई जाने, (३) प्रयागपुर के बी० डी० ओ० का तुरन्त तबादला किए जाने और उनकी काले करतूतों की जांच की जाने, (४) सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान हर न्याय पंचायत में खुलवाई जाने और उसका वितरण कार्ड के जरिए किए जाने, (५) सूखाग्रस्त इलाकों में नया नलकूप का निर्माण कराने, की घोषणा नहीं की।
९	श्री शंकर सिंह तथा श्री रघुनाथ सिंह।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में : (१) बुन्देलखंड के झांसी और जालौन जिले के क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं और जो अपर्याप्त हैं, इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर विशेष ध्यान दिए जाने के सम्बन्ध में,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री शंकर सिंह तथा रघुनाथ सिंह]	(२) बुन्देलखंड क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न हो सकने के फलस्वरूप माताटीला और बांधों से नहरें निकाल कर तथा विस्तृत लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में, (३) माताटीला बांध की बिजली सम्पूर्ण बुन्देलखंड क्षेत्र में छोटे तथा उद्योग सिंचाई के विकास के लिए गांव-गांव में पहुंचाई जाने के सम्बन्ध में, (४) बुन्देलखंड के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में, टेस्ट वर्क तथा सस्ते गल्ले की सरकारी दूकानें खोलने के सम्बन्ध में तथा समुचित तकावी के प्रबन्ध के बारे में, (५) किसानों ने इस वर्ष सूखा के कारण जगह-जगह नहरों से अपने खेत सींचने की कोशिश की है इस सम्बन्ध में नहर विभाग ने किसानों पर हजारों मुकदमें चला दिए हैं, उनको वापस लिए जाने के सम्बन्ध में, (६) सूखा-ग्रस्त क्षेत्र के सभी प्रकार के लगान, आबपाशी टैक्स माफ करने की, (७) वनों में कृषि योग्य भूमि ले लिए जाने और जिस भूमि पर किसान पहले से ही खेती करते चले आरहे हैं वह सभी भूमि खेती करने वाले किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में, (८) बुन्देलखंड काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सड़कों की बहुत कमी है, अतः चौथी पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखंड की सड़कों को प्राथमिकता दिए जाने के बारे में, (९) बुन्देलखंड की डाकू समस्या के निवारण के लिए सभी नागरिकों को आत्म-रक्षा करने हेतु बन्दूकों के लाइसेन्स से मुक्त किए जाने की, घोषणा नहीं की।
१०	श्री रामअचलसिंह सेंगर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों की चर्चा नहीं की है: (१) उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान कार्य के लिए समान वेतन एवं महंगाई देने, (२) भूतपूर्व एवं वर्तमान मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के विरुद्ध उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति एवं अपराधी पाने पर उचित दण्ड की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में, (३) प्रदेश के मन्त्रियों के वेतन-क्रम एवं अन्य व्यय हेतु मद्रास के मन्त्रिमण्डल का अनुसरण करने,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री रामअचल सिंह सेंगर]	(४) बहराइच जनपद के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में लगान माफ करने,
		(५) बहराइच जनपद शिवपुर क्षेत्र में ग्राम धनावा, जोकि अग्निकाण्ड में स्वाहा हो गया है, के निवासियों के खाने-पहनने आदि की व्यवस्था करने,
		(६) सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों जो कि दो पंचायतों के बीच में खोली गई हैं, प्रत्येक न्याय पंचायत में एक दूकान खोलने की व्यवस्था करने,
		(७) बहराइच शहर में नगरपालिका का चुनाव कराने तथा ऐडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था कम करने,
		(८) भूमि-भवन-कर समाप्त करने,
		(९) जनपद बहराइच में सूखा का सामना करने के लिए दिए गए अनुदानों को किस्तों में ब्याज रहित वसूल करने, या माफ करने,
		(१०) जनपद बहराइच के शिवपुर क्षेत्र में सरयू नदी पर दूरी एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दो पुलों का निर्माण करने,
		(११) शिवपुर क्षेत्र में जो बांध बांधा है उसके स्थान-स्थान पर पानी निकालने के लिए पुलियों का निर्माण करने,
		(१२) बांध के किनारे जो सड़क निकली है बांध पर लगे हुए बबूल के वृक्ष जोकि सड़क अवरोध कर रहे हैं, उन्हें छंटवाने,
		(१३) बहराइच से कठाई घाट, नानपारा-बहराइच सड़क पर सड़क से रिसिया और मटेरा को सड़कों का निर्माण करने,
		(१४) बहराइच जनपद में प्रत्येक इंच भूमि को सिंचित करने तथा व्यक्तिगत सिंचाई साधनों को भी पानी देने का अधिकार देने,
		(१५) गम्भीरवा बाजार के पास नदी पर पुल का निर्माण करने,
		(१६) १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च स्तरीय निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने,
		(१७) कक्षा १० तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने,
		(१८) जखीराबाजी तथा मध्यस्थताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी की समाप्ति करने, तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री रामअचल सिंह सेंगर]	(१९) ग्रामीण जनता का जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिए कदम उठाए जाने, के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की ।
११	श्री अयोध्या प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए: किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों की चर्चा नहीं की है: १---दुद्धी क्षेत्र के निवासी गल्ले के अभाव तथा सही इन्तजाम न होने के कारण काफी लोग भुखमरी से काल के गाल में चले जा रहे हैं, दोनों की शीघ्र व्यवस्था, सहायता करने, २---उक्त क्षेत्र की मालगुजारी, भुखमरी की वजह से माफ की जाय, ३---दुद्धी क्षेत्र, मिर्जापुर जिला को अकाल-पीड़ित क्षेत्र घोषित किए जाने, ४---इस क्षेत्र में आवागमन के लिए कच्ची सड़क है विढ़मगंज से दुद्धी के लिए उसे पक्की किया जाय जिससे वह रोड सीधा सम्बन्ध दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ सके। के सम्बन्ध कोई चर्चा नहीं की ।
१२	श्री गंगा भक्तसिंह तथा श्री प्रतापनारायण तिवारी ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किसी ऐसी नई नीति की घोषणा नहीं की जिससे कि कांग्रेस शासन की असफल एवं अव्यावहारिक नीतियों के कारण प्रदेश की दुखी जनता को कोई राहत मिलने की सम्भावना होती।" के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की ।
१३	श्री मन्नालाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में: १---प्रदेश की दयनीय दशा को देखते हुए मन्त्रियों के वेतन और भी कम करने, २---प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ३---गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए, ४---भूमिहीन लोगों को भूमि देने के लिए, ५---राज्य कर्मचारियों को समान वेतन देने के लिए, ६---समस्त कर्मचारियों को जीने भर का वेतन देने के लिए, ७---सुरक्षित स्थानों को निर्धारित कोटा के अनुसार स्थान देने के लिए,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री मन्नालाल]	८—सूखाग्रस्त क्षेत्रों का लगान माफ करने तथा उन्हें जीवित रखने के लिए गल्ले का वितरण, ९—सिंचाई के लिए देहाती गरीबों के लिए कोई ठोस प्रबन्ध करने, १०—सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों के समान वेतन तथा अन्य सुविधाएं देने, ११—अच्छे विद्यालय, जोकि जनता द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें मान्यता देने तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रति उदासीनता, १२—परिगणित जाति के गरीब सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने, १३—जिलों के प्रत्येक न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने, १४—अलाभकर जोतों का लगान माफ करने, १५—पुलिस के अत्याचारों को रोकने तथा गत दो वर्षों में हुए गोली काण्डों की न्यायिक जांच के लिए कोई ठोस कदम उठाने, १६—दैनिक उपभोगों की वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए, १७—देहातों में बड़े-बड़े फार्मों पर तथा बड़े-बड़े कृषकों के खेतों पर मजदूरी करने वालों को पेट भर खाने के लिए परिश्रम का मुआवजा दिए जाने, १८—नगरों का भूमि-भवन-कर माफ करने, १९—देहातों की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम उठाने, २०—अनुचित मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्य करने, की घोषणा नहीं की।
१४	श्री उदय प्रताप दुबे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—भूमि-भवन-कर तत्काल खत्म करने, २—कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने, ३—सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों को समान वेतन करने, ४—महंगाई दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाने,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री उदयप्रताप दुबे]	५—बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में, ६—सरकारी वकीलों का कार्यकाल बढ़ाए जाने, ७—विद्यार्थियों के तत्काल छोड़ने के सम्बन्ध में, घोषणा नहीं की।
१५	श्री बृजमोहन दास अग्रवाल।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—भीषण महंगाई तथा भुखमरी को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने को, २—नागरिकों पर लगे भूमि-भवन-कर समाप्त करने, ३—पूर्वी उत्तर प्रदेश की सिंचाई अव्यवस्था एवं कमी को दूर करने, ४—विद्यार्थियों में हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने, ५—चकबन्दी के अन्दर चलती हुई धांधलियों के सम्बन्ध में, ६—पुलिस अत्याचार तथा घूसखोरी को समाप्त करने, ७—आजमगढ़ जिले की— (१) कोपागंज से कोरिया पार होते हुए मोहम्मदाबाद तक की कच्ची सड़क, (२) कसारा ग्राम से इन्दारा-अलीनगर होते हुए हथनी ग्राम तक की कच्ची सड़क, (३) हथनी से पहसा तक की कच्ची सड़क, (४) बरलाई से बौजापुर होती हुयी कुरथी जाफरपुर तक की कच्ची सड़क। (५) दाड़ी ग्राम से सहरोज तक कच्ची सड़क, (६) बरुआ गोदाम से पिपरीडीह होती हुई सुल्तानपुर तक की अधूरी सड़क को पक्की करने तथा उन पर स्थान-स्थान पर नदियों और नालों पर पक्के पुल की व्यवस्था करने की, (७) आजमगढ़ जिले के परदहा ब्लाक के पिपरी रिकवारडीह क्षेत्र में विद्युत संचार की व्यवस्था, (८) आजमगढ़ जिले की छोटी सरजू नदी के पट जाने से बरसात में भीषण बाढ़ के कारण किनारे के ग्रामों को भीषण क्षति से बचाने के लिये इस नदी को खोद कर गहरी करनेके सम्बन्ध में, कोई चर्चा नहीं की है।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	
१६	श्री हिम्मत सिंह, श्री भुवनेश भूषण शर्मा, श्री बजरंगबली ब्रह्मचारी, श्री किशन लाल दिलेर, श्री मन्ना लाल तथा श्री चेतराम वर्मा ।	प्रस्ताव के अन्त म निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में : (१) प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को नष्ट करने, (२) ब्लाकों से प्रदेश में कोई किसानों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उनको शीघ्र समाप्त करने, (३) भूमि-भवन-कर, वृत्ति-कर को शीघ्र समाप्त करने, (४) सिंचाई की लघु योजनाओं को बढ़ाने, (५) सिंचाई की दरों को कम करने तथा किसान का लगान आधा करने, (६) फौजदारी के मुकदमों में कोर्ट फीस न लेने और कोर्ट फीस कम करने तथा न्याय को सस्ता करने, (७) बढ़ती हुयी आबादी तथा जुर्म को देखते हुये थानों की संख्या अधिक बढ़ाने, (८) प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर मजदूर वर्ग के लिये सस्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था सहकारी समितियों द्वारा करने, (९) सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता घटाने-बढ़ाने के लिये एक स्थायी बोर्ड का निर्माण करने, (१०) चोर बाजारी रोकने, (११) प्रदेश में कक्षा १० तक निःशुल्क शिक्षा करने, (१२) प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा की पूर्ण सुविधा देने, (१३) प्रदेश में बढ़ते हुये गल्ले के दामों को रोकने के लिये सस्ते गल्ले की सरकारी दूकानें खोलने, (१४) अध्यापकों को, चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी, एक ही वेतन-क्रम देने, (१५) अपने प्रदेश में केन्द्र अनुसार मंहगाई भत्ते दिलाने, (१६) जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रटाचार के आरोप लगाये गये उनके ऊपर कोई जांच के लिये एक स्थायी बोर्ड कमीशन बनाने जो समय-समय पर मंत्रियों के आय-व्यय का लेखा जोखा देता रहे, (१७) जिला बुलन्दशहर में डिबाई से रामघाट तक पक्की सड़क और डिबाई से कर्णवास तक पक्की सड़क तथा गालिबपुर पर नीम नदी पर एक पुल का निर्माण करन,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री हिम्मत सिंह, श्री भुवनेश भूषण शर्मा, श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी, श्री किशन लाल दिलेर, श्री मन्नालाल तथा श्री चेतराम ।]	(१८) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके खर्च की जांच के लिये तथा ठीक सामान उस निर्माण कार्य में लगा है उसकी जांच के लिये एक स्थायी बोर्ड बनाये जाने, (१९) जो प्रदेश में राजकीय व्यापार चल रहे हैं उनमें मुनाफा (लाभ) किस प्रकार बढ़ाया जाये और खर्चा किस प्रकार कम किया जाये इसके सम्बन्ध में, (२०) बिक्री-कर एक पदीय (सिंगल प्वाइंट) किये जाने, की घोषणा नहीं की है ।
१७	श्री मलिखान सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में : (१) महामान्य राज्यपाल महोदय ने प्रदेश में भूमि-भवन-कर समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला, (२) यह कि भुखमरी, मंहगाई और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला, (३) यह कि सिंचाई की दरें कम करने के सम्बन्ध में और सस्ती बिजली देने के सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला, (४) महंगी शिक्षा के सम्बन्ध में और राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष वेतन व भत्ते के संबंध में प्रकाश नहीं डाला, की घोषणा नहीं की ।
१८	श्री रामनारायण त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में: (१) सभी विद्यार्थियों की दसवीं दर्जे तक की फीस की मुआफी की घोषणा नहीं की, तथा (क) सवा छः एकड़ की अलाभकर जोतों के लगान की छूट की घोषणा नहीं की, (ख) भूमि-भवन कर तथा वृत्ति, व्यापार और आजीविका-कर को समाप्त करने की घोषणा नहीं की, तथा (२) भूमि की सीमा की तरह धन की सीमा निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से निम्नलिखित सिफारिश करने की चर्चा नहीं की : (क) एक लाख की लागत के ऊपर के उद्योगों का समाजीकरण कर दिया जाय, तथा

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री रामनारायण त्रिपाठी]	(ङ) भारतीय संविधान में से मुआविजा देने की धारा समाप्त कर दी जाय । **की चर्चा नहीं की ।**
१९	श्री बरमेश्वर पांडेय ..	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किसी ऐसी नीति की घोषणा नहीं की जिसमें कुशासन से त्रस्त जनता को किसी प्रकार की राहत मिल सके, प्रान्त में व्याप्त औद्योगिक अशांति दूर हो सके, कर-भार से परेशान जनता को राहत मिले, प्रान्त में सिंचाई तथा सड़क निर्माण आदि पर कोई राहत मिले, तथा समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति का दिग्दर्शन होता हो । **की चर्चा नहं की ।**
२०	श्री बुगराज सिंह ..	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में-- १--सरकारी मालगुजारी तथा अन्य सरकारी मतालबे अविलम्ब मुलतवी करने तथा टेस्ट वर्क चालू कराने, २--जिला बहराइच में कूड़ा स्तर से प्रयागपुर तक जो सड़क जाती है उसे पक्की बनवाने एवं सोतियां नाला में ग्राम इटहवा के पास पुल बनाने एवं नदी सरजू में ग्राम सिरौला पर पुल बनवाने, ३--हाथर सेकेन्डरी स्कूल ग्राम करमुल्लापुर (भगड़वा) में खोले जाने, ४--सस्ते गल्ले, मिट्टी के तेल की दूकानें हर ग्राम में खोले जाने, ५--किसानों का लगान आधा कराने, ६--शिक्षकों का वेतन बढ़ाये जाने, ७--सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर करने, ८--विद्यार्थियों की फीस माफ की जाने तथा उन्हें परीक्षा शुल्क से मुक्त करने, ९--जरवल रोड मिल से कृषकों का गन्ने का दाम जो लाखों रुपया बाकी है, उसे तुरन्त दिलाये जाने, **की घोषणा नहीं की ।**
२१	श्री चेतराम वर्मा ..	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बिना दस गुना लिये, सभी को भूमिधर बनाने, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों तथा सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन तथा सेवा की शर्तों में अविलम्ब समानता स्थापित करने, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री चेतराम वर्मा]	न्यूनतम वेतन १५० रु० प्रति मास करने तथा लखीमपुर-खीरी जिले में बनाई जा रही सीमा प्रान्तीय आसाम मलेरी रोड के लिये जिन काश्तकारों की भूमि सरकार द्वारा अधिगृहित कर ली गई है उनका अभी तक न तो लगान ही माफ करने और न मुआवजा दिये जाने एवं तुरन्त लगान माफ करने तथा मुआवजा दिलाने,
		की घोषणा नहीं की ।
२२	श्री महेश कुमार ..	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :
		१—नगरों में लगे भूमि-भवन कर को समाप्त करने,
		२—ग्रामों में बिजली होते हुये भी पूरे-पूरे दिन बिजली के गायब होने और उसकी ठीक व्यवस्था करने,
		३—जिस प्रकार बड़े उद्योग-धन्धों के लिये सस्ते दरों पर बिजली दी जाती है उसी प्रकार सिंचाई के लिये भी दिये जाने,
		४—जिला मुरादाबाद की एक प्रमुख कच्ची सड़क जो तहसील संभल से तहसील अमरोहा को मिलाती है, उसे पक्की करने,
		५—मुरादाबाद जिले में एक सड़क, जो लोधीपुर से ग्राम मढ़न तक जाती है उसे पक्की कराने,
		६—बाजारों में राशन के आटे की चोरी को रोकने के संबंध में,
		७—ग्रामों में सस्ते गल्ले तथा राशन की दूकानों को खोलने के संबंध में,
		८—सम्भल, जिला मुरादाबाद की आबादी एक लाख के करीब होते हुये भी कोई डिग्री कालेज की व्यवस्था न होने के बारे में,
		९—सम्भल, जिला मुरादाबाद में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है उसे बड़ा कराने के संबंध में,
		१०—तहसील व कचहरियों पर फैले हुये भ्रष्टाचार को रोकने के लिये किसी आयोग की व्यवस्था करने,
		११—मुरादाबाद जिले में कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल की व्यवस्था न होने, तथा
		१२—नगरपालिका सम्भल में कोई हेल्थ आफीसर कई सालों से न होने,
		की चर्चा नहीं की है ।
२३	श्री शुकदेव प्रसाद तथा श्री बलदेव सिंह ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में,
		(१) बघुरा बाजार शिवपुरा, जिला गोंडा, के सरदाना अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था तथा डाक्टरों की

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम

[श्री शुकदेव प्रसाद तथा श्री बलदेव सिंह]

नियुक्ति के बारे में और चौधरी डीह में नये अस्पताल खोलने के संबंध में कोई संकेत नहीं किया,

(२) तुलसीपुर, जिला गोंडा में जनाना अस्पताल बरसों से खुला होने के बावजूद भी उसमें कोई डाक्टर, भवन निर्माण एवं दवाइयों की व्यवस्था न हो पाने के कारण जबकि भवन का १०० रुपये प्रति माह किराया दिया जाता है, कोई चर्चा नहीं की,

(३) गोंडा जिला, विशेषकर बलरामपुर तहसील में यातायात के लिये सड़कों के न होने से अधिक पिछड़ा है इससे चौधरी डीह, कटरा बाजार तक लौकहवा से शिवपुरा होते हुये हरैया वाली रोड तक व ललिया से महाराजगंज तराई सड़क व टिड़वाधनुहिया से कोवापुर होते हुये हरैया रोड तथा महाराजगंज तराई से गजेहवा स्टेशन से बलरामपुर वाली सड़क तक पक्की बनाने के लिये कोई संकेत नहीं किया,

(४) गजेहवा रेलवे स्टेशन तथा राप्ती के पुल के पास रेलवे मार्ग पास करने के लिये कोई क्रासिंग बनाने के लिये चर्चा नहीं की जिससे दुर्घटना होने का हमेशा डर रहता है,

(५) बलरामपुर जिला गोंडा में तराई के कारण पानी न बरसने, धान मर जाने से तथा अन्य फसलें न पैदा होने से तथा आगे रबी की फसल वर्षा की कमी के कारण अच्छी होने की उम्मीद न होने से, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न है उसे रोकने के लिये प्रत्येक ग्राम सभा में सस्ते गल्ले की दूकान खोलकर आवश्यकतानुसार गल्ला देने के संबंध में संकेत नहीं किया,

(६) इस समय लगान व अन्य वसूलियां रोक देने का संकेत नहीं किया है जबकि लोग दाने-दाने को मोहताज हैं और कोई अदायगी नहीं कर सकते हैं,

(७) प्रान्तीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों जैसा जीवन-स्तर समान करने के संबंध में कोई संकेत नहीं किया,

(८) प्राइमरी, हाई स्कूल एवं डिग्री कक्षाओं के शिक्षा-स्तर में सुधार की आशा की झलक एवं व्यय में कमी तथा सुविधाओं के लिये संकेत नहीं किया,

(९) हरिजनों के संबंध में जीवन-स्तर ऊंचा उठाने हेतु कागजी कार्यवाही के अतिरिक्त आगे ठोस कदम उठाने के लिये भूमि देने, रोजी आदि के बारे में चर्चा नहीं की,

(१०) खेती की दशा उक्त तहसील की सिंचाई के साधन न होने से खराब होने के कारण उसके लिये राजकीय नलकूप लगाकर खेतों में पानी पहुंचाने हेतु व्यवस्था के लिये कोई उल्लेख नहीं किया,

अश्व सं०	प्रस्तावक का नाम
	[श्री शुकदेव प्रसाद तथा श्री बलदेव सिंह]
२४	श्री करधान सिंह ..

(११) चीनी मिल, तुलसीपुर, बलरामपुर व बनकस मजदूर पी० डब्लू० डी० एवं जल एजेंट आदि को भुखमरी से बचाने के लिये अग्रिम मजदूरी, दीर्घकालीन ऋण देने,

का कोई संकेत नहीं किया ।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि महात्मान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—

१—प्रदेश की वित्तावस्था देखते हुये मंत्रियों के वेतन और भत्ते कम करने,

२—भूतपूर्व मंत्रिमंडल के जिन सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप हैं उनकी जांच के लिये उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्त करने एवं अपराधी पाये जाने वालों को उचित दंड देने की व्यवस्था करने,

३—सभी नागरिकों को सस्ते दामों पर पर्याप्त खाद्यान्न एवं दैनिक उपभोग की सामग्री उपलब्ध कराने,

४—रिश्वतखोरी मुनाफाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने,

५—सूखे से प्रभावित और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों का लगान माफी करने,

६—भूमि-भवन-कर, वृत्ति-कर को समाप्त करने,

७—राज्य सरकार के व्यय में कमी करने,

८—उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन क्रम और महंगाई भत्ता करने,

९—सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम, महंगाई भत्ता एवं सेवा दशायें एवं अन्य सुविधायें सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के समान करने,

१०—नलकूपों की संख्या बढ़ाने और इसके लिये पूरी बिजली देने तथा प्राइवेट नलकूपों को पानी बेचने का अधिकार देने,

११—जूरी स्तर पर न्याय पालिका और कार्यपालिका को अलग करने,

१२—कृषि की फसल का बीमा करने,

१३—हाल के हुए समस्त पुलिस गोली कांडों की उच्च स्तरीय जांच करने,

१४—कक्षा १० तक शिक्षा को निःशुल्क करने,

१५—अलाभकर जोत से लगान माफ करने,

१६—दैनिक उपभोग की अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें सन्तोष-जनक स्तर तक कम करने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री कल्याण सिंह]	१७—चोरी, डकैतियां, हत्यायें रोकने, १८—भ्रष्टाचार समाप्त करने, १९—२०० रुपये मासिक अथवा इससे कम की आय वाले लोगों के बच्चों को उच्च स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने, २०—निलम्बित (सुपरसीडेड) नगरपालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के चुनाव तुरन्त कराने, २१—ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने, की घोषणा नहीं की।
२५	श्री बस्तम सैटिन . .	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित विषय पर कोई चर्चा नहीं की— "राजकीय विद्यालयों व प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम समान करने के विषय में।" की घोषणा नहीं की।
२६	श्री नाथूराम शिक्षक. .	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— (क) सूखा-पीड़ित क्षेत्रों के किसानों, विद्यार्थियों, हरिजन तथा जनरल, को तुरन्त राहत पाने, (ख) भूमिहीन मजदूरों को भूमि दिलाने, (ग) ग्राम सम्पत्तियों को तुरन्त जांच कराकर भूमिहीनों को दिलाने, (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते सामान की दुकानें व्यक्तिगत से हटाकर सहकारी समितियों के माध्यम से चलाने, (ङ) अल्प सिंचाई योजना को शीघ्र सफल बनाने, (च) सभी छात्रों को कक्षा १० तक की निःशुल्क शिक्षा करने, (ज) मान्यता तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को समान वेतन, दिलाने, की कोई घोषणा नहीं की है।
२७	श्री बिपिन बिहारी तिवारी तथा श्री राजराजेश्वर।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में— १—बीस वर्ष के शासन के पश्चात् भी किसानों के लगान को आधा करने की घोषणा नहीं की गई, २—ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे से पीड़ित बन्धुओं के लिये जीविकोपार्जन की किसी भी योजना की ओर कोई संकेत

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव
	[श्री बिपिन बिहारी तिवारी तथा श्री राज राजेश्वर]	नहीं किया गया । महंगाई से उत्पन्न कठिनाइयों से ग्रामवासियों को राहत दिलाने की कोई नीति निर्धारित नहीं की गई, ३--सिंचाई की दरों को सूखा क्षेत्रों में समाप्त करने की कोई घोषणा नहीं की गई, ४--विकास खंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने के लिये कोई जांच समिति के निर्माण की चर्चा नहीं की गई, ५--भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने की प्रभावशाली योजना की ओर कोई संकेत नहीं किया गया, ६--विभिन्न प्रकार के "टैक्सों" से पीड़ित जनता को राहत दिलाने के लिये टैक्सों को कम करने का कोई संकेत नहीं प्राप्त होता है, की घोषणा नहीं की ।
२८	श्री भगवती सिंह विशारद ।	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि उनके सम्भाषण में अलाभकर जोतों पर से भू-राजस्व हटाने तथा प्रदेश में हाल में बन्द हुये कल-कारखानों को पुनः चालू करने तथा उनसे उत्पन्न बेकारी दूर करने का उल्लेख नहीं है ।" की घोषणा नहीं की ।
२९	श्री प्रताप सिंह	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं: "किन्तु खेद है कि उसमें भू-राजस्व हटाने, बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने तथा व्यापक भ्रष्टाचार को दूर करने एवं ओबसा थाओं के आर्थिक उत्थान व सामाजिक, शैक्षिक विकास का उल्लेख नहीं है ।" की घोषणा नहीं की ।
३०	श्री मधुकर दिघे	राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने : (१) गम्भीर खाद्याभाव के कारण गोरखपुर जिले म ९० प्रतिशत जनसंख्या अर्ध भुखमरी की अवस्था से गुजरने और जमाखोरों, कालाबाजार वालों को सरकार द्वारा छूट देने, (२) सूखे के कारण गोरखपुर जिले में खरीफ की फसल रुपये में १४ आना नष्ट होने पर भी मालगुजारी की छूट, विद्यार्थियों की फीस, असहायों को मुफ्त सहायता न देकर सरकार ने गम्भीर अपराध किया तथा उपल वृष्टि एवं पछुवा के कारण रबी की फसल भी नष्ट होने, (३) खाद्याभाव को कम करने तथा खेती का उद्योग बढ़ाने के लिय सम्पूर्ण राज्य में :

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव
		(अ) मालगुजारी प्रथा की समाप्ति की घोषणा न करने, (ब) सिंचाई दर में कमी, बिना मुनाफा से पानी देने की व्यवस्था न करने, (स) पड़ती, तराई भावर आदि उपजाऊ जमीन को अन्न सेना बनाकर खेती के काम में लगाने की व्यवस्था न करने, (द) खेती की पैदावार और औद्योगिक पैदावार के दामों में संतुलन, रिश्ता तथा २० प्रतिशत से अधिक की बढ़ती खरीद और बेची के दामों में न होने देने की घोषणा करने, (४) आवश्यकता की वस्तुओं के बढ़ते दामों की रोकथाम तथा महंगाई को समाप्त करने के लिये कोई ठोस व्यवस्था न करने, (५) भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये तथा मंत्रियों, अधिकारियों व नेताओं ने पिछले २० वर्षों में अपने पद का दुरुपयोग कर जो सम्पत्ति अर्जित की उसकी जांच करने व ऐसी सम्पत्ति को जब्त करने के लिये कोई व्यवस्था न करने, (६) समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को न मानने व अराजपत्रित कर्मचारियों की मांगों को टाल देने, (७) विद्यार्थी आन्दोलनों में विद्यार्थियों पर, श्रमिक आन्दोलनों में श्रमिकों पर गोली चलाने, अपने राजनैतिक विरोधियों का खास तौर पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्त्ताओं का दमन करने का जिक्र व उनके निराकरण करने की चर्चा नहीं की है।
११	श्री चन्द्रबली सिंह	श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आये धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने निम्न सवालों के हल के लिये कोई कदम उठाने का जिक्र नहीं किया है: (१) उत्तर प्रदेश की फसलों को दो रोग बारी-बारी से लगते हैं जिन्हें हम सूखा और जलोदर की संज्ञा दे सकते हैं। सूखी की हालत में सिंचाई प्रबन्ध के कुछ कदम उठाने की बात तो है किन्तु जलोदर (अतिवृष्टि) की हालत में पानी निकासी और बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी क्रम में राप्ती की बाढ़ रोकने, राप्ती जलकुण्डी, गोंडा व बहराइच जिलों में जल खातों का निर्माण और गोरखपुर से गायघाट तक राप्ती के बांये किनारे तक बन्ध एवं बहराइच के नानपारा के सामने राप्ती के पानी को घाघरा में मिलाने के कार्यक्रम को अपनाने

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम

[श्री अग्रबली सिंह]

का जिक्र नहीं है और न दूसरी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को चलाने का जिक्र है ।

(२) निम्न वर्ग जो सबसे ज्यादा माली हालत की खराबी में है उसके हित के लिये कोई कदम उठाने का जिक्र नहीं किया गया है । खास कर खेत-मजदूरों के लिये महंगाई के अनुसार निम्नतम मजदूरी कानून का निर्धारण एक आयोग द्वारा आवश्यक है । इन्हें खुश किये बिना जरूरत भर को अन्न पाना टेढ़ी खीर है । इसी प्रकार चौकीदारों के वेतन बढ़ाने का भी जिक्र नहीं है ।

(३) पूरी मालगुजारी को कौन कहे बिना मुनाफे की खेती से माल गुजारी हटाने का भी जिक्र नहीं है,

(४) पंच महानगरपालिकाओं में जनतंत्री पद्धति शीघ्र लागू करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ताकि नगर प्रशासकों द्वारा मनमाने एवं तानाशाही ढंग से जनता की भावनाओं के खिलाफ, जो काम किया जा रहा है और जिससे जनता की तरह-तरह की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, का अन्त हो,

(५) पेशा कर हटाने का जिक्र नहीं है,

(६) गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षा संघ के वेतन मान को समान काम के समान मजदूरी के बिना पर सरकारी माध्यमिक शिक्षक संघ के वेतन मान तक करने का जिक्र नहीं है,

(७) प्रदेश में हरी फसलों की हो रही चोरी से चराई-कटाई रोकने हेतु किसी कदम के अभाव का उल्लेख नहीं है,

(८) अल्पाभाव की संकटमय बेला में गरीब, भूमिहीन, खेत-मजदूरों को सस्ते गल्ले की गारंटी से व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है,

(९) भारी जद्दोजहद के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को कोरा आश्वासन मात्र दिया गया है, इसका भी उल्लेख नहीं है,

(१०) कर वंचकों से कर उगाही के कदम का कोई जिक्र नहीं है,

(११) प्रदेश का चीनी उद्योग बन्द होने की हालत में है । इसी साल मिलों को जरूरत भर को गन्ना नहीं मिला है । गन्ने का दाम साढ़े तीन रुपये मन से कम होने के कारण वर्तमान मंहगाई की बेला में परता नहीं खा रहा है । फलस्वरूप गन्ने की बोआई नहीं के बराबर होने जा रही है । इसी कारण चीनी उद्योग के चौपट होने की हालत है । प्रदेश के सबसे बड़े इस चीनी उद्योग को बचाने का कोई जिक्र नहीं है,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री चन्द्र बली]	(१२) प्राइमरी शिक्षा को समान करने और हाई स्कूल तक मुफ्त करने का जिक्र नहीं है, (१३) बेरोजगारों को काम और मध्यमवर्गीय औरतों को सहायक धन्धा देने का कोई जिक्र नहीं है, (१४) अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों, गरीब किसानों, मजदूरों की औरतों को प्रसूता अवस्था में पौष्टिक दवा आदि की व्यवस्था का जिक्र नहीं है । (१५) ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों के लिये पाखाने और शुद्ध पानी की व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है, (१६) देवरिया में हेतिमपुर पटनवा पुल वाया नवतन हाथियागढ़ मुसहली सड़क निर्माण का कोई जिक्र नहीं है, (१७) बेतालपुर चीनी मिल जोन एवं हाटा गन्ना विकास क्षेत्र जोन में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है, (१८) पूर्वी जिलों की रबी की फसल पिछले २० वर्षों से लगातार पछुवा हवा के कारण सूखती आई है । उसके बचाव हेतु खोज केन्द्र खोलने का कोई जिक्र नहीं है । (१९) गौरी बाजार (देवरिया) में अस्पताल निर्माण का कोई जिक्र नहीं है । (२०) देवरिया में गन्ने की खोई की इफरात है फिर भी कागज का कारखाना खोलने का जिक्र नहीं है । (२१) लखनऊ विश्वविद्यालय में एम० ए० की बट रही मुफ्त की फर्स्ट क्लास, फस्ट की सनदों और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई कदम उठाने का जिक्र नहीं है ।
३२	श्री भगवती प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— (१) बहराइच जिला इकौना विधान सभा में सूखे के कारण सहकारी गल्ले की दूकानें बढ़ाई जायं तथा समय पर गल्ला मिलने, (२) सरकार का कर्मचारियों को यह मालूम कराना कि सच्चाई से काम करने का पालन करें, (३) उत्तर प्रदेश में सड़क की मरम्मत करवाने, (४) जिला बोर्ड के स्कूलों के अध्यापकों का टैक्स खत्म करने, (५) मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाने और खत्म की सुविधा,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री भगवती प्रसाद]	(६) किसानों का लगान और टैक्स तथा व्यवसाय कर टैक्स कम करने, (७) चोरी तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने, (८) हरिजनों पर ध्यान तथा व्यवस्था करने, (९) समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते गल्ले व जनता के उपभोग के लिये सभी सुविधायें दिये जाने, **की घोषणा नहीं की ।**
३३	श्री रामदत्त जोशी तथा श्री प्रताप सिंह ।	राजपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय; **की चर्चा नहीं की ।** "किन्तु खेद है कि राज्यपाल के भाषण में पर्वतीय क्षेत्र में नैनीताल को नहीं रखा गया है । किसानों की बेदखली को रोकने का कोई जिक्र नहीं किया गया है ।"
३४	श्री शीपति मिश्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में : (१) खाद्य, वस्त्र, कृषि यन्त्र तथा अन्य प्रतिदिन की आवश्यक सामग्रियों को सुलभ दामों में किसानों व अन्य नागरिकों के पास पहुचाने के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिया, (२) किसानों की अलाभकर जोतों की लगान माफ करने तथा खेतिहर मजदूरों को जीवन निर्वाह के हेतु व्यवस्था करने की कोई घोषणा नहीं की, (३) छात्रों की दसवें तक फीस माफ करने तथा उनकी बढ़ती हुई समस्याओं को विधिवत् उचित ढंग से सुलझाने के लिये कोई घोषणा नहीं की, (४) भ्रष्टाचार जो हमारी सारी समस्याओं का मूलभूत कारण है उसके निराकरण के लिये कोई उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाने की, **घोषणा नहीं की ।**
३५	श्री गया प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में : (१) प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य एवं हाई स्कूल तक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करने, (२) मान्टेसरी और सैनिक स्कूल तथा डिग्री कालेज जो कि अधिक खर्च वाले हैं उनको समाप्त कर दिये जाने

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	
		और जिसमें अधिकफीस लगती है, को समाप्त करके सभी को उच्च शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करने, (३) सभी अध्यापकों का वेतन बढ़ा कर उनके जीवन को सुखमय बनाये जाने, (४) गांव-गांव में आवागमन के लिये समुचित रास्ते तथा जिले और मुख्य स्थानों तक पक्की सड़कों के बनाये जाने, जिससे कि ग्रामीण जनता को सुविधा मिल सके, खास तौर से जिला बहराइच में इसका अत्यन्त प्रभाव है और जिले के पिछड़ेपन का यह भी एक कारण है, (५) कृषि की उन्नति हेतु सिंचाई इत्यादि के लिये किसानों को ऋण दिये जाने में सुलभ प्रणाली तथा पूरा धन दिये जाने की सरकार द्वारा प्रस्तुत उन्नतिशील बीज एवं खाद बिना लाभ-हानि के आधार पर दिये जाने की व्यवस्था करने, (६) अलाभकर जोत का लगान छोड़े जाने की व्यवस्था करने, (७) स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का वेतन भत्ता सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप दिये जाने के तथा समान कार्य हेतु समान वेतन दर दिये जाने, (८) शहरों में बड़े अस्पतालों में डाक्टरों एवं दवाइयों की समुचित व्यवस्था न होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, भवन एवं शय्या की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में कमी दूर करने, (९) पंचायत राज मन्त्रियों को वेतन एवं अन्य सुविधायें दिये जाने तथा सरकारी कर्मचारियों की भांति समझने, (१०) एजूकेशन ऐसी उप समितियों के अधिकार कर्त्तव्य पर स्पष्ट नियम उल्लेख किये जाने, की घोषणा नहीं की है।
३६	श्री मही लाल	महामहिम राज्यपाल के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में निम्नलिखित विषयों की चर्चा विशेष रूप से नहीं की: (१) वर्तमान आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये उनकी सरकार की विशेष नीति क्या रहेगी, (२) वर्तमान असंतुलित अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिये उनकी सरकार क्या क्या उपाय करेगी,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	
	[श्री महीलाल]	(३) विशेष रूप से संकटग्रस्त वर्गों में केवल मध्यम वर्ग की चर्चा की जब कि निम्न वर्ग की भी चर्चा करनी चाहिये थी,
		(४) बाढ़-पीड़ित भूमि व गृह विहीन लोगों के पुनर्वासन की अपनी सरकार की योजना पर प्रकाश नहीं डाला,
		(५) बढ़ते हुये अपराधों को रोकने के लिये अपनी सरकार की योजनाओं पर प्रकाश नहीं डाला ।
३७	श्री प्रताप नारायण तिवारी	राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---
		"परन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन मन्त्रियों की, कि जिनके विरुद्ध सदन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा चुके हैं, जांच कराने के सम्बन्ध में कमीशन की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया ।"
		की चर्चा नहीं की ।

श्री झारखंडेराय---

श्रीमन्, अभी भाई कृष्णानन्द राय जी ने अपनी तकरीर के दौरान में यह फरमाया जिसका आशय यह था कि हमारे देश और प्रदेश में जो संकट आया उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे देश को पास के दो मुल्कों से, पाकिस्तान और चीन से, लड़ना पड़ा, जिसके फलस्वरूप यह सारा संकट हमारे सामने आया है । मैं उनसे और उनके समर्थकों से एक दो बातें पूछना चाहता हूं कि चीन और पाकिस्तान के हमलों के पूर्व भी हमारे देश और प्रदेश में जो आज मंहगाई, बेकारी, बेरोजगारी, कीमतों का बढ़ते जाना, खाद्य संकट का उत्पन्न होना, जो कि जन जीवन की प्रमुख समस्यायें थीं, क्या वे १९६२ में २० अक्तूबर के पूर्व नहीं थीं या पाकिस्तान के हमले के पूर्व नहीं थीं? वे उसी प्रकार से विद्यमान थीं, जैसी आज है। इसलिये यह तर्क कि पाकिस्तान और चीन की लड़ाइयों के कारण ही हमारे यहां पर संकट पैदा हुआ, जनता को आश्वस्त नहीं कर सकता है। संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि मौजूदा देश और प्रदेश की सरकारें, जिन नीतियों पर आजादी पाने के बाद से चलना आरम्भ की थी उन्हीं पर आज भी चल रही हैं और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में किसी प्रकार के परिवर्तन की उसमें झलक नहीं दिखायी देती । जिस प्रकार की तोते रटन की बातें होती हैं, उसी प्रकार की बातें हमें इस महामहिम राज्यपाल के भाषण में सुनने को मिलीं । माननीय राज्यपाल के भाषण के पूर्व भी अन्य भाषणों में, जो पहले के राज्यपालों के हुआ करते थे, उन्हीं नीतियों की झलक प्रकट होती थी ।

आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय कृष्णानन्द राय जी को हमारे संशोधन दिखाई नहीं पड़े, लेकिन मैं उनसे बाअदब निवेदन करूंगा कि जो संशोधन हमारे नाम से दिये गये हैं उनमें इस प्रकार की चर्चा की गयी है कि "चीनी मिलों, बिजली कम्पनियों, सूती व जूट मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के विषय में ।" मान्यवर, जिन साधनों की समस्या की चर्चा देश के पैमाने पर भी हुआ करती है, उन्हीं साधनों के संकट की बातचीत यहां भी उठ जाती है । अभी ४ दिन पहले भी मैंने इस बात की चर्चा की थी और जब हमने आपातिक अधिभार की समाप्ति की बात उठायी थी तब भी यही कहा गया था कि चूंकि रुपये की दिक्कत है, ५ करोड़ रुपये की, इसलिये हम हटाने में विवश है । तो मैंने प्रश्न यह किया था कि अब इसके हटाने के बाद यह रुपया कहां से आयेगा । तो अब यह हो गया तो और जो अन्य कर जनता के ऊपर लगे हुये हैं और जो उसे बोझिल मालूम पड़ते हैं, जैसे भूमि भवन-कर पेशा कर और सिंचाई दरों में कमी करने की बात है, वे भी हटाये जा सकते हैं ।

जहां तक सिंचाई दरों का प्रश्न है, वे अंग्रेजों के जमाने से बढ़े ही हैं, इन्हें हमें समाप्त करना चाहिये या बहुत कम करना चाहिये तभी तो हम किसानों को सस्ता पानी देकर गल्ले की कीमत को कम करा सकते हैं। क्या हम किसानों को कोई इनिशियेटिव नहीं दे सकते हैं कि वे सस्ते दामों पर पानी लें और अधिक से अधिक अन्न पैदा करें? लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप सिंचाई के रेट्स कम नहीं करते हैं। जब हम चर्चा करते हैं कि केन्द्र और प्रान्त के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता समान होना चाहिये तो इसीलिये करते हैं कि दोनों के उपाय निकल सकते हैं एक शर्त है कि सरकार अपनी बुनियादी नीतियों में परिवर्तन कर दे और बुनियादी नीतियां यह हैं कि हमारे देश की सरकार अब तक पूंजीवादी नीति पर चलती रही है। जब तक पूंजीवादी नीतियों में बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा तब तक साधनों की समस्या का समाधान नहीं होगा और जनता की समुचित मांगों को ये शासक पूरा नहीं कर सकते हैं और जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक जनता में बढ़ता हुआ असंतोष दबाया नहीं जा सकता है।

मान्यवर, इस अभिभाषण को पढ़ कर लगता है कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहर-लाल नेहरू के निधन के बाद अब समाजवाद की चर्चा करना भी समाप्त कर दिया। यों तो उस से कोई खास बात नहीं मिलती थी, बात यही थी कि समाजवाद के नाम के साथ और उसके नाम पर पूंजीवाद पनप रहा था। आवरण समाजवाद का दिया जाता था, लेकिन वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हो रहा था। लेकिन अब समाजवाद की माला को तिलान्जलि दे दी गई है। पहले भाषण देखें तो चाहे बजट भाषण हो, चाहे राज्यपाल महोदयों के भाषण हों, उनमें एक आध जगह वह शब्द आ जाया करता था, लेकिन अब उस शब्द को भी छुट्टी दे दी गई है। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने स्थायी रूप से मान लिया है कि उसे पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखना है और बढ़ाना है, और प्रदेश तथा देश के पूंजीपतियों को खुली लूट करने की छूट दिया जाना जरूरी हो गया है। वरना मंहगाई और दामों का बढ़ना क्यों नहीं रोका जा सका? क्या राज्यपाल ने अपने भाषण में इस बात की चर्चा की है कि बढ़ती हुई मंहगाई को कैसे रोका जाय? क्या इसकी चर्चा है कि हर प्रकार के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकथाम के लिये सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाने तय किये हैं? इसकी कोई चर्चा इस अभिभाषण में नहीं है और आज पूरे प्रदेश की जनता जिस चीज से तबाह है, वह महंगाई और बढ़ते हुए दामों की दिक्कत है और इसीलिये तमाम आन्दोलनों का उभार हो रहा है।

फजूल खर्ची की चर्चा की गई है, उसके लिये रोकथाम की बात की गई है और सोचा भी जा रहा है। माननीय चरण सिंह मंत्रि मंडल में नहीं हैं, लेकिन जब थे तब उनका विचार था, वह इस की चर्चा किया करते थे कि हमारे प्रदेश के बजट में, १५, २० करोड़ रु० की बचत की जा सकती है अगर मजबूती से फिजूल खर्ची रोकी जाय और मितव्ययिता बरती जाय। लेकिन मितव्ययिता का कोई स्वरूप हमारे सामने नहीं आया। माननीय नवल किशोर जी मंत्रि मंडल में मौजूद हैं, जब वह ऐस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन थे तो उन की राय थी कि कम से कम ७, ८ करोड़ रु० बड़ी आसानी से मौजूदा बजट में बचाया जा सकता है इस ढांचे को कायम रखते हुये। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई योजना है जिससे ७, ८ करोड़ रु० बचाया जा सके?

अन्न समस्या के बारे में बराबर हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है, माननीय गेंदा सिंह इससे सहमत होंगे कि अन्न समस्या तब तक हल नहीं हो सकती है जब तक क्रान्तिकारी भूमि सुधार प्रदेश में नहीं होगा। हजारों एकड़ जमीन जो परती पड़ी हुई है जिसको हाथ चाहिये उसको हाथ नहीं मिल रहे हैं। लाखों हाथ ऐसे हैं जो जमीन चाहते हैं, लेकिन हाथों और जमीन का मेल देश और प्रदेश के पैमाने पर नहीं होता है। इसीलिये हमने कहा है कि परती, बंजर जमीन, जो बेकार पड़ी हुई है, उसका बटवारा भूमिहीनों, खेत के मजदूरों में किया जाय। माननीय हुकुम सिंह के जिले की बात मैं जानता हूं। मान्यवर, आप को अगर जाने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं। बहराइच जिले में एक तरफ ५, ६ हजार बीघे के काश्तकार हैं और उसी जिले में दसियों हजार परिवार ऐसे हैं जो बलिया, देवरिया, गोरखपुर में, घाघरा, राप्ती गंगा के कटानों से बरबाद हो गये, जिनके

[श्री झारखंडेराय]

झोपड़ियां और घर खत्म हो गये और लोग भाग भाग कर जंगलों के किनारे बसे हुये हैं और उनके पास बालिश्त भर भी जमीन नहीं है। रोज पुलिस उनको पीटती है और झोपड़ियां उनकी फूंक दी जाती हैं। हजारों लोगों को जमीन चाहिये और लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, लेकिन इन दोनों का मेल नहीं होता। फिर अन्न कैसे पैदा होगा? सरकार मानती है कि केवल ७ फी सदी अन्न प्रदेश में कम है। अगर किसानों को उचित साधन मुहइया किये जायं तो क्या वे १०० मन पर ७ मन अन्न अधिक पैदा नहीं कर सकते? मेरा विश्वास है कि कर सकते हैं बशर्ते कि उनको जमीन दी जाय, सिंचाई के साधन सस्ते रेट पर मुहइया किये जायं और उनके माल के वाजिब दामों की व्यवस्था की जावे।

चोरबाजारी के बारे में हम लोगों ने बराबर चर्चा की है। चोरबाजारी के बारे में हमारा निश्चित सुझाव रहा है कि कड़े से कड़े दंड दिये जायं ताकि उनकी नजीर बने और लोगों के लिये सच्चा भय पैदा हो जिससे ऐसा काम करने वाले पीछे हटेंगे। अगर ऐसा होगा कि पकड़े गये और रात के १२ बजे मैजिस्ट्रेट उनकी जमानत लेने कोतवाली में पहुंच गया तो कभी सच्चा भय पैदा नहीं होगा।

अभी अभी गोविन्द नारायण जी ने, जो पथभ्रष्ट समाजवादी हैं बड़े-बड़े लोगों को पकड़ने के लिये सरकार को धन्यवाद दिया। लेकिन मेरा निश्चित विचार है कि बड़े बड़े जखीरेबाज नहीं पकड़े गये हैं, बल्कि छोटे-छोटे जखीरेबाज पकड़े गये हैं १०,२० तथा ५० बोरे रखने वाले। इनकी आड़ में बड़े-बड़े जखीरेबाज बच गये और उनका गल्ला भी बच गया। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही बड़े पैमाने पर होनी चाहिये और इस तरीके से होनी चाहिये कि वे गल्ले को बचा व छुपा न सकें।

सहकारी आन्दोलन की भी चर्चा इस भाषण में की गयी है। हमारे मुख्य मंत्री जी जो बड़े समाजवादी हैं और आचार्य नरेन्द्र देव के दाहिने हाथ रहे हैं, उनकी सरकार हमारी इस निश्चित धारणा पर विचार अवश्य करेगी कि सहकारी आन्दोलन पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर चल नहीं सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में प्राफिट प्राइमरी इंसेंटिव होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में इसीलिये सहकारी आन्दोलन समुद्र में टापू के समान होता है। हर शख्स इस बात की कोशिश करता है कि कैसे रुपये का दुरुपयोग करे और जेब भरने के लिये तरह-तरह की तरकीबें करता है। जब तक कठोर कदम इस संबंध में नहीं उठाये जायेंगे तब तक यह कदम सफल नहीं हो सकता।

सिंचाई के साधनों की भी चर्चा की गयी है। हमारे प्रदेश में एक ही सूखे ने सिंचाई के साधनों को चैलेंज किया और हम चारों खाने चित्त हो गये। सूखे के कारण लाखों एकड़ जमीन में धान सूख गया और खरीफ की फसल चौपट हो गयी। हमारे सूबे में असफलता की सबसे बड़ी कसौटी यही है। मान्यवर, ऐसे वक्त में जब प्रदेश के किसी हिस्से में कोई आपत्ति आती है, चाहे वह बाढ़ की हो, चाहे सूखे की हो, चाहे ओला पत्थर पड़ने की हो-टेस्ट वर्क की चर्चा हम लोग भी करते हैं और सरकार भी टेस्ट वर्क खोलती है। जितने की मांग हम लोग करते हैं उतने तो नहीं, लेकिन खोलती है, परन्तु उसमें मजदूरी का रेट वही पुराना बाबा आदम के जमाने का, अंग्रेजी राज्य की गुलामी का निशान आज भी बना हुआ है। इस संबंध में एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि कम से कम कानूनों के अन्दर वे पुराने तौर तरीके, जो गुलामी की जहनियत के बने हुये हैं और जो आजकल की डेवलपिंग इकोनामी में बिलकुल ही अनुपयोगी हैं, उनको छोड़ देना चाहिये। टेस्ट वर्क की मजदूरी पुराने हिसाब से बिलकुल नहीं होनी चाहिये। आज जो वहां मजदूरी बढ़ाई गयी है वह बहुत नाकाफी है और उससे बच्चों को, औरतों को तथा मरदों को कभी भी प्रेरणा नहीं मिल सकती है कि वे वहां आकर काम करें। इसलिये मैं चाहता हूं कि टेस्ट वर्क की मजदूरी पी० डबल्यू० डी० के काम के रेट पर दी जाय और उस पर अमल किया जाय। साथ ही काम स्थायी किया जाय। होता यह है कि टेस्ट वर्क के नाम पर जल्दी में कोई काम ले लिया, कहीं मिटटी फेंकवा दी, लेकिन बरसात आते ही वह मिट्टी बह

गयी, फिर मामला जहां का तहां रह गया और जनता के पैसे का भी अपव्यय हो गया। काम तो वह लिया जाना चाहिये जिसके लिये कोई निश्चित योजना हो, जैसे कल को कोई पक्की सड़क बनानी है तो उस सड़क को ही टेस्ट वर्क में लिया जाय, इससे फायदा यह होगा कि जनता का पैसा अच्छे कामों में व्यय होगा, वरना व्यर्थ के लिये पैसा अपव्यय करने में क्या फायदा है ?

मान्यवर, इस भाषण से हमारे पूर्वांचल के लोगों को जरूर निराशा हुई होगी। हमारे बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ के संबंध में पहले भी कई बार यहां चर्चा हुई और सरकार ने भी कुछ ऐसा वायदा किया था कि आजमगढ़ के इन्दारा और बलिया के रसड़ा इन दो स्थानों में से किसी एक स्थान पर सहकारी चीनी मिल जरूर खोली जायगी। हमारे आजमगढ़ के लोग उसे इन्दारा में चाहते थे जब कि बलिया वाले रसड़ा में चाहते थे। खैर, इसमें ५-७ मील का फर्क आता, कहीं भी सहकारी चीनी मिल खुल जाती तो सिंचाई की सुविधा होने की वजह से गन्ने की फसल जो वहां पैदा होती है, उसकी खपत वहां हो सकती थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे ?

पटेल कमीशन की भी बड़ी ही दुखद कहानी है। एक तरह से उसकी भ्रूण हत्या हो गयी। पटेल कमीशन ने जो भी अपनी रिपोर्ट दी उसकी कोई भी बात अमल में नहीं आयी और एक तरह से वह सारी योजना ही समाप्त हो गयी। पटेल कमीशन से हमारी मांग यह थी कि जिन जिलों के लिये यह कमीशन कायम हुआ था, उसकी योजनाओं को पूर्वांचल के बस्ती, गोरखपुर आदि जिलों में भी लागू किया जाय। माननीया सुचेता जी ने इस बात का वायदा भी किया था कि पटेल कमीशन की सिफारिशें और पूर्वी जिलों में भी लागू की जायेंगी, लेकिन और जिलों की तो बात छोड़ दी जाय जिन जिलों के लिये पटेल कमीशन नियुक्त किया गया था, उन जिलों तक में उन योजनाओं पर कोई अमल नहीं हो पाया।

अब लगता है कि उत्तराखंड के विकास के लिये जो पृथक् पर्वतीय बोर्ड की स्थापना की चर्चा की गयी और जिसके बारे में पर्वतीय क्षेत्र से आये हुए कई मेम्बरों ने भी कहा है, माननीय मुख्य मंत्री भी उसी क्षेत्र से पधारे हैं कहीं उसकी भी वही पटेल कमीशन सी गति न हो जाय, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि वहां कोई काम हो। इस के लिये मैं आशंका इसलिये व्यक्त करता हूं कि पटेल कमीशन द्वारा की गयी सिफारिशों पर कोई अमल नहीं किया गया। तो मुझे डर सा लगता है कि कहीं इस पर्वतीय विकास बोर्ड की भी वही गति न हो जाय। उत्तराखंड में चमोली, उत्तरकाशी, आदि जिले जो आते हैं, उनके विकास के लिये केंद्रीय सरकार से २८ करोड़ रुपया मिला था, लेकिन एस्टिमेट कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में, जब कि हमलोग वहां गये थे, हमारे साथ में माननीय विष्ट जी भी थे, जो उस समिति के कनविनर थे, हमें मालूम हुआ कि २८ करोड़ रुपये में से लगभग आधे रुपये का अपव्यय हुआ है। नैनीताल तराई इलाके में माननीय पंत जी के जमाने में करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर उस जमाने की पूरी रिपोर्ट सरकार के सामने आ जाय और माननीय मुख्य मंत्री किसी विशेषज्ञ से संक्षेप में ही वहां की सारी स्थिति जान लें तो मेरा खयाल है कि उनकी आंखें खुल जायेंगी कि उत्तराखंड में किस तरह से रुपये का अपव्यय किया गया है। इसीलिये मैंने आशंका व्यक्त की है कि कहीं पर्वतीय विकास बोर्ड की भी वही गति न हो जाय।

मान्यवर, गांवों को बिजली देने के बारे में मुझे बड़ी शिकायत है। बिजली बोर्ड ने पहले अच्छा काम किया था। उन्होंने काफी गांवों को बिजली दी थी। लेकिन इधर सरकार की नीति बदली है और गांवों को बिजली देने की स्कीम कम हो गयी है। सरकार की कोई स्थिर नीति नहीं है। कभी नीति है कि गांवों को बिजली दी जाय, कभी यह नीति है कि पानी के कुंओं को बिजली दी जाय। मैं समझता हूं कि स्थिर नीति का अभाव सरकार को हमेशा डावांडोल रखेगा। गांवों को बिजली देने की स्कीम में कमी नहीं होनी चाहिये, वह बढ़नी चाहिये।

[श्री मारखंडेराय]

उद्योग और श्रम की चर्चा करते हुए माननीय राज्यपाल ने बड़ी शांति की बात की है और उसकी बड़ी प्रशंसा की है। मैं समझता हूं कि वह शांति स्मशान की शांति है। वह शांति हम नहीं चाहते हैं। इसलिये कि हमारे प्रदेश के बहुत से इलाकों में, हाथरस, बनारस और यहां लखनऊ में भी उद्योग संस्थायें वर्षों से बन्द पड़ी हैं। उनको खुलवाने की ओर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि हजारों आदमी जो बेकार हो गये हैं वे काम पा सकें या उनके खुलने से हजारों आदमियों को काम मिल सके। इतना ही नहीं, कानपुर के बड़े-बड़े कारखाने महीनों बन्द पड़े रहे जिसकी चर्चा इस सदन में पिछली बार बराबर की गयी है, लेकिन उन कारखानों को खुलवाने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और जो उठाया गया वह बहुत देर में उठाया। हमारी मांग रही है कि जो पूंजीपति सरकार से किये गये वायदों का पालन नहीं करते हैं, श्रम बोर्ड से जो तय हुआ है उसका पालन नहीं करते हैं, या मजदूरों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं उनके खिलाफ सरकार को कदम उठाना चाहिये। जब पूंजीपतियों के सामने सरकार लुंज-पुंज हो जायगी तो वह सरकार के कैरेक्टर को बताती है कि वह सरकार बुनियादी तौर पर पूंजीवादी सरकार है। सरकार को इन नीतियों से हटना चाहिये।

मान्यवर, हर विभाग की चर्चा राज्यपाल के भाषण में है क्योंकि वह तो लिखा लिखाया मामला रहता है जिसे वे पढ़ देते हैं। वन विभाग के बारे में हम लोगों की बहुत गहरी शिकायतें रही हैं। वन विभाग के नाम पर बहुत लम्बी चौड़ी जमीनें घेर ली जाती हैं। हजारों एकड़ जमीन वन विभाग के नाम पर घिरी हुई है। उसमें अगर कोई दो सौ एकड़ का टुकड़ा है तो उसमें सिर्फ ४,५ पेड़ लगे हैं और वर्षों से। यह भी नहीं कि अगर घेर लिया है तो उसमें फिर पेड़ लगा ही दिये जायं, लेकिन सिर्फ दो, चार पेड़ खड़े हुये हैं। जनता उसको छू नहीं सकती है। बगल में अगर कोई किसान दो बिस्वा जमीन भी चाहता है तो वह उसमें से पा नहीं सकता और उसका उपयोग न वन विभाग में हो रहा है न कृषि उत्पादन में किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसी जमीनें, जो नाममात्र को घेर ली गयी हैं, उनको गरीब किसानों को बांटा जाय ताकि हमारे सूबे का अन्न उत्पादन बढ़ सके।

पहाड़ी इलाकों में जो गये होंगे उन्होंने पहाड़ की ढलानों को देखा होगा। वहां जंगल लग सकता है। उससे जंगल का धन भी मिलेगा, पानी से कटाव भी रुकेगा, बाढ़ भी कम आयेगी, जो उसके निश्चित लाभ हैं वे हमको मिलेंगे। लेकिन उन ढलानों पर जंगल लगाने की कोशिश नहीं की जाती है बल्कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

सड़कों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे जिले में बहुत काम की सड़कें हैं, दो तहसीलों को जोड़ने वाली हैं। कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो तहसील के बहुत से महत्वपूर्ण गांवों से होते हुये जाती हैं। उनकी तरफ सरकार की बहुत उपेक्षा है। यह पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है और मध्य में भी है। मैं किसी खास जिले के बारे में नहीं कहना चाहता। एक्सपर्ट्स की बुद्धि सब से ऊपर मानी जाती है। उन्होंने हुक्म दे दिया कि बार्डर रोड बनेगी। वह बन रही है देहली से गौहाटी तक। उसकी क्या उपयोगिता है? उनका इस्तेमाल हमले के समय फौज द्वारा किया जा सकता है तो समझ में नहीं आता है कि इस तरह से डबल और ट्रिबल सड़कें बनाने से क्या फायदा होता है। इसके नाम पर सूबे की दूसरी जगहों की उपेक्षा होती जा रही है। इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

यातायात के राष्ट्रीयकरण का जो कदम हमारे सूबे में शुरू किया गया था उसका हम सबने स्वागत किया था और सरकार के लिये यह बड़ी भारी आमदनी वाला विभाग है। लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी-बड़ी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम्पनियां चल रही रही हैं जो गवर्नमेंट रोडवेज का मुकाबला करती हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इनको

अपने हाथ में ले लेना चाहिये । मुझे सूचना है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से प्रमुख व्यक्ति इन कम्पनियों में शामिल हैं । इसलिये वे नहीं चाहते हैं कि जो सड़कें ले ली गई हैं उनके अलावा और सड़कें ली जायं । यह समाजवाद का जो एक छोटा सा कदम बढ़ाया गया है, जो एक बहुत ही छोटे से पैमाने पर है, उसकी गति चींटी से भी कम है, उसको तेज करना चाहिये और सरकार को जल्दी से जल्दी घोषणा करनी चाहिये कि कितने वर्षों में सूबे की तमाम सड़कों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा ।

अन्त में, मैं एक दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । इस अभिभाषण में गांव सभाओं के चुनाव की भी चर्चा की गई है और घोषणा की गई है कि १९६७ के अन्त तक गांव सभाओं और विकास क्षेत्रों का चुनाव हो जायेगा और उसके लिये लिस्ट जो आम निर्वाचन में रही है वही आधार मानी जायगी । मेरा सुझाव यह है कि जो सूची बनी है, वह गलत है और इसमें हजारों आदमियों के नाम छूट गये हैं । एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि गांव के हावी लोग जैसे जमींदार, ठाकुर वगैरह जो गांव के लोगों पर छाये हुये हैं और तथाकथित नीच जाति के लोगों को दबाकर रखते हैं, वे होशियारी के साथ लेखपाल, सेक्रेटरी और बी० एल० डब्लू वगैरह से मिलकर ऐसी लिस्ट बनवा लेते हैं जिसमें हजारों आदमी छूट जाते हैं । इसलिये यदि इसी लिस्ट से चुनाव कराये जायेंगे तो बड़ा अन्याय होगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि एक बार फिर इस लिस्ट में संशोधन होना चाहिये और इसके बाद आगे बढ़ना चाहिये ।

अन्त में मैं अपील करूंगा कि जिस तरह से आपने चवन्नी लगान समाप्त किया है उसी तरह से कम से कम जैसे आज ही मुख्य मंत्री जी ने राजनीतिक बंदियों के बारे में एलान किया है, इसमें हिंसा और अहिंसा का कोई सवाल नहीं है, यह तो नौकरशाही का एक तरीका है, वही मुख्य मंत्री जी ने पढ़ दिया है । वैसे इसकी जरूरत नहीं है । हम जानते हैं कि वे इससे ऊपर हैं । ऐसे भूमि भवन कर, जो कि जनता के ऊपर एक दबाव का कारण बना हुआ है उसे भी समाप्त करने का मुख्य मंत्री जी एलान करेंगे । इन शब्दों के साथ जो संशोधन दिए हैं उनका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राजबहादुर (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

इस भाषण के संबंध में ?

श्री राजबहादुर—

नेता विरोधी दल के संशोधन के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष—

कहिये ।

श्री राजबहादुर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम १९ को आप देखने की कृपा करें । नियम १९(६) इस प्रकार है कि : "ऐसे प्रस्ताव की चर्चा पर संकल्पों के विषय से सम्बद्ध नियम यथोचित परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे" । इसी प्रकार नियम ९४ इस प्रकार है कि "जब कोई संकल्प विचाराधीन हो तो कोई सदस्य संकल्पों से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुये उस संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे" तथा नियम ८९(२) है "कि उससे सारतः एक ही निश्चित वाद विषय उठाया जायेगा ।"

[श्री राजबहादुर]

माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें बहुत से प्रस्ताव एक साथ हैं। जैसे यह रखा गया है कि यह सदन महामहिम राज्यपाल के संबोधन के लिये धन्यवाद प्रकट करता है उसी तरह से नेता विरोधी दल को एक ही प्रस्ताव रखना चाहिये था। इसमें बहुत से प्रस्ताव जोड़ दिये गये हैं। इसलिये निवेदन है कि वह प्रस्ताव नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष---

इस तरह कोई बातों की चर्चा करना वर्जित नहीं है। माननीय राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा है उन सारे विषयों पर संशोधन करने की इजाजत हो सकती है और होनी चाहिये भी। इसलिये वह तो उसका फार्म है। वह आज मैंने सुविधा के लिए कर दिया कि जितने और संशोधन थे वह प्रस्तुत मान लिये गये। उनको प्रस्तुत करने में समय नहीं लगाया गया।

श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आज अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय कृष्णानन्द राय द्वारा धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय राज्यपाल ने इस सदन में आकर माननीय सदन को सम्बोधित किया यह हमारे लिये बहुत सौभाग्य का विषय था, किन्तु उस दिन विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण का सदन में बहिष्कार किया, वह स्वस्थ परम्परा नहीं है। विरोधी दल के माननीय सदस्य बराबर लोकतंत्र और जनतंत्रीय व्यवस्था की दुहाई देते हैं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहिष्कार किया वह इस बात का सबूत है कि उन की जनतंत्र में अनास्था है। जो संयुक्त विधायक दल विभिन्न पार्टियों को मिलाकर बना हुआ है उसमें विशेषकर जनसंघ के सदस्य हैं। जनसंघ के सदस्य, जो हमेशा भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह भारतीय संस्कृति के अनुकूल है कि यदि कोई माननीय अतिथि हमारे दरवाजे पर आये तो हम उसका बहिष्कार करें? जिस प्रकार विरोधी दल के सदस्यों ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया वह खेदजनक है। भविष्य में इस तरह की परम्परायें न बनायी जायं। (व्यवधान) इस सदन में बजट की बातें पेश हुईं। उस समय विरोधी दल के नेता, माननीय रामचन्द्र विकल ने कहा कि हमने न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर तालमेल बैठाया है। अगर यह तालमेल कर के चुनाव से पहले वह जनता के सामने गये होते तो ठीक होता। लेकिन चुनाव के समय एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे उसके बाद अब न्यूनतम कार्यक्रम की बात करते हैं। विरोधी दल के माननीय सदस्य कहते हैं कि चुनाव में कांग्रेस को जनता का विश्वास नहीं प्राप्त हुआ। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस को जनता का विश्वास प्राप्त है। यह आज न्यूनतम कार्यक्रम की बात कही जाती है। ठीक है, हमें खुशी होगी कि यदि भविष्य में भी ऐसा वातावरण बना रहे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जहां राज्यपाल के अभिभाषण में तमाम चीजों का समावेश किया गया है और एक लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ कुछ बातें दर्शायी गयी हैं, किन्तु वहां समाजवाद की ओर, जैसा कि हमारे माननीय मारकंडे राय जी ने भी कहा, चलने के लिये, उसे प्राप्त करने के लिये हमारा क्या कदम होगा, समाजवाद का हमारा ढांचा क्या होगा, इसकी तरफ कोई बात नहीं कही गयी है? जब कि यह माननीय राज्यपाल का नीति-निर्देशक प्रवचन था और इसमें यह बातें आ जानी चाहिये थीं कि हमारी सरकार की नीति क्या होगी, अगले पांच वर्षों के लिये सरकार का कार्यक्रम क्या होगा। माननीय राज्यपाल का अभिभाषण ऐसा ही रहा जैसे कि किसी मरीज का उपचार करने के लिये उसे छिटपुट दवायें दी जायें किन्तु रोग से मुक्त करने के लिये कोई प्रभावकारी औषधि न दी जाय। हमारे प्रदेश के सामने जो तमाम बुनियादी प्रश्न हैं, उनके

विषय में हमारी सरकार ने क्या योजनायें बनायी हैं, माननीय राज्यपाल के भाषण में उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । वे बुनियादी प्रश्न गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, फिजूल-खर्च, भ्रष्टाचार, जातीयता और साम्प्रदायिकता के हैं । ये वे प्रश्न हैं जो प्रदेश को चारों तरफ से बुरी तरह से घेरे हुये हैं । हमारे माननीय नेता सदन, जिनके ऊपर इस प्रदेश का शासन चलाने का भार आया है, का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये था, जिससे इस प्रदेश की जनता को आभास मिलता कि अगले ५ साल में कांग्रेस सरकार क्या नीतियां चलायेगी और इन प्रश्नों को कैसे हल करेगी यानी इन समस्याओं को हल करने के लिये क्या कदम उठायेगी, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल का ध्यान इन नीतियों की तरफ नहीं गया है ।

कुछ बातों की तरफ अवश्य उनका ध्यान गया है, जैसे गल्ले के उत्पादन और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास आदि की बात कही गयी है, लेकिन मूल प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि जब तक इन समस्याओं का निराकरण करने के लिये कोई संगठित और नियोजित कदम नहीं उठाया जायेगा, इस प्रदेश का और साथ ही इस देश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है । आप देखें, इस समय भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, किन्तु उसे दूर करने के लिये कोई बात नहीं उठाई गयी है । फिजूलखर्ची इतनी बढ़ी हुई है कि माननीय भूतपूर्व राजस्वमंत्री जब सूखाग्रस्त ईलाकों का भ्रमण करने गये और जिला फैजाबाद भी गये तो उनके सामने कुछ ऐसे सवाल आये कि सरकार को बताया गया कि नालियां बन गयी हैं, कागज पर नालियां बन गयी हैं, किन्तु फील्ड में कहीं उनका अस्तित्व नहीं है, उनके नाम पर तमाम पैसे का अपव्यय कर लिया गया है । फिजूलखर्ची कैसे दूर की जायेगी, इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये था, केवल शाब्दिक भाषण करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है । गरीबी और फिजूलखर्ची की ही तरह जातीयता की समस्या भी, देश की आजादी के २० साल के बाद भी देश में पूरी तरह छायी हुई है, लेकिन जनतन्त्र को खत्म करने वाली जो मूल चीजें जातीयता जैसी हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है । इस समय माननीय गोविन्द सहाय जी सदन में नहीं हैं । मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूं । मैंने छात्र जीवन में साम्प्रदायिकता विरोधी और जातीयता विरोधी कदम उनके नेतृत्व में उठाये हैं । वह इस मंत्रि-परिषद् के सम्मानित सदस्य हैं; लेकिन उनकी इस मंत्रिपरिषद् द्वारा इस दिशा में कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया है । इतना ही नहीं, यह भी मंत्रिपरिषद् पर आरोप लगाया जाता है कि मंत्रिपरिषद् का गठन भी जातीयता के आधार पर किया गया है । '(हर्षध्वनि) आज इस प्रदेश में चुनाव के मैदान में जातीयता और साम्प्रदायिकता का जैसा प्रचार हुआ वह बात भी किसी से छिपी नहीं है । आज प्रदेश में दूसरी मुस्लिमलीग 'मजलिसे मुशब्बरात' साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रही हैं और उसे रोकने के लिये, उस वातावरण को समाप्त करने के लिये, राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है । मैं अपने नेता सदन से निवेदन करूंगा कि जब उनकी मंत्रिपरिषद् बैठे तो वे इन बुनियादी प्रश्नों पर अवश्य कोई नीति बनावें जो कारगर हो । साथ ही मैं नेता विरोधी दल, श्री रामचन्द्र विकल जी से भी चाहूंगा कि वे इस कार्य के लिये सरकार को अपना सहयोग दें और ऐसी योजनाएं बनायी जांए कि हमारा प्रदेश जो सात प्रश्नों से घिरा हुआ है, उसके वे प्रश्न दूर हो जाएं ।

मान्यवर, मैं अब अपने जिले की कुछ बातें कहना चाहता हूं । अभी माननीय झारखंडेराय जी ने पटेल आयोग की बात जो कही है मैं उनकी राय से सहमत हूं । पटेल आयोग पूर्वी जिलों के १६, १७ जिलों की समस्याओं के बारे में था कि उनके पिछड़ेपन को दूर किया जायगा, लेकिन ४ जिलों में ही वह योजना लागू की गयी । माननीय भूतपूर्व वित्तमंत्री, कमलापति जी, माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी और माननीय राज्यपाल ने स्वयं फैजाबाद जाकर यह आश्वासन दिया था कि फैजाबाद भी पटेल आयोग के अन्तर्गत आयेगा, लेकिन वह आज तक नहीं हो सका ।

(लाल बत्ती होने पर)

मेरा समय हो गया । मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं । अयोध्या आज इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं, सारे भारतवर्ष में एक विशिष्ट स्थान रखता है । वाराणसी और हरिद्वार का

[श्री राजबहादुर द्विवेदी]

तो जीर्णोद्धार हो सकता है, लेकिन अयोध्या पर राज्य सरकार की निगाह आज तक नहीं जा रही है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अयोध्या के विकास की ओर ध्यान अविलम्ब दिया जाय। वहां अवधी भाषा का एक रेडियो स्टेशन कायम किया जाय।

दूसरी बात है यह कि इस प्रदेश की हर कमिश्नरी में कोई न कोई विश्वविद्यालय है लेकिन फैजाबाद कमिश्नरी ही एक ऐसी कमिश्नरी है जहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय अविलम्ब स्थापित करने की घोषणा की जाय।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रस्तावक महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि संशोधन पेश करने का औचित्य है और चूंकि उन्होंने माना है कि नेता संयुक्त विधायक दल ने अपने संशोधन में औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में रखकर कृषि वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण हो, जो रखा है वह उचित है इसलिये उन्हें इन संशोधनों को स्वीकार कर ही लेना चाहिये।

प्रस्तावक महोदय ने चुनाव की कुछ चर्चा की है। उनकी चर्चा का आधार यह था कि वर्तमान सरकार और उनके दल के प्रति जो असंतोष है उसका मूल कारण देश पर होने वाले आक्रमणों से उत्पन्न परिस्थितियां हैं। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वह दल, जिसकी आज सरकार है, ५२ में उस के सदस्य संख्या क्या थी और आज ६७ में वह कितनी घटी है, किस प्रतिशत से घटी है।

एक सदस्य---

आप उस समय नहीं थे।

श्री महीलाल---

हां, मैं भी उसी दल में था। ६२ तक तीसरा एलेक्शन हुआ था, उस समय तक उस दल का उम्मीदवार रहा। उस समय तक दल की जो स्थिति घट कर आयी थी उस पर जरा विचार कीजिये। उस समय किस युद्ध का असर था? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि असंतोष का कारण केवल वह परिस्थितियां नहीं हैं जो युद्ध के कारण हमारे देश और प्रदेश के सामने आयी हैं, बल्कि असंतोष का कारण सरकार की नीतियां और उनका कार्यरूप में परिणत करना ही है जिसने जनता में असंतोष को बढ़ाया है और अब आप यह कह कर जनता के असंतोष को शान्त नहीं कर सकते कि कुछ खाने की चीजों की कमी है, मूल्य बढ़ गये हैं इसलिये कुछ असंतोष है। मैं आपसे कहता हूं कि असंतोष का मूल कारण आज समाज में आर्थिक विषमता है जिसकी ओर सरकार ने कोई भी ठोस कदम आज तक नहीं उठाया। मेरे मित्र झारखंडे राय जी ने समाजवाद की बात कही। क्या यह एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिस को आप स्वीकार करें कि आपने पैसे वालों और पूंजीपतियों के भय से या उनके भ्रम में आकर समाजवाद का नाम भी लेना छोड़ दिया है। आपको समाजवाद का नाम लेते भय लगता है।

दूसरी बात मैं नहीं कहता। मैं विरोध में बैठा हूं और अभी कुछ दिन पहले आपसे अलग होकर आया हूं इसलिये मुझ पर आक्षेप हो सकता है कि आप ठुकराये हुए हैं इसलिये ऐसा कहते हैं। मैं नहीं कहता, बल्कि मेरे मित्र श्री गोविन्द नारायण जी ने स्पष्ट आपसे

कहा है कि भूमि की सीमा निर्धारण का उद्देश्य यह था कि भूमि पर काम करने वालों को आप भूमि दें। क्या आप यह बता सकते हैं कि इस सरकार ने जोत भूमि की सीमा निर्धारण के बाद कितनी भूमि अपने हाथ में ली और उस में से कितनी भूमि खेतिहर मजदूरों को दी? मैं अपने जिले की बात जानता हूं। मेरे हजारों प्रयत्न करने के बावजूद एक भी भमिहीन खेतिहर मजदूर को सीलिंग की निकाली हुई भूमि नहीं दी गयी। और इतना ही नहीं, जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, जो गृह विहीन और भूमिहीन हो गये थे मैंने प्रयत्न किया, सुझाव दिया, लेकिन सीलिंग की भूमि उनको न देकर उन्हीं लोगों को दी गयी जिन के कि फार्म्स से वह निकली थी। असंतोष का कारण आपकी यह नीति है। ऐक्ट में भी ऐसा ही प्राविजन किया गया था। जब वह विधेयक अधिनियम का रूप ले रहा था उस समय मैंने आपत्ति की थी और मैं माननीय उन सदस्यों से, जिन्होंने यह आक्षेप किया कि मैं भी उधर ही था, निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने उस समय पेश किया था और जो मेरी आपत्ति थी वह कृपा कर उसे निकाल कर पढ़ लें कि यह धोखा दिया जा रहा है, यह भूमि की सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है बल्कि उत्तर प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के, इस प्रदेश के असहाय निर्बलों को धोखा दिया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, जिस पर उस समय के माल मंत्री जी सदन से उठ कर चले गये थे। उस समय मैंने यह कहा था कि यह बिल आपका प्रतिक्रियावादी है और जो बात मैंने उस समय कही थी वह आज सत्य सिद्ध हुई और उसी का फल है कि यह सरकार एक भी भूमिहीन मजदूर को इसके मातहत भूमि नहीं दिला सकी। आज यह बात मैं ही नहीं कहता हूं, माननीय गोविन्द नारायण जी की बात को ही दोहरा रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, असंतोष के कारण कहां तक गिनाऊं। यह सरकार खुद जिम्मेदार है अपने प्रति असंतोष पैदा करने के लिये। कहा जाता है कि किसान को कृषि विकास के लिये ऋण दिया जायगा। कभी इस सरकार के किसी माननीय सदस्य ने किसी एक विकास क्षेत्र को ले कर वहां का अच्छी तरह से विश्लेषण किया है कि सरकार की नीति के मुताबिक किसी विकास क्षेत्र में किसानों को सही तरह पर ऋण वितरित किया गया हो? वहां होता क्या है? होता यह है कि जो सरकार के कृपापात्र होते हैं उनके लिये सरकार के सदस्यों के टेलीफोन जाते हैं, उस विभाग के मंत्रियों के टेलीफोन जाते हैं कि उन साहब पर ५० हजार रुपया तो पहले से है लेकिन यह जो दस हजार की ट्रक्टर की तकावी है वह भी उनको दे दो और उनको ही वह दे दी जाती है। एक दर्जन मिसालें मैं आप को ऐसी दे सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी छोटे किसान पर १० रुपया बाकी है तो उसको जेल में बन्द कर दिया गया है और मेरे जिले में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास २०-२० हजार ५०-५० हजार रुपये इस सरकार के १५ साल से बकाया हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आप मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये कि वही लोग माननीय मुख्य मंत्री के जन्म दिन पर कुछ अच्छी थैलियां भेंट कर सकते हैं जो छोटा किसान नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दिल रोता है। मुझे कोई खुशी नहीं है कि मैं आज उस दल की सरकार का विरोध कर रहा हूं जिसमें रह कर मैं पनपा हूं और बना हूं, लेकिन मुझे खेद है कि जिन लोगों की आबादियां कट गयी हैं, जिनके पास घर नहीं हैं, भूमि नहीं है यह सरकार उनको तालाब का पानी पिलाती है, नल की व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पाती है। मैं घूमने गया तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में वहां के हरिजनों को तालाब का पानी पीते हुए देखा, फिर एक दानी से प्रार्थना करके एक नल लगवा करके आया हूं। इस सरकार की रुचि ही ऐसे कार्यों में नहीं है। सरकार की रुचि केवल एक है कि येन-केन-प्रकारेण सरकार की सत्ता उनके हाथ में रहनी चाहिये-यही एक उद्देश्य है। इसके आगे यदि उद्देश्य हो तो मुझे नहीं मालूम।

क्या यह असंतोष के लिये काफी नहीं है कि राज बन्दियों की जमानतों के लिये तो आफिसर्स को नींद आ जाय, उनके पास समय नहीं है और मुरादाबाद कोतवाली में, जिन लोगों को पकड़ा गया रात के १२ बजे वहीं जमानत सिटी मैजिस्ट्रेट से क्या नहीं दिलायी गयी? यह तो अभी चन्द दिन पहले की बात है। मैजिस्ट्रेट साहब उन समाजद्रोही तत्वों को जमानत

[श्री महीलाल]

देने के लिये कोतवाली में तशरीफ लाये रात के १२ बजे, हथकड़ी भी उनके नहीं पड़ी। और कोई बेचारा भूखे परिवार के लिये अगर कहीं किसी रोजगार की खोज में जाय तो सरकार की पुलिस १०९ में उसे बन्द कर दे बिना देखे कि यह भूखा है, जरूरतमन्द है और अपने भूखे परिवार को पीछे छोड़ कर आया है, लेकिन ये समाजद्रोही तत्व जो समाज का न केवल कष्ट पहुंचाते हैं, बल्कि समाज को भ्रष्ट करते हैं, आपकी नीतियों का खोखला करते हैं, आपका उनके साथ दया का बर्ताव है।

श्री अध्यक्ष---

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री महीलाल---

मुझे एक बात कहने की आज्ञा दे दें। सरकार अपनी मौलिक नीतियों पर पुनः विचार करे और उससे ज्यादा इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि वह मौलिक नीतियां एक प्रतिशत भी कार्यक्रम में परिणत हो रही हैं या नहीं।

*श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल को धन्यवाद के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय कृष्णानन्दराय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने और विपक्ष से जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, नेता विरोधी दल की ओर से झारखंडेराय जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया उसमें और बात के साथ यह भी कहा कि किसी प्रकार का आभास महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जनता के हित का नहीं मिलता। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि उनकी नयी सरकार ने लगान पर से आपातिक अधिभार समाप्त करने का फैसला लिया है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा कदम है जिसका उस ओर से स्वागत होना चाहिये था। अगर माननीय नेता विरोधी दल ने यह प्रस्ताव रखा होता और वे बोले होते तो मुझे विश्वास है कि वे अवश्य इसका स्वागत करते और इसके लिये सरकार को बधाई देते। मैं समझता हूं नेता विरोधी दल को सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात से हुई होगी।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री प्रताप सिंह पीठासीन हुये।)

मान्यवर, इस अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के विषय में भी कहा गया है। इस सरकार ने पदारूढ़ होते ही उनकी समस्या का एक ऐसा समाधान निकाला जिससे सभी कर्मचारियों को संतोष मिला।

सरकारी कर्मचारियों के अलावा, इसी अभिभाषण में लोकल बाडीज के कर्मचारियों को भी, ५ रुपया वेतन बढ़ाने का जिक्र किया गया है। इसी के साथ मैं सरकार का ध्यान पंचायतराज के कर्मचारियों की ओर भी दिलाना चाहूंगा। जिला परिषद् के क्लर्क, पंचायत सेक्रेटरी तथा ब्लाक आर्गेनाइजर आदि ऐसे कर्मचारी हैं जो बराबर लोकल बाडीज के कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन दुख का विषय है कि पंचायत राज के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की ओर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। पंचायत राज के कर्मचारियों में तथा लोकल बाडीज के कर्मचारियों के वेतन में बहुत बड़ा अन्तर है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

जहां तक अधिक अन्न उत्पादन का प्रश्न है, इसके लिये मैं समझता हूं कि सरकार यदि किसानों के लिये सिंचाई की ही समुचित व्यवस्था कर दे तो अन्न उत्पादन की समस्या हल हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकती है और उत्पादन काफी बढ़ सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पूरे प्रदेश में इस बात का सर्वेक्षण कराये कि कहां पर नलकूप लगाया जा सकता है, कहां पर नहरें निकाली जा सकती हैं, कहां पर कुंवां बनाया जा सकता है और कहां पर कौन सा सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सकता है, यह सर्वेक्षण करा कर जहां जो साधन उपलब्ध हो सक, वह किया जाय। सरकार को सिंचाई की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त किसान को लम्बी किश्तों पर रुपया कर्ज के रूप में देना चाहिये। हर साल सिंचाई की जो अस्थायी व्यवस्था सरकार करती है उससे बहुत से धन का अपव्यय होता है। सरकार को चाहिये कि वह सिंचाई की स्थायी व्यवस्था करे।

पंचायतों के बारे में माननीय झारखंडेराय जी ने जो जिक्र किया मैं उनकी बात से सहमत हूं। यह जो निर्वाचन-नामावली है उसमें बहुत से नाम छट गये हैं। गुप्त मतदान की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। म चाहता हूं सरकार को ऐसा अवसर भी देना चाहिये कि जो नाम छूट गये हैं वह लिस्ट में बढ़ाये जा सकें।

में साथ ही यह भी चाहता हूं कि अदालत पंचायतों के जो क्षेत्र हैं, उनमें भी परिवर्तन करने का अवसर दिया जाना चाहिये जिससे कि बहुत सी पंचायती अदालतें जो ठीक से नहीं हैं उनका गठन नये सिरे से हो सके। इधर से श्री गोविन्द नारायण तिवारी ने कहा और उधर से भी कहा गया, कि छोटे किसानों की मालगुजारी जरूर माफ होनी चाहिये। उनकी आमदनी इतनी नहीं होती है कि वे लगान या दूसरी चीजों की जरूरतों को पूरा कर सकें। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो प्रस्ताव मुजफ्फरनगर के अधिवेशन में पास हुए हैं उनको पूरी तरह मान लिया जाय।

इसके अलावा, ग्राम समाज की फालतू भूमि के विषय में मैं कहना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अधिकतम जोत सीमा से जो जमीन निकली है वह भूमिहीनों को दी जायेगी परन्तु वह नहीं दी गई है। जिनके पास पहिले से ही जमीन थी उन व्यक्तियों ने अपने बच्चों और औरतों के नाम से वह जमीन ले ली है। मैं मांग करूंगा कि प्रधान से पट्टा लिखने का अधिकार ले लेना चाहिये और सरकार स्वयं उसकी देखभाल करे और देखे कि जो वास्तव में भूमिहीन हैं उन्हीं को जमीन दी जानी चाहिये। यह भी कहा गया कि पटेल स्कीम पूर्वी जिलों के सुधार के लिये बनी उसका बहुत प्रचार हुआ। परन्तु दूसरे भाग के यानी पश्चिमी जिलों के लोग नाराज हुए कि बहुत धन पूर्वी जिलों पर खर्च किया जा रहा है। परन्तु मान्यवर, इन पूर्वी जिलों का उससे कोई कल्याण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, अभिभाषण में बहुत सी बातों का संकेत किया गया है जिससे इस सरकार की प्रगतिशीलता या आगे बढ़ने का संकेत मिलता है जैसे, खाद्य समस्या, मंहगाई रोकने के लिये, आदि-आदि। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इससे पहले कि मैं किसी वक्ता का आह्वान करूं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाद-विवाद के समय सदन नहीं छोड़ना चाहिये और दूसरों का भाषण सुनना चाहिये।

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस सदस्य को आपने पुकारा वे खड़े नहीं हुए थे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे कृपया बैठ जाय।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में जो दूसरा अनुच्छेद है, उन्होंने उसमें सबसे पहिले चुनावों की प्रशंसा की है और उसमें कहा गया है कि चुनाव निष्पक्ष और उचित हुए हैं। मेरा आपसे कहना यह है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने रुपया खर्च किया है और अपनी सरकार का दुरुपयोग किया है अगर यह सब न होता तो जितने लोग कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं वे भी दिखाई न देते। इस समय स्थिति यह है कि ७० प्रतिशत जनता ने विरोधी दलों को चुनकर भेजा है और ३० प्रतिशत जनता की नुमायंदगी करते हैं ये कांग्रेस वाले और ३० प्रतिशत जनता के प्रतिनिधि भी यह नहीं हैं क्योंकि इनमें से भी अधिकतर वोट इन्होंने प्राप्त किये हैं पैसे से और प्रभाव से। जब यह दोनों प्रकार की चीजें यहां मौजूद हैं फिर किस प्रकार से कहा जा सकता है कि यहां पर निष्पक्ष रूप से चुनाव हुए हैं?

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह जनसंघ भारतीय संस्कृति के नारे लगाता है। ठीक है, लेकिन उनके यहां इस प्रकार का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि अनुचित कार्य अथवा अन्याय को कहीं प्रश्रय देने की बात हो अथवा जन भावना का निरादर करने की बात हो तो उसका विरोध न किया जाय। विरोधी दलों की सरकार हो, इस बात को ७० प्रतिशत जनता के नुमायंदे ही चाहते हों, ऐसी बात नहीं है, बल्कि शत प्रतिशत जनता इस बात को चाहती थी और कांग्रेस वाले भी इस बात को चाहते थे कि विरोधी दलों की सरकार बन जाय। लेकिन राज्यपाल महोदय ने इस विषय में बहुत अनुचित कार्य किया जो गैर कांग्रेसी सरकार न बनने दी। जब ५ मार्च को २१५ विधायकों के नाम माननीय विकल जी ने माननीय राज्यपाल को दे दिये थे और गुप्ता जी दे नहीं पाये थे तो तुरन्त ही राज्यपाल महोदय को विकल जी को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करना चाहिये था। लेकिन उन्होंने श्री सी० बी० गुप्त को गड़बड़ करने का पूरा समय दिया। यह गुप्ता जी, माननीय राज्यपाल की ही साजिश नहीं थी, बल्कि इसमें प्रधान मंत्री इन्दिरा जी भी शामिल थीं। प्रधान मंत्री के चुनाव के समय पहले गुप्ता जी ने मुरार जी दे साई का साथ दिया था। लेकिन इस समय आकर उन्होंने इंदिरा जी का पल्ला पकड़ा और इसलिये इन्दिरा जी ने भी गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार इन लोगों ने शत प्रतिशत जन भावना का निरादर किया है। अतः इस विषय में हमने जो वाक आउट किया था वह न्यायोचित था तथा हमने राज्यपाल के विरुद्ध जो खेद प्रकट किया है वह हमारा अधिकार है।

आज जनता दो बातों को अवश्य चाहती है। एक तो करों में कुछ रिआयत की जाय और दूसरे मंहगाई, खास कर खाद्यान्न की मंहगाई को कम किया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इस सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से अपनी नीतियों से हम लोगों को अवगत कराया है क्या उसमें मंहगाई और करों को कम करने की कोई बात है? नहीं है। इसीलिये जनता गैर-कांग्रेसी सरकार को बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसको अन्न सस्ता मिलता, व्यवसाय कर और भूमि भवन कर को समाप्त किया जाता। लेकिन इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जिन माननीय सदस्य ने इस धन्यवाद के प्रस्ताव को रखा है उन्होंने कुछ तो पाकिस्तान और चीन के एग्रेशन पर इसकी जिम्मेदारी को डाल दिया और दूसरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर डाल दी कि उसने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिये पैसा नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया; मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके पास साधन हैं उनमें ही आपने कौन सी मितव्ययता की? जहां भी नान-कांग्रेस सरकारें बनी हैं वहां पर ५०० रुपये वेतन की घोषणा की गई है और कई मंत्रिपरिषद् के सदस्य तो केवल एक रुपया मात्र ही टोकिन वेतन लेंगे, लेकिन आपने इस दिशा में कोई घोषणा नहीं की है और पहले की तहर ही भत्ते और वेतन लेने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक पहले दर्जे में रेल का सफर करने की बात है या १५ रुपया रोज दैनिक भत्ते की बात है उसको भी आसानी से कम किया जा सकता है तो वह जरूर किया जाय और हम उसके लिये तैयार हैं और साथ ही मंत्रि परिषद् के मौजूदा वेतन और भत्ते कम होने चाहिये। इस तरह की मितव्ययिता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इसी तरह से बी० डी० ओज० का वही जाल बिछा हुआ है और जो आज भ्रष्टाचार का आधार बने हुए हैं। उनसे किसानों को न तो कोई राहत ही मिली है और न कोई लाभ ही हुआ है। ऐसे ऐसे विभागों को आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं और धन को बचा सकते हैं। इससे काफी मितव्ययिता हो सकती है। आपने इधर कुछ छापे डलवाये ताकि अनाज कुछ बाहर आये, लेकिन वे भी आपने चूंकि नई सरकार बनाई है और आप जनता के सामने कुछ नई चीज लाना चाहते थे इसलिये डलवाये हैं ताकि जनता कहे कि खाद्यान्नों के मूल्य को घटाने का यह सरकार प्रयास कर रही है, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिस समय आपने इन छापों का सन्देश नीचे भेजा तो जिलाधीश, कमिश्नर, डी० एस० ओ० और रीजनल फूड कंट्रोलर और वहां के स्टाफ ने पहले से ही सूचित कर दिया कि हम छापे डालने वाले हैं और बहुत सा माल पहले ही हटा दिया गया और जिनको पकड़ा भी गया था उनको भी बाद में छोड़ दिया गया। मेरे पास अपने नगर के ही कई उदाहरण हैं। अगर आप ऐसे छापे डालना ही चाहते हैं तो आप पहले यह कीजिये कि वहां से इन पूर्ति विभाग के अधिकारियों और रीजनल फूड कंट्रोलर को हटवा दीजिये और यहां बुलाकर बिठा दीजिये उसके बाद आप छापे डलवाइये इन लोगों का संबंध व्यापारियों से रहता है और जब तक वह रहेंगे आप को सफलता नहीं मिल सकती।

श्री अधिष्ठाता--

सदन में 'आप' शब्द का प्रयोग केवल अध्यक्ष के लिये होता है, सरकार के लिये नहीं। इसलिये आपके स्थान पर सरकार का प्रयोग कीजिये।

श्री मोहनलाल कपूर--

मैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके इन डी० एस० ओज० व रोजनल फूड कंट्रोलर पर कड़ी निगाह रखी जाय और तब छापे डाले जायं तभी कुछ हो सकता है।

नगरपालिकाओं की सेवाओं का भी कुछ जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में किया है और जिस तरह से सेनीटरी इंस्पेक्टर्स व ओवरसियर्स आदि की जो सेवायें केन्द्रित की गई हैं प्रदेशीय स्तर पर उसका फल यह है कि नगरपालिकाओं की स्वायत्त सत्ता ही समाप्त हो गई है, और उस पर अतिक्रमण किया गया है, इससे अनुशासनहीनता फैल गयी है जो बहुत ही अनुचित है।

अन्त में एक बात यह भी कहना जरूरी है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अध्यापकों के संबध में कोई बात नहीं कही है। आज कल के समय में सरकारी और गैर सरकारी लोगों के वेतनों की विषमता उचित नहीं है, वह दूर होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया।

[श्री कमलाप्रसाद (जौनपुर) का नाम पुकारे जाने पर]

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आपने जो कहा कि यह मेरी ड्यूटी है, तो यह ड्यूटी आप की जरूर है, लेकिन....

श्री अधिष्ठाता---

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

अधिष्ठाता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी पीठासीन हों उनको हमारी जो यहां की प्रक्रिया नियमावली है उसके अनुसार गाइड होना पड़ता है....

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप मुझे मेरे कर्त्तव्य का ध्यान न दिलायें । आप बैठें। श्री कमला प्रसाद उपाध्याय जी अपना भाषण शुरू करें ।

श्री राम सुन्दर शास्त्री--

जो नियम है वह आप सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अभी बैठें , मुझे उसका अध्ययन करने दें ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

नियम २८७ में लिखा हुआ है कि--"२८७--अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना--जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़े हों तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे । यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जायेगा उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा ।"

श्री अधिष्ठाता---

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

हम खड़े थे और आप ने दूसरे का नाम पुकार लिया ।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने कमलाप्रसाद उपाध्याय जी को बुला लिया है ।

*श्री कमलाप्रसाद (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में कुछ कहूं। महामहिम राज्यपाल ने प्रदेशीय सरकार की जो नीति है उसके सभी अंगों पर प्रकाश डाला है । हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं और अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको भी मैंने सुना । जहां तक सूखे की स्थिति का सामना करने का सवाल है हमारे यहां खेती में प्रकृति के ऊपर निर्भर करना पड़ता है । साल भर अथक परिश्रम करके किसी तरह इस लायक हुए कि कुछ अनाज हुआ, उधर पाला पड़ा इधर पछुआ हवा चली, फिर १४ से लेकर २६ मार्च तक पत्थर ने उसको साफ कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च ध्यान कृषि पर देना चाहिये किसान को आज पानी की जरूरत है तो पानी तुरन्त मिलना चाहिये । आज पानी की जरूरत है तो पानी के साधन की व्यवस्था करने लगें तो पानी नहीं मिलता है । इतने दिन से कृषि पर ध्यान दिया गया, अधिक अन्न उपजाओ आदि बातें की गई, मगर व्यावहारिक शक्ल उसको नहीं दी गयी । हम देखते हैं कि इस साल सूखे का सामना करने के लिये पम्पिंग सेट्स या छोटे-छोटे कुएं आदि की जो व्यवस्था की गई है उसके कार्यान्वयन में कमियां हैं । पम्पिंग सेट के लिये सरकार ने काफी रुपया वितरित किया, बिजली की लाइन फिट हो गई, लेकिन बिजली नहीं मिली । पानी का स्तर कुओं में नीचे चला गया, कुओं की बोरिंग अधिकांश असफल हो जाती है । जौनपुर की बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बोरिंग मशीन है जिले भर में और वह दिसम्बर तक सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में रही । बड़े परिश्रम के बाद एक रिग मशीन आयी तो किसी तहसील में लटकी हुई पड़ी है। तो बोरिंग नहीं हो पाती है इसलिये पम्पिंग सेट सुचारु रूप से काम नहीं करते हैं । आप इसकी जानकारी करायें कि कितने कुएं बोर किये गये और कितनों की सफाई की गयी। मैं कहूंगा कि बोरिंग अधिकांश असफल हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त खाद्य समस्या पर राज्यपाल ने उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की तरफ भी इशारा किया है और उसके बारे में मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यदि उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाय और उनको माल सुलभ तरीके से दिया जाय तो ये संस्थायें मार्केट में कम्पिटीशन ला सकती हैं। परन्तु उनके सामने दिक्कतें हैं, सेल्स टैक्स की, दिक्कतें हैं, octroi की, माल के आने में देर होती है। जो सरकारी अधिकारी हैं और जो यातायात के साधन हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेन्ट हैं, वे उनके साथ सौतेले जैसा व्यवहार करते हैं। उनको माल लाने में खबर देने में डिले की जाती है, उससे उनको फायदे के बजाय नुकसान होता है। सप्लाई डिपार्टमेन्ट भी हमेशा इन संस्थाओं को डिस्करेज करता है। यदि मार्किट में कम्पिटीशन लाना चाहते हैं, खाद्यानों के दामों की मंहगाई गिराना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की संस्थाओं को प्रोत्साहित करें। जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने गांधी आश्रम के माल पर केवल १/३ किराया लेने की सुविधा दे रखी है, उसी प्रकार से उपभोक्ता सहकारी संस्थानों के साथ भी व्यवहार किया जाना चाहिये। तभी आप मंहगाई को रोकने में समर्थ हो सकेंगे।

जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, उसके बारे में महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में संकेत किया है। मैं जौनपुर जिले का रहने वाला हूं और उसकी ओर, आपके द्वारा, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की आबादी केवल १८ लाख की है। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यह एक डैफिसिट डिस्ट्रिक्ट है। वहां के अधिकतर ऐसे लोग हैं जो अपने घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार करते हैं और ६–६ वर्ष घर नहीं आते हैं। उनके परिवारों को साल भर भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। जौनपुर जिले की मंडियों में पश्चिमी जिलों से खाद्य पदार्थ आने के बावजूद भी गल्ला नहीं मिल पाता है। जौनपुर में एक खाद का कारखाना लगाने की बात उठायी गयी, सर्वे भी हो गया, लेकिन १९६१ में वह गोरखपुर में कर दिया गया। जौनपुर के लिये अब बहुत ही आवश्यक हो गया है कि वहां पर एक औद्योगिक इकाई कायम की जाय जिससे वहां के लोग बम्बई, और अहमदाबाद अपने परिवारों को छोड़कर न जायं और उनको अपने जिले में ही रोजगार मिल सके। शाहगंज में एक शूगर मिल है जिससे केवल फैजाबाद और आजमगढ़ जिले ही लाभान्वित होते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जौनपुर में वे एक औद्योगिक इकायी कायम करने की कृपा करें।

श्री नेमपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय कृष्णानन्द जी राय ने धन्यवाद के प्रस्ताव को पास करने का प्रस्ताव रखा, पर मुझ जैसे गरीब और परेशान आदमी को ऐसा लगा कि महामहिम राज्यपाल को सामान्य जीवन की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें किसानों और मजदूरों की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिये मुझे यह अभिभाषण बिल्कुल भी पसन्द नहीं आया है। माननीय कृष्णानद राय ने इंग्लैन्ड का इतिहास शुरु कर दिया जब कि उसकी जरूरत नहीं थी। मैं भी जरा इस सिलसिले में एक उदाहरण पेश कर दूं :

"Like the British robbers. savage
You impoverish India pill
The former enricked by pillage
England and you your pockets fill.

अपने इस भाषण के प्रारम्भ में राज्यपाल महोदय न प्रजातंत्र की दुहाई दी है लेकिन जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने मुख्य मंत्री के साथ षडयंत्र करके सरकार की स्थापना की है उस संबंध मे मैं एक बात साफ कर दूं :

Abrahim Lincolons liberal view of democracy is falsified
Gandhi's judgments piousand true Expired with his grim homicide.

[श्री नेमपाल सिंह]

इस सब पर मुझे अफसोस भी होता है और शर्म भी आती है। एक छोटी सी समस्या खेती को ही ले लीजिये। मुमकिन है राज्यपाल महोदय ने खेती नहीं की हो। खेती की परेशानी को मैं जानता हूं। राज्यपाल महोदय होते तो अपने हाथ के ठेठ भी दिखा देता जो केवल फावड़े से ही पड़ सकती है। उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पादन में निरन्तर विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की लगभग सवा ४ करोड़ भूमि एकड़ में खेती होती है, लेकिन एक करोड़ एकड़ भूमि में ही दो फसली खेती होती है। सिंचाई के बढ़े हुए साधनों का इससे ही आप आन्दाजा लगा सकते हैं। जब तक दो फसली खेती के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

इसके अलावा बिजली के कनेक्शन साधन सम्पन्न लोगों को ही दिये जाते हैं और ४० फीसदी लोग ही कनेक्शंस पाते हैं। ६० फीसदी किसान पानी के लिये तरसता है। सरकार इस तरह से समाज की समस्या का समाधान कभी भी नहीं कर सकती। १०० करोड़ रुपया भारत सरकार सालाना को इम्पोर्टेड गल्ले पर खर्च करना पड़ता है। यह खर्चा केवल ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज तथा डिस्ट्रीब्यूशन का है उसकी कीमत को छोड़ दीजिये, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं हो पाती है। अगर १०० करोड़ रुपये में उत्तर प्रदेश का हिस्सा १ करोड़ रुपया मान लिया जाय और अगर उसको कुवें खुदवाने में खर्च किया जाय तो १ लाख कुवें तैयार हो जायेंगे, लेकिन एक लाख कुवें एक साल में कभी नहीं बनवाये गये। राज्यपाल महोदय ने समाजवाद के नारे को भी अपने भाषण में गोल कर दिया। उसी के आधार पर हर समस्या हल हो सकेगी। अगर सिंचाई की समस्या ग्राम सभाओं के सुपुर्द कर दी जाय, बिजली के कनेक्शंस व्यक्तिगत लोगों को न देकर ग्राम सभाओं को दे दिये जायं तो इससे गरीब किसानों को भी फायदा हो सकेगा और पैदावार बढ़ सकेगी।

उन्नत बीज का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने वायदा किया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १०० फीसदी उन्नत बीज का इन्तजाम हो सकेगा, लेकिन अभी तक २५ फीसदी का ही इन्तजाम हो सका है और खर्च सारा हो गया, जितना कि उन्नतिशील बीज के लिये रखा गया था। लेकिन यह जो ७५ फीसदी की कमी रह गयी है उसके लिये कौन जिम्मेदार है। वही गिने चुने चेहरे जो बार बार यहां मंत्रि पदों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, आज भी यदि जैसे के तैसे रहते चले आयेंगे तो कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए आपके द्वारा सरकार को और खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यह सूचना देना चाहता हूं कि अगर सरकार किसानों और मजदूरों का भला करना चाहती है, उनकी जीवन संबंधी समस्याओं के बारे में सही जानकारी हासिल करना चाहती है और अगर चाहती है कि वे वास्तविक रूप से अपने जीवन को निभायें तो वह उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें।

एक बात मैं आपके द्वारा और निवेदन कर दूं कि फैमिली प्लानिंग के बारे में अभिभाषण में जिक्र किया गया है। तो इस सिलसिले में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जरा इसको भी सरकार बतला दे कि सरकारी पदों पर जो मंत्री बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने भी फैमिली प्लानिंग में कुछ हिस्सा लिया है ? धन्यवाद।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय झारखन्डेराय जी ने आज जो बिचार उत्तराखन्ड के बारे में जाहिर किये हैं, मैं उस सिलसिले में दो चार शब्द कहना चाहता हूं। माननीय झारखन्डे राय जी के साथ जो समिति बनी उसके द्वारा उत्तरा खन्ड के लोगों ने सरकार से मांग की थी कि वहां जिला परिषद् का गठन होना चाहिये क्योंकि

वहां बढ़ती हुई नौकरशाही से जनता खुश नही है। वहां अधिकारियों का एक जमघट सा हो गया है। वहां के लोगों की मांग है कि निर्माण कार्यों को हम अपने हाथ में लें और वहां का विकास जिला परिषद् के द्वारा हो, लेकिन वहां के लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित सा किया गया है। इसके लिए कई बार मांग की गयी रामनगर में एक बार मीटिंग भी आयोजिन की गयी जिसमें यह निश्चय हुआ कि उत्तराखन्ड के तीन जिलों में जिला परिषदें कायम की जायें। अब वहां की समस्याओं को हल करने के लिये, विकास और निर्माण के लिये जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों एवं नगरमहापालिकाओं का गठन होना चाहिये। परन्तु आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकृष्ठ करना चाहता हूं कि वहां शीघ्र से शीघ्र जिला परिषदें कायम करने की कोशिश करे। आज वहां अन्न संकट है और लोगों के सामने भुखमरी की सी स्थिति है। वहां के लोगों की मांग है कि इस समस्या का कोई निदान शीघ्र होना चाहिये लेकिन देखा जाता है वास्तविक रूप से वहां कोई भी उच्च अधिकारी आने की कोशिश नहीं करता है। वहां के कुछ हरिजन और भोटिया भाई आज तरुण जो एक जंगली पौधा है उसका दाना खाकर अपनी गुजर करते हैं। वहां कहीं-कहीं पर दस दस और पांच पांच मील पर सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हुई है। इस दृष्टि से वहां सस्ते गल्ले की दूकानों का पुनर्गठन भी होना चाहिये ताकि कोई आदमी भूखा न रहे। साथ ही गल्ले का कोटा बढा कर लोगों को राहत दी जाय। दो साल से वहां सूखा भी पड़ा है।

साथ ही कहीं-कहीं पहाड़ के ऊपर सामान पहुंचाने के लिये भी साधन उपलब्ध नहीं है। यातायात के लिये पहले जो कुमायूं मोटर की सहूलियत थी उसे भी बन्द कर दिया गया है। लोगों की मांग है कि वहां कुमायूं मोटर शाखा जो इन दिनों बन्द है उसे खोल दिया जाय जिससे टनकपुर धारचुला और मुंस्यारी तक यातायात की सुविधा सुलभ हो जाय।

एक समस्या और है। वहां पर भोटिया बन्धु जोकि तीस हजार से ज्यादा है जिन्होंने देश की आजादी में अपनी कुरबानी की बहुत से लोगों ने अपने घर बरबाद किये जो देश की सुरक्षा के लिये अपनी जान देने के लिये तैयार है और जितनी भी योजनाएं चालू हैं उनमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग उत्तराखंड व कुमायूं में जमींदारी उन्मूलन के बाद वे घरबार से हो गए हैं। यह ३०,००० से अधिक भोटिया है जिन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की लडाई में अपना सहयोग दिया। उनके पुनर्वास की समस्या है। जमीदारी उन्मूलन के बाद उनके पास जमीन नहीं रही है केवल मकान रह गये हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सब से पहले सीमांत के निवासियों की जो अधिकतर भोटिया बंधु है। उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। टनकपुर में रुद्रपुर में या भाबर में। नहीं तो वहां पर एक असन्तोष का वातावरण रहेगा जिसका मुकाबला हम नहीं कर पायेंगे। यही मैं कहना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता—

इससे पहले कि अगले वक्ता का मैं आवाहन करूं में सरकारी पक्ष और विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण है मगर सरकारी पक्ष में केवल ३९ लोग बैठे हैं और विरोधी पक्ष में केवल ५६ लोग बैठे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि दोनो पक्ष अपने दल के अधिक से अधिक लोगों को यहां बैठने के लिये कहें।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

एक सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि पिछली विधान सभा में यह परम्परा रही है कि १ बजे से ले कर २ बजे के बीच अगर कोई माननीय सदस्य जलपान करना चाहें या कोई शारीरिक आवश्यकता होतो बाहर जा सकते है। मैं ऐसा समझता हूं कि २ बजे के बाद ही सदन में उनसे बैठने के लिये कहा जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

मैं माननीय रामायणराय जी से यह कहूंगा कि मैंने यह कोई व्यवस्था नहीं दी है कि आप जलपान नहीं कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को यहां बैठना चाहिये ।

*श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---

अधिष्ठाता महोदय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत ऊंची ऊंची बाते कही गयी हैं। आज की स्थिति में जो असंगति है वह यही है कि जब कभी हम नीति निर्धारण करते है या उस पर विचार और चर्चा करते है तो बहुत ऊंचे ऊंचे सिद्धान्त उसमें देखते है । लेकिन जब कोई चीज अमल में लायी जाती है । तो इतनी विकृत हो जाती है कि उस पर हंसी आती है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी विफलता है वह यही है कि जहां उसने अपने प्रस्तावों में अपने भाषणों में और अपने चुनाव घोषणाओं में बहुत ऊंचे ऊंचे सिद्धान्तों का निर्धारण किया है वहां जब वे कार्यान्वयन के क्षेत्र में पहुंचते है तो वे बिल्कुल ही विकृत और भ्रष्ट हो जाते है। इसी सम्बोधन में महामहिम राज्यपाल ने अन्तिम पैराग्राफ में कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने किया है कि लगान पर जो २५ प्रतिशत अधिभार था उसको हटा लिया है और मैं समझता हूं कि यह कहते हुये उन्होंने बहुत ही गौरव का अनुभव किया और ऐसा महसूस किया जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जा कर देखें तो आपको बड़ा अचम्भा होगा कि यह अधिभार खरीफ की फसल में ही ५० प्रतिशत वसूल कर लिया गया है और आगे आने वाली रबी का भी वसूल कर लिया गया है। दूसरे दुःख की बात यह है कि अगर कहीं यह रह भी गया है तो बडे किसानों पर ही बाकी है मगर छोटे किसानों से खरीफ की फसल में ही ड्योढा लगान वसूल कर लिया गया है ।

राज्यपाल महोदय को यह भी कहना चाहिये था कि जिन लोगों से रबी की फसल का लगान खरीफ में वसूल कर लिया गया है वह वापस किया जायेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और जैसा कि सरकारी का रवैया रहा है उससे जनता में यह भावना है कि सरकार ने धोखे से जो रुपया ले लिया है उसको वह वापस नहीं करेगी ।

इसके साथ ही साथ एक बहुत ही दुखजनक बात यह है कि चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ था कि जमीन पर से लगान या मालगुजारी हटा दी जायेगी। अगर कांग्रेस शासन में आई तो यह लगान समाप्त कर दिया जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को उल्लेख करना चाहिये था कि उनकी सरकार इसको हटा देगी। यह भी कहा गया था कि भमि भवन कर लोगों को बहुत दुख देने वाला है इसलिये इसको भी हटा दिया जायेगा। वृत्ति तथा व्यापार कर के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान निकला था कि उन्होंने इस कर को इस लिये अदा नहीं किया कि चुनाव के बाद जो सरकार आयेगी वह इसको हटा देगी। आज सारे प्रदेश की जनता इन टैक्सों से अत्यंत दुखी और त्रस्त है और राज्यपाल महोदय के भाषण में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।

सिंचाई के संबंध में यह कहा गया है कि प्रदेश में ६६ प्रतिशत सिंचाई होने लगी है और रकबा करीब एक करोड़ २७ लाख एकड़ हो गया है। इस वर्ष और पिछले वर्ष की स्थिति यह है कि सारा प्रदेश असिंचित क्षेत्र है। अगर आप लोग धोखे मे हो कि प्रदेश का कोई स्थान सिंचित है तो यह गलतफहमी होगी। प्रदेश में गल्ले की कमी का कारण यह है कि यहां पर सिंचाई की व्यवस्था अस्तव्यस्त है। पहले तो नहरों में पानी ही नहीं आया और अगर आया तो जो सिंचाई विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी थे उन्होंने उस पानी को बहुत बुरी तरह से बेचा है। हमारे जिले इटावा की भर्थना तहसील में एक ओवरसियर हैं उन्होंने ७०० रुपये लेकर खन्दी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कराई है। जो किसान नहर से पानी ले सकता था वह नहीं ले पाया। एक काश्तकार ने अपनी दुख कथा इस प्रकार सुनाई कि उसके चक में पानी देने के लिये कुलाबे की जरूरत पड़ी। उससे ८५ रुपया लेकर कुलाबा रखा। दुबारा जरूरत पड़ने पर फिर से रिश्वत ली और तब उसको सिंचाई करने का मौका दिया। तीसरी बार जरूरत पड़ी तो रिश्वत लेकर खन्दी कर दी। नतीजा यह हुआ कि उसका सारा गल्ला वह ओवरसियर खा गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा भ्रष्टाचर रहेगा तो काम कैसे चल सकता है? आपको पता होगा कि इटावा में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीत नहीं सका। इसका कारण यह था कि राज्य सरकार ने एक नेता को संतुष्ट करने के लिये सारी जनता को असंतुष्ट कर दिया।

मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां एक सब-डिप्टी इंसपैक्टर आफ स्कूल्स है। जब व सरविस में आय तभी से यानी १५ साल से इटावा में नहीं है। जिला परिषद के अध्यक्ष ने भी उनके खिलाफ सरकार को डी० ओ० लिखा जिस पर सरकार ने उनका तबादला किया। लेकिन उनका इतना दबाव सरकार पर था कि इससे उन्होंने इटावा नहीं छोड़ा और सरकार को मजबूर होकर उनका तबादला कैंसिल करना पड़ा। उनके पास सरकारी काम तो बहुत कम है। उन्होंने लेनदेन की एक दूकान खोल रखी है और अध्यापकों को ऊंची सूद पर रुपया उधार देना उनका काम है। जो चपरासी उनको मिला हुआ है वह सुबह आकर दुकान खोलता है और झाड़ू बुहारू करता है। दफतर तो वह घंटे डेढ घंटे को जाता है। इसके अलावा सारे समय दुकान का काम करता है। भ्रष्टाचार के जरिये वे अध्यापको का तबादला कर सकते हैं, नम्बर बढा सकते हैं कहने का मतलब यह है कि वे इस तरह के काम करते हैं। लगभग एक हजार रुपया माहवार की उनकी आमदनी है। मैं जानना चाहता हूं कि किस किस बूते पर यह शासन को शुद्ध और अच्छा बनाना चाहते है। जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनके पास एक गाड़ी है उससे बराबर चुनाव में कांग्रेस का काम हुआ और उन्होंने कांग्रेस के लिए कनवेंसिग की। ऐसी सूरत में यह स्वाभाविक ही है कि जनता का असन्तोष बढ़ता चला जाय।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में चार निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ कर गोली मार दी और यह दिखाया कि यह डाकू थे। उनसे मुठभेड़ हुई और उसमें वे मारे गए। उसके बाद उसके विरोध में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ और जांच पड़ताल हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन चार मृतकों का पंचनामा लेने के लिए पड़ोस के थानेदार को आना चाहिए था लेकिन वहां के एस० पी० ने दूर के थानेदार सुरेन्द्रसिंह को वहां भेजा और उन चार मृतकों का झूठा पंचनामा भराया गया। यह इतना बड़ा कांड है जिसके कारण जिले की जनता पर बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है और जनता कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से बहुत क्षुब्ध हो गयी है। सरकार अब भी सही तौर पर सोचे और सी० आई० डी० के द्वारा जांच कराए जो झूठे पंचनामे की जांच करे नहीं तो पुलिस निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करके अपनी बहादुरी का तमगा लेती रहेगी।

विकास विभाग की हालत बहुत खराब है। बिना रिश्वत लिए हुए तकावी नहीं मिलती। जिनको कुएं के लिए तकावी मिल गयी है उनको सीमेंट नही मिलता। रोज आदमी ब्लाक के दफ्तर को दौड़ता है, लेकिन सीमेंट नहीं मिलता। इसलिए जो राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की तरफ से है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

*श्री देवीसहाय वाजपेयी (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, जो श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्री राज्यपाल ने अपने कार्यकाल में जो उदारता का परिचय दिया, जो योग्यता से आनबान के मौके पर, जब कि उनके जमाने में दो-दो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवी सहाय बाजपेयी]

युद्ध हुए हों उस मौक़े पर प्रान्त की बागडोर सम्भाली है, मुल्क में अमन कायम रखा है, ऐसे राज्यपाल की किन शब्दों में सराहना की जाय। आम चुनाव के बाद मुल्क में बादल से छाए हुए थे। उन्होंने जिस प्रकार छानबीन करके प्रदेश की सरकार बनायी उसके लिए उनको मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मैंने पूर्णरूप से उनका भाषण सुना। उन्होंने उसमें सारी चीजों का जिक्र किया है। एक तो इमर्जेन्सी के जमाने में काश्तकारों पर जो लगान बंधा हुआ था उसको वापस किया और कर्मचारियों, विद्यार्थियों और हरिजनों के सिलसिले में पूर्णरूप से जिक्र किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोकप्रिय सरकार बनी है बाकी और कार्य उसके द्वारा होने चाहिए।

मुल्क की आर्थिक स्थिति बिगड़ने की जो बात कही गयी, मुल्क में दो-दो लड़ाइयां हुयीं उससे आर्थिक स्थिति बिगड़ी। अरबों रुपया लड़ाई के दौरान में खर्च किया गया। यह रुपया मुल्क के काश्तकारों में, विकास योजनाओं में, मुल्क के रहन-सहन को ऊंचा उठाने में खर्च किया जा सकता था, किन्तु वह अरबों रुपया मुल्क की तैयारी में खर्च करना आवश्यक था। इसलिए आवश्यक था कि हमारे ऊपर लड़ाई लादी गयी और वह रुपया खर्च किया गया इसलिए परिस्थिति बिगड़ी, इसलिए भी बिगड़ी कि २–२ व ३–३ अकाल पड़ जाने व पानी न बरसने के कारण। इन विषम परिस्थितियों में खाद्य के सिलसिले में जो कदम उठाए गए हैं और बजट में जो सुधार किया गया है, उससे साफ मालूम होता है कि खाद्य की समस्या जल्द ही हल होने वाली है।

जहां तक पूंजीपतियों की बात कही गयी, मैं भी उस शहर में रहता हूं जहां पर बड़े-बड़े पूंजीपति हैं। मैं इसके सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है। राज्यसभा में और म्युनिसिपैलिटीज तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सदस्य के रूप में जो पूंजीपति लोग विराजमान हैं उनको आप देखें कि वे किस पार्टी के समर्थन पर वहां पर विराजमान हैं तो यह बात आपको साफ हो जायगी। कांग्रेस की तरफ से उनको कभी नहीं चुना गया। यह भी आप देखें कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों और बड़े-बड़े दूकानदारों ने किन लोगों को सपोर्ट किया है, उससे भी आपको पता चल जायगा कि कांग्रेस पूंजीपतियों के साथ नहीं है उनके साथ दूसरे ही लोग हैं। इन लोगों ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों और दुकानदारों से गठबन्धन कर रखा है जिससे कि यह तेजी बनी हुई है।

मैं भी चाहता हूं कि भूमि-भवन-कर हटना चाहिए और हमें आशा भी है कि सरकार उस पर विचार करेगी। जिस प्रकार सरकार ने चवन्नी लगान हटा कर सुधार किया है, उसी प्रकार से किसी न किसी दिन इस पर भी यह सरकार विचार करेगी और उसे वापस लेगी।

जहां तक अपदस्थ महापालिकाओं का सम्बन्ध है, बहुत दिन तक इनका प्रशासन सरकारी प्रशासक के हाथ में रहना ठीक नहीं है, उसके लिए भी समय दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अब उसे और बढ़ाया न जाय और उनके चुनाव कराए जाएं और उस पर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री पूरा-पूरा अमल करें। इस समय जो कुएं सूख रहे हैं वहां पर महापालिकाओं की तरफ से उन कुओं की मरम्मत कराने की व्यवस्था सरकार को पूरी-पूरी करनी चाहिए, जिससे कि गरीब लोग पानी पी सकें, यह महापालिका की जिम्मेदारी है।

हमें एक शिकायत और भी है, प्रदेश के अन्य किसी जिले में पूर्ण राशनिंग नहीं है, केवल हमारे कानपुर शहर में ही पूर्ण राशनिंग है, वह इसलिए है कि १० लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों पर पूर्ण राशनिंग का प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार ने लगाया है। लेकिन जब यह और कहीं नहीं है तो कानपुर में भी पूर्ण राशनिंग के बजाय आंशिक राशनिंग हो जाय तो अच्छा है। इसलिए यह अच्छा है कि इससे चोरबाजारी दूर होगी। ऐसी व्यवस्था करते समय आवश्यकतानुसार अनाज के दुकानदारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं जिससे कि किसी प्रकार की अनियमितता और बेईमानी की गुंजायश न बनी रहे। व्याप्त चोरबाजारी और बेईमानी को कैसे रोका

जाय, उसका तरीका यही है कि जो भी बड़े अफसर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर आदि हो उसे ही दंडित किया जाया करे, क्योंकि वह दुकानें एलाट करता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और फिर भी अगर कार्ड फर्जी बन जाएं और ब्लैक हो तो सबसे बड़े अफसर के खिलाफ कार्यवाही की जाय। छोटे-छोटे कर्मचारियों की इंक्वायरी भी उन्हीं के जरिए से होती है। लेकिन हर चीज बड़े-बड़े अफसरों के खिलाफ ही मालूम होती है, यदि वे कोशिश करें तो इनमें सुधार हो सकता है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं श्री राज्यपाल जी ने जिस योग्यता के साथ प्रदेश का प्रशासन चलाया है और अभिभाषण दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री रामसुन्दर शास्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

बोलने के सम्बन्ध में इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। आप कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री रामसुन्दर शास्त्री को बुला लिया है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

मान्यवर, जहांमहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में जो विरोधी पक्ष की ओर से संशोधन किया गया है उसी के सम्बन्ध में मैं बोलने जा रहा हूं। हमारी सरकार के पक्ष के लोगों ने जो भाषण दिए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वह यह देखें कि आज पूरे देश में कई गैर कांग्रेसी सरकारें कायम हुई हैं और उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं मालगुजारी की माफी, विद्यार्थियों की तीन महीने की फीस की माफी, सूखे और भुखमरी से तबाही, लगान और दूसरी सरकारी वसूलयाबी के बारे में, उन्होंने बीसियों कदम जनहित में उठाए हैं। तो मेरे साथी जब बोलने खड़े हों तो पूरे हिन्दुस्तान की तस्वीर को सामने रखकर बोलें। आखिरकार हम लोगों ने जो संशोधन पेश किए हैं इस अभिभाषण में उनकी क्या कमियां हैं और उनको मानने में क्या एतराज हो सकते हैं वह आपको बताना चाहिए था। मैं संशोधन की दो चार मोटी-मोटी बातें रखता हूं :—

"(१) बढ़ती हुई महंगाई को रोकने व कीमतों को नीचे लाने के विषय में सुनिश्चित योजना,

(२) राज्य कर्मचारियों की बरखास्तमी की नोटिसें वापस लेनें, निलम्बित कर्मचारियों को बहाल करने, छटनी रोकने और मुकदमे वापस लेने के विषय में,

(३) राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर चलने वाले मुकदमे वापस लेने, राजनैतिक बन्दियों को रिहा करने के विषय में,

(४) मालगुजारी की प्रथा समाप्त करने के विषय में,

(५) सिंचाई की दरों में कमी करने के विषय में,

(६) कृषि कार्यों के लिए सस्ते रेट पर बिजली देने के विषय में,

(७) भूमि-भवन-कर, पेशाकर की वापसी के विषय में,

(८) नगरमहापालिकाओं के निर्वाचन के विषय में,

(९) प्रदेश के बन्द मिलों व कारखानों को पुनः खुलवाने के विषय में,

(१०) मिल मजदूरों की छटनी के विषय में,

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

(११) प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के विषय में,

(१२) ग्राम ग्रान्दोलन से सम्बन्धित छात्रों पर चलने वाचे सभी प्रकार के मुकदमे वापस लेने के विषय में,

(१३) चीनी मिलों, बिजली कम्पनियों सूती व जूट मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में ग्रावश्यक कदम उठाने के विषय में,

(१४) राजकीय क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों में लगे हुए मजदूरों के बोनस के विषय में, ग्रौर

(१५) खाद्यान्नों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण के विषय में"।

ग्रब इनमें से कौन बात है जो जनहितकारी नहीं है ग्रौर जिन्हें ग्रापको कबूल नहीं करना चाहिए? महामहिम राज्यपाल ने ग्रपने ग्रभिभाषण में इन मौलिक सिद्धांतों की कोई चर्चा नहीं की। फिर कैसे ग्राप उम्मीद करते हैं कि हम ग्रापके साथ सहयोग करके धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित होने में ग्रापके सहभागी बनें।

हमारे फैजाबाद के एक साथी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल जब यहां ग्रतिथि के रूप में ग्राए थे ग्रौर वह ग्रभिभाषण देने के लिए उठना चाहते थे कि विरोधी पक्ष के साथ सदन के बाहर चले गए ग्रौर यह किस जनतन्त्र की परम्परा के ग्रन्दर ग्राता है, यह किस परम्परा का उदाहरण है। ग्राप ने भी यही काम शुरू कर दिया है जो हम लोगों ने किया है। जहां-जहां गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी हैं वहां-वहां ग्राप ने भी यही रास्ता ग्रख्तियार किया है। विरोधी दल ने राज्यपाल की बेइज्जती करने के खयाल से नहीं बल्कि जो बुनियादी सवाल हैं जिन की ग्रोर समाजवादी ढांचे में संकेत किया जाना चाहिए, उन की ग्रोर संकेत न किए जाने की वजह से वह कदम उठाया था ग्रौर राज्यपाल महोदय ने तिकड़म से कांग्रेसी शासन को हमारे ऊपर लाद दिया है। सरकार ने समाजवादी ढांचे के ग्रनुरूप कदम भी नहीं उठाए हैं।

मैं श्रीमन्, ग्राप को एक बात बतला हूं। एलेक्शन के दौरान हमारे मुख्य मन्त्री जी ने गाजीपुर की एक सभा में ग्रपने दल के उम्मीदवारों की कंवेंसिंग में बोलते हुए एक पुल के बारे में कहा था कि उसे वह प्रायरिटी दिलायेंगे। उस पुल के लिए मैं पिछले चार साल से बराबर लिखा-पढ़ी कर रहा हूं, लेकिन उस का मसला ग्रभी तक उठाया नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ किया जाय वह सोच समझ कर किया जाय ग्रौर यदि कोई ग्राश्वासन दिए जाते हैं तो सदन को उन की पूर्ति के लिए ग्रावश्यक कदम उठाने चाहिए।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)---

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने मुझे ग्रपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ग्रवसर दिया इसके लिए मैं ग्राप का ग्राभार प्रकट करता हूं। सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव है धन्यवाद प्रकाश का उस का मैं समर्थन करता हूं। हम ने माननीय विरोधी दल के सदस्यों के संशोधनों को भी देखा है। मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल महोदय का भाषण ग्रत्यन्त ही सराहनीय है ग्रौर सारे विचार जो संशोधन के हैं उस में समाविष्ट हैं संपुटित हैं ग्रौर इसलिए इन संशोधनों की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। फिर भी राज्यपाल महोदय ने सरकार के लिए कुछ संकेत के रूप में सुझाव रखे हैं। उस के सम्बन्ध में भी मैं थोड़े से विचार रखना चाहता हूं।

सबसे पहली समस्या जिस पर राज्यपाल महोदय से चर्चा की है ग्रपने ग्रभिभाषण के ग्रन्दर, वह खाद्य की समस्या है। ग्रभिभाषण के पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि उनका संकेत जरूर इस तरफ है। खाद्य की समस्या से मतलब खाद्य की कमी उस के ग्रभाव से है। ग्रौर जब खाद्य की कमी होती है तो उस के लिए दो उपाय हो सकते हैं एक तो वितरण की व्यवस्था ठीक हो ग्रौर दूसरा उपाय है कि उन साधनों को बढ़ाया जाय जिन से खाद्य का उत्पादन बढ़ सके।

खाद्य के उत्पादन के बढ़ाने के लिए उपाय यह हो सकता है, जैसा कि अभिभाषण में जिक्र भी है, कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में बड़ी तथा मध्यम योजनाओं से ८१,९८० एकड़ और छोटी सिंचाई योजनाओं से १,२०,६०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो जाने का अनुमान है।

हम खाद्य का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हमारी सिंचाई के अन्दर जो भूमि आये वह अधिक मात्रा में आये, लेकिन हम देखते हैं कि '१९६७-६८ के दौरान पूंजी लागत से कुछ ही नयी योजनायें हाथ में ली जा सकती हैं, क्योंकि उसमें से अधिकांश चालू योजनाओं को पूरा करने में व्यय किया जायगा, जिसके कारण बड़ी तथा मध्यम योजनाओं से ७४ हजार एकड़ और छोटी सिंचाई योजनाओं से १लाख १० हजार सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है' तो हम देखते हैं कि आगे आने वाले वर्ष में सिंचाई के अन्दर जो भूमि आयगी। आज खाद की समस्या केवल लेवी लगाने से हल नहीं होने वाली है हमें वितरण और उत्पादन के साधनों को बढ़ावा देना पड़ेगा।

दूसरे हम देखते हैं कि बिजली के कनेक्शन देने की भी इसमें चर्चा है, 'जनवरी' १९६७ के अन्त तक ४,७९१ बस्तियों में बिजली लग चुकी है। कृषि संबंधी त्वरित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राज्य विद्युत परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में १७,००० से अधिक नलकूपों तथा पंपिंगसेटों में बिजली लगाने के लक्ष्य को पूरा करके अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है वित्तीय वर्ष १९६७-६८ में ७ करोड़ ५० लाख रुपये की लागत से १२,००० नलकूपों तथा पंपिंग सेटों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार से नलकूपों में जो बिजली देने की बात है जिससे हम पानी खींच सकते हैं इसमें भी हम कमी पाते हैं। इसी तरह से दूसरे वितरण के संबंध में ये जो स्टेटमेंट्स सरकार की तरफ से आते हैं कि इतने अनाज की कमी है प्रदेश में, इतने लाख टन इससे हम समझते हैं कि कीमतों के बढ़ाने में ही मदद मिलती है। ये हमारी वितरण की व्यवस्थायें ठीक होनी चाहिये और सस्ते गल्ले की दूकानों की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि व्यवस्था बिलकुल अव्यवस्थित है, लेकिन उसमें गुंजायश है कि हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं।

दूसरी बात जो उत्पादन के संबंध में कह रहा था वह यह है कि कीमतों को अगर घटाना है तो उत्पादन को बढ़ाना है। उत्पादन हम बिजली से बढ़ायेंगे। आज प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। रिहंद में पानी की कमी की वजह से ३० परसेंट बिजली घट रही है और इसका असर हमारे मजदूरों पर पड़ रहा है। हिंडाल को जोकि अल्मुनियम का कारखाना है उसमें मजदूरों को नोटिस मिल रही हैं कि ३०परसेंट मजदूर काम से अलग कर दिये जायेंगे, क्योंकि ३० परसेंट रिहंद से बिजली कम मिलेगी। यह केवल हिंडाल को ही बात नहीं, जहां भी रिहद की बिजली जाती है वहां ऐसी आशंकायें हैं और बेकारी होने की बातें हैं।

सबसे बड़ी दूसरी समस्या है हमारे प्रदेश में चीनी उद्योग की है जो प्रदेश की रीढ़ है। उसमें एक लाख से ऊपर श्रमिक लगे हुये हैं सीजन में जोकि चलता है, लेकिन आज चीनी उद्योग के सामने संकट है। चीनी उद्योग से हम केवल देश की मांग की पूर्ति ही नहीं करते थे, देश का कंजम्पशन ही पूरा नहीं करते थे, बल्कि विदेशों में भी भेजते थे, लेकिन आज क्या है? करीब २५ चीनी मिलों में श्रमिक निकाल दिये गये। आज हालत यह है कि आप खाद तो मोहइया कर दें लेकिन खाद कोई खरीदेगा कैसे जब तक कि उसके पास क्रय शक्ति नहीं होगी। क्रय शक्ति तभी होगी जबकि लोग रोजी से लगे हुये होंगे लेकिन आज लोग बेकार हो रहे हैं, तो उनके पास कैसे साधन हो सकता है कि वह खरीद सकें।

पूर्वी जिलों के लिये कहा जाता है कि पटेल कमीशन आया और उससे बड़ा लाभ हुआ। लेकिन मैं उस हाटा क्षेत्र से आता हूं, देवरिया-जिले का वह क्षेत्र जहां की सड़क अशोक के जमाने में, बुद्ध देव के जमाने में ठीक थी, लेकिन आज वही सड़क जो लुम्बनी से पिपराइच और हाटा होती हुई बड़ी सड़क बरहज को जाती है, वह आज उपेक्षित है। किसी आयोग और कमीशन ने उसको नहीं लिया। यहां तक कि पटेल आयोग के अनुसार सन् १९६४ में हाटा क्षेत्र में हैदम हुई

[श्री राजाराम]

तथा नरायनपुर में जो नलकूप लगे थे उनको आज तक कवनेक्शन नहीं दिया गया जब कि उन पर हजारों रुपया खर्च किया गया था। मैं नहीं समझता इस तरह से कैसे खाद्य समस्या सरकार हल कर पायेगी।

पेमेंट आफ बोनस ऐक्ट पास किया गया। इस ऐक्ट के संबंध में बताया गया था कि श्रमिकों को उससे लाभ होगा। मगर बोनस के संबंध में उसमें जो प्रक्रियायें हैं वे ऐसी हैं कि पेमेंट आफ बोनस ऐक्ट ही दुविधापूर्ण बन गया है और उससे उलटे मिल मालिकों को ही बोनस मिल जाता है, श्रमिकों को जो लाभ उससे मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता। चूर्क सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों को पिछले वर्ष जो बोनस मिला वह बोनस कह कर नहीं मिला, एक्स-ग्रेशिया करके मिला।

इसी तरह से जिला परिषद् के शिक्षकों को पेंशन देने की व्यवस्था है, परन्तु जिला परिषद् के कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था नहीं है। दोनों ही जिला परिषद् के कर्मचारी हैं, इसलिये दोनों को ही यह पेंशन मिलना चाहिये।

विरोधी पक्ष ने अपने संशोधनों में अंग्रेजी के बारे में कहा है कि उसका बिलकुल लोप हो जाना चाहिये, सारा कार्य हिन्दी में होना चाहिये, मगर हम देखते हैं कि जितने माननीय सदस्य विरोध पक्ष के घड़ियां पहने हैं, उनके सभी अक्षर अंग्रेजी में लिखे हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करता....

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

हमारा कहना है कि सार्वजनिक प्रयोग अंग्रेजी का बन्द हो।

श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन पेश हुये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैंने बड़े ध्यान से अध्ययन किया और यह तलाश करने की कोशिश की कि उसमें मुझे आशा की कोई किरण दिखलायी दे, मगर उसे पढ़कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और वह अभिभाषण मुझे उत्साहहीन और व्यर्थ सा लगा। कहा गया सरकार की तरफ से कि वह अभिभाषण एक ऐसे प्रवचन के रूप में सदन में लाया जाता है जिसमें मौजूदा सरकार के भावी कार्यक्रम तथा पिछली उपलब्धियों की चर्चा होती है। मगर उस अभिभाषण को पढ़ कर कोई भी नागरिक यह महसूस करेगा कि जिस समाजवाद की यह सरकार चर्चा करती है यह उस समाजवादी सरकार का अभिभाषण होकर, किसी पूंजीवादी सरकार का तो क्या, उससे भी गयी गुजरी नाकारा सरकार के पक्ष में दिया गया कोई प्रवचन हो। उसमें प्रजातन्त्र की दुहाई दी गयी है आरम्भ में। श्रीमन्, अगर सही माने में, ईमानदारी से प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर उस पक्ष को विश्वास होता तो हुकूमत की कुर्सियों पर बैठकर चुनावों में जनता के सामने मंत्री की हैसियत में पेश नहीं होते आप लोग जबकि दूसरी तरफ से बेसहारा और साधनहीन लोग आपके मुकाबिले में खड़े होते हैं तो यह समान अवसर की बात कहां है? कैसा यह प्रजातन्त्र है? होना यह चाहिये कि चुनाव से कम से कम एक महीने पहिले सरकार भंग कर देनी चाहिये ताकि आप और हम एक समान धरातल पर खड़े होकर जनता के सामने जा सकें। मिनिस्टर लोग चुनावों में दौरा करते हैं तो उनके पीछे सरकारी ठाठ बाट चलता है लाईसेन्स बांटते हुये, परमिट और लोन और ग्रांट बांटते हुये, बन्दूक और रिवाल्वर के लाईसेन्स बांटते हुये। दूसरी तरफ बहुत ही कम साधनों के लोग चुनाव लड़ते हैं। कहा जाता है कि अगर चुनाव निष्पक्ष न होते तो ये मिनिस्टर कैसे हार जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय के द्वारा कि अगर मिनिस्टर हारते हैं तो आपको इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिये। उसका कारण जनता का असन्तोष है और वह

सीमा को लांघ गया है । हमारे देश की जनता जब तक प्यार करती है तो बे इन्तहा प्यार करती है, लेकिन जब नफरत हो जाती है तो उसी तरह जैसे विजया दशमी को हर साल रावण जलाने की पुनरावृत्ति होती है ।

उसके बाद कृषि की विकास की बातें कही गई हैं । मैंने पहिले भी अर्ज किया है सदन में, कि पानी का इन्तजाम आपकी तरफ से कागजों पर किया जाता है परन्तु जमीन पर कोई इन्तजाम नहीं है । माननीय मंत्रिगण और मुख्य मंत्री कभी भाबर के इलाके में पधारें तो देखें कि अंग्रेज लोग, जिनकी हुकूमत को ये बदनाम करते थे, पानी देना अपना फर्ज समझते थे । मेरे साथ जो प्रतापसिंह जी बैठते हैं उनके क्षेत्र में चोर गलिया गांव हैं । वह दो ढाई सौ एकड़ का गांव होगा । लेकिन अंग्रेज के जमाने उस गांव को आबाद करने के लिये तीन मील लम्बी सुरंग खोदकर पहाड़ों से नहर लाई गई है । अगर वैसा इस सरकार को करना पड़ता तो यह कहती कि इट इज एन अन-इकानामिक स्कीम । दो ढाई सौ एकड़ के लिये इतनी लम्बी सुरंग क्यों खोदें ? यह आपकी तरफ से अभाव होता है । हमारे तराई भाबर के इलाके में, खाम इस्टेट के इलाके में पानी का रेट लगान में शामिल था । खाम सुपरिटेन्डेन्ट और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, कैनाल्स एक ही आदमी होता था । वह पानी देना अपनी जिम्मेदारी समझता था । इसलिये कि बिना पानी के खेती हो ही नहीं सकती । इस सरकार को यह हालत है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह डालती है और कहती है कि तूफान गुजर गया । क्या आपको नहीं मालूम कि अन इर्रीगेटेड एरिया में बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा । यह तो कामन सैन्स की बात है । सरकार कहती है कि उस इलाके में तो ग्यारह बड़े-बड़े डैम्स बनाये हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरे की बात है । वहां जनता को पानी मयस्कर नहीं है । जब पानी के लिये कहा जाता तो वहां के अफसर कहते हैं कि इतने बड़े बड़े डैम बांधे गये हैं, वहां पानी की क्या कमी है । लेकिन आप वहां जाकर देखें तो वहां पानी नहीं । उन बन्धों के लिए नैनीताल की जनता ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं और हजारों बेघरबार हुये हैं । लेकिन उनकी इस कुर्बानी से पानी दक्षिण के लोगों को तो मिल लेकिन तराई के लोगों के लिये आपने कुछ नहीं किया । यह बड़े शर्म की बात है ।

आप भूमि-सुधार की बात करते हैं, बड़ी पीठ ठोंकते हैं अपनी कि आपने जमींदारी अबालीशन किया और समाजवाद के झंडाबरदार हैं आप । आपने जमींदारी उन्मूलन प्लेन्स और पहाड़ में तो किया लेकिन तराई भाभर में अपनी जमींदारी बनाये हुये बैठे हैं । वहां किसान की कोई हैसियत नहीं है । यह अदालत में किसी जमानत करने के लिये जाता है, मैजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है । वह कहता है कि १० एकड़ जमीन है । मैजिस्ट्रेट कहता है कि जमीन तो सरकार की है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है । हां, कोई बैल, भैंस, गाड़ी की जमानत हो सकती है । जोते बोवे सो किसान । राज्यपाल के अभिभाषण में इन अधिकारहीनों की समस्या का कोई जिक्र नहीं है । यह कहा जाता है कि ये लोग तो जमीन बेचकर चले जावेंगे । जमीनें आज भी वहां लाखों की बिक रही हैं लेकिन सरकार को जो स्टाम्प की आमदनी हो सकती है उसे सरकार खो रही है, दूसरी ओर आप बेदखली का दौर चलाये हुये हैं, जिन्होंने बिना आपकी कृषि विभाग की सहायता के, सहकारी या विकास विभाग की सहायता के बिना, अपने हाथ पैर की मेहनत से, खेती कर रहें हैं, सोना उगा रहें हैं, आप उनको छोटी अदालत से लेकर इलाहाबाद तक भगा रहे हैं । बड़ी अनुनय-विनय और आन्दोलनों के बाद आपने भाबर एरिया में अबल रेंट पर ५ एकड़ जमीन की रैंगुलेराइजेशन की बात की ।

महामान्य राज्यपाल के संबोधन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि किसान की फसल का संरक्षण यानी इंश्योरेंस होगा । रईसों और पूंजीपतियों की मोटर गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है । आप उसे देश की संपत्ति समझते हैं । यह कृषि प्रधान देश है, ८० फीसदी लोग किसानी पर निर्भर करते हैं । यहां की जनता आज २० साल के बाद भी खाद्यान्न के लिये भूखी तड़पती है । फिर भी फसलों के बीमे का कोई इन्तजाम आपने नहीं किया है । भूमिहीनों की समस्या उनकी है जो सही मानों में "हैव-नाट्स" हैं । उनके लिये आपने कुछ नहीं किया । आप बरोजगारी

[श्री रामदत्त]

के लिये एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के रोकार्डस देखते हैं। लेकिन देहात की बेरोजगारी का आपको कोई अन्दाजा नहीं है। स्टेट फार्म्स को तोड़कर आप क्यों नहीं भूमिहीनों में बांट देते हैं? ये घाटे में चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में भूमिहीनों की समस्या, फसल की बीमा, बेदखलियों का वहां से खत्म किया जाना, वहां के किसानों को जमीन पर मालिकाना हकूक दिये जाना, ये सब बातें उसमें शामिल कर दी जावें। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन चीजों पर गंभीरता से विचार करेगी।

*श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव आया है मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं।

निवेदन यह है कि हर साल माननीय राज्यपाल का सम्बोधन होता है और हाउस में उस पर बहस होती है, लेकिन जो कुछ भी कहा जाता है सरकार उस पर अमल नहीं करती है। पिछले वर्ष भी हरिजनों के बारे में महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि २५ परसेंट से ४० परसेंट कर देंगे, लेकिन आज तक सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हरिजन सरकार की आलोचना इसलिये करते हैं कि वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। १८ परसेंट भी पूरा नहीं करती है। यदि यही रवैया रहा तो इधर के हरिजन जो चुनकर आये हैं उनका क्या एटटीट्यूड होगा, मैं नहीं कह सकता। चूंकि मैं रात-दिन सुनता हूं कि सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे विद्यार्थियों के लिये कोई साधन नहीं जुटाया जाता है। इतना रुपया खर्च करने पर भी वे बेकार रहते हैं। जब सरकार उन पर खर्च करती है तो क्या वजह है कि १८ परसेंट भी कोटा नहीं दिया जाता है?

गुप्ताजी से भी यह शिकायत की गई कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा एक सदस्य अवश्य रखा जाय। इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जिलों की बात मैं कहना चाहता हूं। वहां के अधिकारी लोग हरिजनों को नहीं रखते हैं। सूटेबिल एक ऐसा शब्द लगा देते हैं कि अगर योग्य भी है तो अनफिट हो जाता है। अपने लोगों को रखने के लिये हमारे लोगों को अनफिट कर देते हैं। तो सूटेबिल शब्द को निकाल कर हरिजनों में से ही छांट की जाय और उनका कोटा पूरा करने की कोशिश की जाय। अगर सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है चूंकि हमारे अन्दर क्षमता है।

छुआ-छूत का जहां तक ताल्लुक है, मैं देख रहा हूं कि कितने ही कानून बनने पर छुआछूत जारी है। हर जगह वैसी ही जारी है। समानता नहीं हो पा रही है।

क्राइम बढ़ने की वजह ढीला शासन है। सारी जनता इस बात के लिये त्राहि-त्राहि कर रही है कि किसी की लाइफ सुरक्षित नहीं है। एक एम० एल० ए० हमारा दिन दहाड़े मार दिया जाता है। मेरे शासनी क्षेत्र में एक आदमी को पुलिस ने खड़े होकर कत्ल करवाया, क्राइम रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? गवर्नर महोदय ने इसके लिये कुछ नहीं कहा है। क्राइम बहुत आसानी के साथ रोका जा सकता है। अपने इलाके के गुन्डों को बदमाशों को हर थानेदार अच्छी तरह से जानता है। पुरानी प्रथा रही है कि क्राइम कराओ और उनको पकड़ कर लाओ तो इनाम मिलता है। यदि वह क्राइम को रोकता है तो शिकायत होती है कि इसके इलाके में क्राइम क्यों नहीं पकड़ा जाता है। इसलिये आज सरकार को इस बात का ऐलान कर देना चाहिये कि जिस किसी थानेदार के इलाके में गड़बड़ी होगी, उसको निकाल दिया जायगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे क्राइम में काफी कमी हो जायगी। अंग्रेजी जमाने के इस तरीके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बदल देना चाहिये कि पहले थानेदार क्राइम कराये और फिर लोगों को पकड़ कर बतायें, तब उसको इनाम दिया जाय और आप कहें बेटा शाबाश, तुमने अच्छा काम किया ।

जहां तक सस्ते न्याय की बात है, जनता को सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है प्रतिदिन ३–४ मुकदमें लगाने के बजाय १०–१०, २०–२० मुकदमें लगा दिये जाते हैं और एक भी गवाह नहीं लिया जाता है और तारीख बढ़ा दी जाती है । साल साल भर तक गवाही होने की नौबत ही नहीं आती है । मजिस्ट्रेट लोग आकर बैठे कि एक दो मुकदमा लिया कि लंच को उठ गये । लंच के बाद फिर एक दो मुकदमा लिया और उठ गये । वहां पेशकार बैठ कर तारीखें बढ़ा दिया करता है और हर आदमी से रुपया लेता है । लोगों के हजारों रुपये उठ जाते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निलकता । मेरा सुझाव है कि लोगों को सस्ता न्याय दिलाया जाय और उसका तरीका यही है कि सेशन्स जजी की तरह से कम मुकदमें लगाये जायं और उनको जल्दी से जल्दी निबटाये जाने का प्रयास किया जाय ।

श्री अख्तर अली खां (जिला रामपुर)—

अध्यक्ष जी, ४६ में रामपुर इस यू०पी० में मर्ज हुआ । हमें बड़ी-बड़ी उम्मीदें थीं कि कतरा समुद्र में मिल रहा है, शायद कुछ बेहतरी होगी लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन १८ सालों में बजाय भलाई के बुराई ही हुई, लोगों को कोई सुविधा नहीं पहुंचाई गयी । मैं आपसे माफी मांगता हूं कि हिन्दी में मैं पूरे तरीके से एड्रेस नहीं कर सकता इसलिये उर्दू में अपने खयालात का इजहार करूंगा ।

रामपुर में अनएम्प्लायमेंट बुरी तरह से बढ़ रहा है । बड़ी उम्मीदों के साथ वहां की जनता एक पार्टी को १८ सालोंसे यहां चुनकर भेज रही थी लेकिन उस पार्टीने बुरी तरहसे वहां की पब्लिक को मायूस किया जिसकी वजह से आखिरकार उसका नाम ही मिटा देना पड़ा और रामपुर से उस पार्टी का नाम तक न रहा । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रामपुर जो कानपुर के बाद इन्डस्ट्रीज में दूसरे नम्बर पर था, वहां की फैक्ट्रीज एक एक करके बन्द होती जा रही हैं । मिनिस्टर साहबान लेबर के लिये कानून बनाते हैं लेकिन उनका अमल नहीं देखते । ३ फैक्ट्रीज के हालात मैं आपके सामने बयान करता हूं । वहां एक रजा टैक्सटाइल है जिसमें मजदूरों को एक एक करके निकाला जा रहा है । उनको पक्का नहीं बनाया जाता, आरजी रखा जाता है, उन पर चार्जेज लगाये जाते हैं और निकाल दिया जाता है । बोनस नहीं दिया जाता । रजा बुलन्द शुगर फैक्ट्री पर काश्तकारों मजदूरों का ५० लाख रुपया बाकी है । नतीजा यह हुआ कि फैक्ट्री ६० दिन भी नहीं चल पायी कि प्ले आफ हो गया । इस कदर गुरबत वहां है कि हजारों मजदूर वहां बीड़ी बनाने का काम करते हैं जिनमें टी० बी० की बीमारी जोर पकड़ती जा रही है । उनकी बेरोजगारी और महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । एक अहम मसला रामपुर जिलेमें किसान के लगानों के रेट का है जिसकी तरफ १८ सालसे सरकार की तवज्जह नहीं गई । जितने भी नये टैक्स लगाये गये उनमें वहां कोई छूट किसी तरह की नहीं दी गई । बराबर के जिलों से रामपुर के जिले में लगान का रेट सब से ज्यादा है । जो फिगर्स मैंने मोहइया किये हैं उन को देखकर आप को ताज्जुब होगा । रामपुर में जो लगान ६ रुपया ४३ पैसा प्रति एकड़ है वहीं बराबर के जिले मुरादाबाद में ६.८१ रु० और बरेली में ५.५८ रु० है । जब २५ फीसदी का सरचार्ज लगाया गया था उस वक्त भी बहुत कुछ कहा गया कि रामपुर जिले के लगान तो पहले से ही बहुत ज्यादा है इसलिये इस लेवी को वहां न लगाया जाय । उस वक्त कहा गया कि गौर करके इस को कम कर दिया जायगा लेकिन बाद में कुछ नहीं किया गया । इस तरह से तमाम परेशानियां और दुश्वारियां इस छोटे से जिले पर बराबर नाजिल हो रही हैं । रियासत मर्ज हुये १८ साल गुजर चुके लेकिन मुलाजमीन के मामले आज तक तय नहीं हुये । आजतक टीचर्स को नहीं मालूम कि उन की सर्विस आरजी है या मुस्तकिल हैं । बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जिन को पिछले ३ महीने से पे नहीं मिली है और उनसे कहा जाता है कि वह दूसरे ग्रेड का बांड भरें तब उनको रखा जाय । २ साल हो गये वहां पर पांड मोहर्रिर की पे नहीं दी गई है, उन को यही नहीं मालूम

[श्री अख्तर अली खां]

है कि वह मुलाजिम किस के हैं, जिला परिषद् के हैं या किसके हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन मसायल पर गौर करेगी।

आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि वहां पर जिला परिषद् को कोई अख्तयारात नहीं दिये गये हैं और जो मदद सरकार की तरफ से दी जानी चाहिये उससे भी उस को महरूम रखा जाता है। सिर्फ १ लाख रुपया की ग्रान्ट वहां की जिला परिषद् को मिलती है। कांग्रेस सरकार को वहां की जिला परिषद् को ज्यादा इमदाद देना चाहिये, उसको सेस की रकम से ५ लाख रुपये की ग्रान्ट जरूर मिलना चाहिये। जिला परिषद् को न अस्पताल और न स्कूल ट्रान्सफर हुये हैं, वह महज नाम की ही जिला परिषद् है। वहां के लोगों की शिकायत और तकलीफ को मैं आप के जरिये से एवान में रखना अपना फर्ज समझता हूं।

अगर आप इर्रीगेशन के बारे में हमारे जिले का हाल सुनेंगे तो आप को हंसी आयेगी। पूरे यू० पी० में रोजबरोज तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे यहां अभी तक सिर्फ दस फीसदी ही इर्रीगेशन है, न वहां कुयें हैं न कोई छोटी या बड़ी स्कीम है, वह नाम के लिये ही जिला है बाकी अमली तौर पर वहां कोई ठोस काम नहीं हुआ है। वहां पर रियासत के जमाने में ही नवाब साहब ने एक डिग्री कालेज कायम किया था और कोई कालेज खुलने की बात तो क्या वह कालेज भी आज तक पोस्ट ग्रेजुयेट क्लासेज नहीं चला सका, वह वही डिग्री क्लासेज तक है। रामपुर की जनता ने बराबर कोशिश की, लेकिन आज भी बी० ए० तक की ही वहां पढ़ाई है। मैं उस जिले का रिप्रिजेन्टेटिव होने के नाते वहां की मुश्किलात आपके सामने रख रहा हूं। १८ साल के प्लानिंग में भी रामपुर को सड़कें या नहरें वगैरा नहीं मिलीं।

मैं राज्यपाल जी के भाषण की तरफ भी तवज्जह दिलाऊंगा, उन्होंने उसमें ट्यूबवेल और आबपाशी का जिक्र किया है लेकिन रामपुर जिले का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। लेबर की जो मुश्किलात हैं उनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, वहां के फैक्ट्री मालिकान जिस तरह की दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं वह आप को मालूम हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी रामपुर तशरीफ ले गये थे और कह आये थे कि रजा टैक्सटाइल के लोगों को बोनस दिलाया जायगा, लेकिन आजतक कुछ नहीं हुआ। यह वहां की परेशानियां हैं। एक चीज आखिर में और अर्ज कर दूं कि मैं यहां लखनऊ में बड़ी उम्मीदों से आया था और मैं यहां पर लाटसाहब की सराय रायल होटल में ठहराया गया हूं। इस बड़े बजट में स्लम क्लीयरेंस के लिये रकम रखी गई है। हमारे कमरों की ४ साल से सफेदी नहीं हुई है, मालूम होता है कि किसी तहखाने में हम रहते हैं और डर है कि कहीं हम टी० बी० के शिकार यहां आकर न हो जायं, अच्छा हो कि उसी स्लम क्लीयरेंस के पैसे से इन कमरों की भी सफाई पुताई करा दी जाय।

*श्री राम लाल (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। हमारे सामने जो प्रश्न है वह धन्यवाद के प्रस्ताव का है और उस पर दिये हुये संशोधन हैं। ये सब प्रश्न केवल राज्यपाल के भाषण तक ही सीमित नहीं रहे हैं बल्कि बहुत कुछ कहे और अनकहे प्रश्नों को भी बीच में लाते हैं और ऐसे प्रश्न यहां पर उठाये भी गये हैं। एक बात जो यहां बारबार आती है वह यह है सरकार बनाने की और इस बात को बहुत बड़ी-बड़ी बातों से जोड़ा गया है। इस संबंध में मुझे अपने विरोधी दलों के भाइयों से और अपने साथी माननीय नेता विरोधी दल से, जो इधर से फूटकर उधर चले गये हैं कहना है कि उन्होंने यहां के शिक्षण का एक अच्छा प्रयोग करके दिखा दिया और उधर एक अच्छा संगठन बना लिया है। उसके लिये मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन उसके साथ-साथ एक बात कहूंगा कि अब उस बात के लिये रोज-रोज जिक्र करना आवश्यक नहीं है सरकार हमेशा बहुमत के आधार पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनती है। अब वह समय नहीं है जब उधर की सरकार बन पाये। यह माना कि हमारे सामने कठिनाइयां हैं। १८ वर्ष की कुल हमारे स्वतंत्र देश की जिन्दगी है। उस समय हमारे देश में कोई बुनियादी उद्योग भी नहीं था। बुनियादी उद्योग से मेरा मतलब इंडस्ट्रीज के लिये बिजली नहीं थी और इस्पात नहीं था। इस देश में इस्पात का उत्पादन बहुत कम होता था जब हम स्वराज्य की भूमिका में आये थे हमारे देश में मशीन्स और टूल्स के उत्पादन के भी साधन नहीं थे। यह कोई आसान काम नहीं था।

यहां पर दूसरे दूसरे देशों के उदाहरण दिये जाते हैं कि उन देशों मे कितने समय में कितनी प्रगति हुई है; लेकिन मैं चीन की मिसाल देता हूं। वहां पर ५१ लाख टन इस्पात का उत्पादन होता था। लेकिन मेरा मत है कि अब भी हमारे क्षेत्रों में कठिनाइयां हैं। मेरे क्षेत्र में ही प्रायः ७० वर्ग मील का एरिया ऐसा है जहां पर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है, लेकिन उन सबके होते हुये जब हम सारी परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो हम इस निर्णय पर आते हैं कि हमें तत्काल उस बात की मांग नहीं करनी चाहिये। आज से २० वर्ष पहले मैं ८ होर्स पावर का मोटर पाने के लिये आर्डर प्लेस करने के बाद ४ बार कानपुर गया, लेकिन नहीं मिल सका। उस समय आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उत्पादन की क्षमता क्या थी। आज जो अरबों रुपया ऐसे कामों में लगाया जा रहा है, यह कहना बेकार है कि वह असामयिक था। अगर दूरगामी योजनायें नहीं बनाते तो शायद यही होता कि हम ट्यूबवैल के साधन बढ़ाते रहते और जितनी कुछ मशीनें और दमन भट्ठियां बाहर से मंगाये हैं उनसे इस लायक हुये हैं कि स्वयं चीजें तैयार कर लें, यह सम्भव न होता और १८ साल पहले जहां थे वहीं रहते, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश हैं। इसलिये जो परिस्थिति बनी है उसके लिये जो लोग इस देश का संचालन करते रहे हैं, निर्माणों का और औद्योगिक परियोजनाओं का, उनको धन्यवाद देना पड़ता है। इन सब के बावजूद जो कठिनाइयां हैं सरकार उनसे पूर्णतः अवगत है। लेकिन हर एक चीज धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और ये सब कठिनाइयां दूर होंगी।

हमने अपने क्षेत्र में ऐसा एक भाग देखा है, जिसकी मैंने चर्चा की काफी लम्बा भाग है, जहां पर अधिकांश भूमिहीन रहते हैं, रचनात्मक कार्यकर्त्ता के नाते मुझे सोचना पड़ता है कि वह परिस्थितियां आयें और आगे कदम बढ़ा कर उनको ठीक कर लें। तो रोष प्रकट करने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा और उसकी हमारी और आपकी, दोनों की जिम्मेवारी है। दोनों की तरफ से संयत नियोजन होना चाहिये, अपनी मांगें रखनी चाहिये और अपने अपने क्षेत्र का पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिये और सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहिये।

जहां तक महंगाई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई और वेतन वृद्धि का सवाल सोशल जस्टिफिकेशन के नाम पर किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि वेतन बढ़ाने से महंगाई की समस्या हल नहीं होती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने से महंगाई हल होगी। ज्यों-ज्यों महंगाई भत्ता या वेतन बढ़ायेंगे त्यों त्यों महंगाई बढ़ेगी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुरलीधर (जिला वाराणसी)--

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मेरा भी पहला भाषण है। वैसे तो हमारे विरोधी पक्ष के मित्र ने कहा कि विरोधी दल में भारतीय जनसंघ है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय संस्कृति के हम अनुगामी होंगे तथा उस संस्कृति के अनुसार हमारी परिपाटी है कि अपने शत्रु के गुणों का वर्णन करते हैं और गुरु के दोषों की चर्चा करते हैं। पूरे भाषण में ऐसे दो स्थान मिले जिसके लिये राज्यपाल को मैं बधाई दूंगा। उसमें पहला वाक्य जिसमें उन्होंने इतनी अधिक संख्या में हमारे चुने जाने पर बधाई दी और दूसरा वाक्य अन्त में है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग सब मिल करके इस राज्य के कल्याण के लिये और लोकतंत्रीय

[श्री मुरलीधर]

आदर्शों तथा जनता की सेवा को सर्वोपरि बनाये रखने का अथक प्रयास करेंगे। इन दो वाक्यों के पढ़ने के अतिरिक्त पूरा अभिभाषण पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि २० साल पहले के किसी राज्यपाल का अभिभाषण सुन रहा हूं। इसमें सरकार के कुछ कार्यक्रमों की चर्चा मात्र है। वैसे तो अभिभाषण कहना इसे भूल होगी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के जो राज्यपाल हों वह उस राज्य की भाषा भी न सीख पायें, भारत की राजभाषा अंग्रेजी में वह घंटों धारा प्रवाह बोल सकते हैं पर अपने प्रदेश की राज भाषा वह आज तक नहीं सीख सके। वैसे यह अभिभाषण न हो कर उनका लेख मात्र है जो उनकी ओर से मंत्रिमंडल की ओर से किसी माननीय सदस्य ने लिखा होगा।

राज्यपाल के प्रति आप आभार प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन राज्यपाल ने अपने मुख्य मंत्री की महत्ता का वर्णन करते हुये जो उद्‌गार प्रकट किये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बड़े कवि भी मात खा जायंगे। सिंचाई के बारे में, सहकारिता के बारे में, कृषि योजनाओं के बारे में, न जाने कितनी बातें कही गयी हैं लेकिन वे कोई नई नहीं है, केवल शब्दोच्चारमात्र हैं और प्रदेश की समस्याओं पर सोचने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह सच है कि मंत्रिमंडल के गठन में इतना समय लग गया कि अन्य समस्याओं पर कोई वक्त ही नहीं लगाया गया। इतने विशाल राज्य के बारे में कोई नीति अथवा कार्यक्रम रखना चाहिये था जो हृदयस्पर्शी होता। ट्रेजरी बेंचेज की ओर से एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो विशाल राज्य है। यह सच है कि भारतवर्ष दुनिया में बहुत विशाल है और उसका मस्तक हिमालय जैसा ऊंचा है और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी विशाल राज्य है। महान पुरुष यहां उत्पन्न हुये हैं और मार्ग दर्शक के रूप में महात्मा गांधी का चित्र हमारे सामने है जिनसे प्रेरणा लेकर आजादी के लिये हमने जंग छेड़ी थी और नवनिर्माण में हम लगे थे, पर उनके अनुरूप हम कुछ कर नहीं सके।

खेती के विषय में बड़े उत्साहवर्धक आंकड़े बतलाये गये। मैं किसान हूं और किसानों का प्रतिनिधि हो कर आया हूं। किसान तकावी, बीज ले जाता है और बड़ी बड़ी आशायें लेकर धान बोता है, गेहूं बोता है, लेकिन पानी न मिलने से उसकी सारी आशाओं पर पानी पड़ जाता है और उसकी सारी आशायें चूर चूर हो जाती हैं। हमारे क्षेत्र के एक हरिजन भाई मुझे मिले। ४५ रुपये पानी के एसेसमेंट का बिल उनके पास आया जब कि एक इंच भूमि की सिंचाई उसने नहीं की। तहसीलदार ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, उनको तो एसेसमेंट के हिसाब से ही वसूल करना होगा। इंजीनियर साहब से बातचीत की तो कहा कि वह जांच करेंगे और बात सच हुई तो आपरेटर को दंड देंगे, लेकिन इससे पहले कि वह आपरेटर दंड पाये हरिजन को जेल भेज दिया गया। हमारी योजनायें कागज पर चाहे जितनी अच्छी हों प्रेक्टिकली किसानों के लिये डिफेक्टिव हैं, उनसे उनको कोई राहत नहीं मिलती।

मेरे क्षेत्र में चीनी मिल खुलने की बात थी। लेकिन वहां के किसानों की क्या दुर्दशा है? उपजाऊ जमीन वहां थी, वहां से किसानों को हटा दिया गया और बगल में जहां सैकड़ों बीघा खेत जो खाली पड़े थे वहां चीनी की मिल नहीं खोली गयी और वहां की जनता ने जिनको उनके भ्रष्टाचार के कारण हटाया है वही उसके मालिक बनेंगे। मैं भी वहां पर ऊपर तो नहीं हूं लेकिन नीचे के सहकारी संगठन का सदस्य हूं और सन १९५१ से हूं। और आज तक का रेकार्ड है कि एक नया पैसा मुनाफे का किसानों को नहीं बांटा गया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और कोआपरेशन एक दूसरे के विरोधी हैं। उनका जनता के साथ कोई कोआपरेशन नहीं है बल्कि जनता का शोषण इन पवित्र संस्थाओं के द्वारा होता है ग्राम पंचायत और सहकारिता संगठन के आधार पर। यही कारण है कि उनसे आज जनता में भय उत्पन्न होता है। इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो देश और प्रदेश के निर्माण की बात कही गयी है, उनको ध्यान में रखते हुये सरकार नीचे के स्तर पर जो भ्रष्टाचार और बेईमानी है उसको दूर करने के प्रश्न पर विचार करे।

जहां अभिभाषण में और सारी बातों का वर्णन है वहां राष्ट्र के चरित्र निर्माण का कोई जिक्र नहीं है। मानव के चरित्र निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को चाहिये कि वह उस पर ध्यान दे ताकि लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक के आचरण और चरित्र में सुधार हो और फिर किसी को शिकायत करने की जरूरत न पड़े। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसका अनुमोदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां दिया उसका मैं समझता हूं कि काफी स्वागत हुआ है और उसमें इस प्रदेश की जनता के बहुत बड़े भाग को सन्तोष देने के बहुत से उपकरण भी मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी आवश्यक तत्व हैं उन सभी की चर्चा उसमें की गयी है। सिंचाई के सम्बन्ध में उसमें बतलाया गया है, बिजली फैलाने के सम्बन्ध में कहा गया है, चोरबाजारी और जखीरेबाजी को रोकने के लिये कड़े कदम उठाने के लिये उसमें कहा गया है। और भी बहुत सी चीजों की चर्चा की गयी है जिनकी कि इस समय बहुत आवश्यकता है। इन चीजों के होते हुए भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उन संशोधनों में प्रायः उन्हीं चीजों का जिक्र किया गया है जिन चीजों के बारे में भाषण में संकेत है।

राज्यपाल महोदय के भाषण की एक सीमा है। उसको इतना विस्तृत नहीं किया जा सकता कि उसमें पूरी योजना रख दी जाय। सिर्फ उसमें एक बात सिद्धान्त की कही जा सकती है और बाद में सरकार का यह काम है कि उसको फैलावे और उसका सुचारु रूप से प्रबन्ध करे। संशोधनों में यदि देखें तो ऐसी बहुत सी बातें उसमें कही गयी हैं--सिंचाई के बारे में, बिजली के बारे में और बहुत सी चीजों के बारे में जिनकी कोई आवश्यकता, मैं समझता हूं, नहीं थी। कुछ ऐसे संशोधन भी हैं जो कि शायद पूरे नहीं किये जा सकते और जो न तो महामहिम राज्यपाल के, न सरकार के और न तो इस सदन की सीमा के अन्दर आता है। जैसे एक संशोधन में यह कहा गया है कि विधान परिषद को समाप्त कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह तो हमारी सीमा के बिलकुल बाहर की बात है। लोक सभा इस पर विचार करे, संविधान में संशोधन किया जाय, तभी इस पर कोई कार्यान्वयन हो सकता है।

इसी तरह से मैं देखता हूं कि एक तरफ हमारे एक माननीय सदस्य ने, जो कि इस सदन के बहुत ही पुराने सदस्य हैं, समाजवाद की बात बहुत जोरों से कही। उनका यह कहना था कि इस अभिभाषण में समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाय या न किया जाय, लेकिन सरकार समाजवाद की व्यवस्था स्थापित करने के लिये कृतसंकल्प है और उसका बहुत कुछ कार्यान्वयन सरकार अपनी नीतियों द्वारा करती है।

मैं देखता हूं कि इसमें ऐसे भी संशोधन हैं जिनमें बड़ा विरोधाभास दिखायी पड़ता है। अभी श्रीमन् ने एक सदस्य को याद दिलाया कि अब वे संयुक्त विधायक दल के सदस्य हैं। यह संयुक्त विधायक दल जिस मृगमरीचिका को देख कर बना वह शायद अब लुप्त होती जा रही है। इसलिये साथी लोग यह भूलते भी जा रहे हैं कि वे एक सूत्र में बंधे हुये हैं। अभी आपने देखा कि एक वरिष्ठ सदस्य ने समाजवाद की बड़े जोरों से चर्चा की और कहा कि रोडवेज का जो साधारण सा राष्ट्रीयकरण किया गया है उसमें भी राजकीय बसों के साथ-साथ प्राइवेट बसों को चलाने की आज्ञा दी गई है, यह समाजवाद के विरुद्ध है। किन्तु दूसरे सदस्य का संशोधन है कि आज्ञा देना चाहिये, यह विरोधाभास है, जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह समाजवाद की ओर कदम नहीं है। बल्कि उसके बिलकुल विरुद्ध है।

[श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह]

जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हमारा एक समान कार्यक्रम बन गया है उसके हिसाब से अगर एक कार्यक्रम बना होता तो इस प्रकार के विरोधी विचार जो इन संशोधनों के द्वारा आये हैं वह शायद न आते ।

एक सदस्य---

शायद आपको घबराइट हो गयी ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

घबराहट तो कुछ नहीं है क्योंकि उसका स्पष्ट नतीजा दिखाई पड़ गया और वह आपके सामने है ।

तो मैं यह कह रहा था कि अभिभाषण में तो करीब करीब उन सभी बातों का जिक्र है जिनकी आज आवश्यकता है । हम भी सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिन बातों का जिक्र है उनका अच्छे तरीके से कार्यान्वयन हो और हर चीज को कड़ाई से किया जाय ताकि उसका फल इस प्रदेश की जनता को मिल सके और व्यर्थ में संशोधन रख कर या व्यर्थ की बातों से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता ।

श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पेश्तर इसके कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर अपने विचार व्यक्त करूं, मैं आपको अपना धन्यवाद देता हूं कि पहली बार मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया । माननीय राज्यपाल के भाषण को मैंने सुना तो नहीं, लेकिन बड़े गौर से उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनका अभिभाषण एक कुशल प्रशासक का अभिभाषण मालूम पड़ता है जिसके अन्दर प्रशासन की तारीफ की गयी है । बड़ा ढोल पीटा गया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर २५ फीसदी अधिभार को खत्म कर दिया गया । लगता है कि बड़ी तारीफ की बात है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगान है । किसी भी सूबे के अन्दर इतना लगान नहीं है । औसतन ४.५८ रुपये फी एकड़ यहां पर लगान है । इतना किसी अन्य राज्य में नहीं है । साथ ही साथ जो सिंचाई के रेट बढ़ गये हैं राज्यपाल ने उसका कोई जिक्र नहीं किया । तो यह किसान के आंसू पोछने की जो बात की गयी है वह बड़ी अजीब सी लगती है । आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान कितने परेशान हैं । इसी सदन के अन्दर ओले और वर्षा का जिक्र आया । उत्तर प्रदेश के अन्दर एक प्लानिंग चल रही है । तो योजनाओं के जरिये से किसानों की उपज को सुरक्षित क्यों नहीं किया जाता है ? इस के लिये मेरा स्पष्ट मशविरा है कि राज्यपाल महोदय को पशु इंश्योरेंस और खेती के इंश्योरेंस की बात कहनी चाहिये थी जिससे मालूम होता कि हमारी सरकार किसानों की भलाई की बात सोचती है ।

राज्यपाल महोदय ने बड़ी तारीफ की कि हमारे प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हुये हैं । मैं उस जिले से आता हूं जहां के श्री बनारसीदास जी हैं जो एक नेता भी कहे जा सकते हैं और प्रदेशीय सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भी हैं । मैंने देखा कि खुर्जा में किस तरह से जिलाधीश प्रचार कर रहा था कि बनारसीदास जी को वोट दीजिये । मैं कहना चाहता हूं कि उस समय वे कहां सो रहे थे जब सहकारिता विभाग के सारे कर्मचारी छुट्टी लेकर प्रचार कर रहे थे । उस समय उनकी सी आई० डी० कहां थी ? इस बात का इशारा किया जाना चाहिये था कि सूबे में चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो सके हैं । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास जी ने रुपया बांटा और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया । वे पुलिस की गाड़ी हमेशा अपने साथ रखते थे जिससे लोग डर जांय । उन्होंने उस क्षेत्र में वोट के लिये लाइसेंसों की भरमार की और रुपया बांटा गया । खुर्जा में रुपया बांटने के अलावा हरिजनों का एक मंदिर के नाम पर एक बड़ी धनराशि उन्होंने दी । राज्यपाल की यह चीज कि चुनाव निष्पक्ष हुये हैं, नहीं कही जा सकती है ।

सहकारिता विभाग के बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि लखनऊ में नया बाजार खोलकर महंगाई दूर करने की कोशिश की है। एक सहकारी मिल बुलंदशहर में है जब बनारसीदास जी सहकारी मंत्री थे, उनके एक मित्र श्री मगनलाल आनरेरी सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनके आनरेरी होने की बात का आप पता नहीं लगा सकते हैं। उनका सारा परिवार उसमें लगा हुआ है। एक आदमी है जो बिलकुल पढ़ा लिखा नहीं है व मिल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रहा है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी जिम्मेदारी बनारसीदास जी की है। इसका कोई जिक्र राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है। बनारसीदास जी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप रोज होता है और ऐसा मालूम होता है कि प्रदेश में कोई शासन नहीं है। अभी कुछ चर्चा दादरी की एक काम रोको प्रस्ताव के जरिये सदन में आई थी। हम लोग दादरी गये थे और हमने देखा कि ६०/७० वर्ष के पुराने मकानों को तोड़ा गया है। रोलर में जंजीर बांधकर मकानों को तोड़ा गया है। इसकी सूचना उनको क्यों नहीं हुई?

राज्यपाल महोदय ने आबपाशी और खेती में सुधार की बात कही। लेकिन हालत यह है कि किसान तकावी और बीज के मामले में चक्कर काटता फिरता है। आज हमारे जिले में और प्रदेश में ला एंड आर्डर समाप्त सा हो गया है। आपने देखा कि हमारे कांग्रेसी विधायक को अभी रेल में समाप्त कर दिया गया। बुलंदशहर में बसों के लूटने की नई टैक्नीक सोची गई है। लेकिन सरकार की ओर से कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। पांच बसें पहले लूटी गयी थीं, छठी बस २४ तारीख को ग्रांड ट्रंक रोड पर लूटी गई। हमारे सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस खामोश बैठे हुये हैं। उनको तो रंग रेलियों से ही फुर्सत नहीं है। उनसे मिलने जाइये तो मालूम होगा कि क्लब में बैठे हुये हैं। बेहतर होता यदि माननीय राज्यपाल महोदय इन चीजों को देखकर शोक और दुख प्रगट करते। और उनसे यकीन लेते कि अगला शासन स्वच्छ शासन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकारी कर्मचारियों के वेतन-वृद्धि के संबंध में कहा गया है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन साथ साथ इस बात को छिपाया गया है कि किस सयम तक यह रैरिटी आनी है। दूसरे, जिला परिषद् और लोकल बाडीज के भी कर्मचारी हैं। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि उनको भी सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता दी जायगी।

(इस समय ३ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यापक वर्ग, जो राज्य के अन्दर शासक और मंत्री भी पैदा करता है, अफसोस है कि उसको सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के बराबर भी तनख्वाह नहीं मिलती। राज्यपाल महोदय को इन विकट समस्याओं की ओर भी जिक्र करना चाहिये था। उत्तर प्रदेश में सुधार करने की बात कही जाती है और योजनाओं के बड़े गुण गाये जाते हैं। बुलन्दशहर जिला एक अग्रगतिशील जिला है। लेकिन आज भी सरकार वहां एक साथ सौ गांवों का नाम नहीं गिना सकती जिनमें उसने हरिजनों के लिये स्वच्छ पानी पीने का प्रबन्ध कर दिया हो। यह सारी योजनाएं हवा में बहती रहती हैं, मार्च के महीने में पता नहीं किस तरह ऐडजस्ट किया जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को वजीफा दिया जाता है, लेकिन इम्तहान कल से शुरू होने वाले हैं आज तक वजीफा नहीं दिया गया। इस ओर जिक्र नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय ने इस राज्य में एक अल्पमत की सरकार बनायी है। सरकार बनाने से पहले उन्होंने जनमत की परवाह नहीं की। अगर वह अपने भाषण में अल्पमत सरकार बनाने के लिये अफसोस जाहिर करते तो मालूम होता कि हमारे राज्यपाल निष्पक्ष हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने बहुत निम्न कोटि का रूप अख्तियार किया है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल की तरफ से जो अमेंडमेंट दिये गये हैं उनको उनके भाषण में जरूर जोड़ने की कृपा की जाय।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये उपस्थित हूं। श्रीमन्, जो संशोधन विरोधी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत हुए हैं उनमें नेता विरोधी दल के और माननीय झारखंडे राय के संशोधन जो नीति के संबंध में हैं और बहुत सी जानकारी देते हैं, जो बहुत बातों में औचित्य भी रखते हैं, वे विचार के लिये हैं ही। इसके बाद जो और संशोधन हैं वह कुछ ऐसे हैं जिनका संबंध बहुत ही संकुचित विषयों से है और नीति विषयक नहीं है, उनका समाधान स्थानीय अधिकारियों या स्थानीय संस्थाओं द्वारा हो सकता है। जैसे एक संशोधन मेरठ के एक ट्रस्ट से असंतोष के संबंध में है।

प्रयागपुर के बी०डी०ओ० का ट्रांसफर तुरन्त किया जाये, प्रयागपुर से हजूरपुर तक तुरन्त सड़क बनाई जाये। इसी तरह से और भी बहुत से मतालबे की बात है कि जो नहीं मिला है वह तुरन्त दिलाया जाये। इस प्रकार से सैकड़ों ऐसे संशोधन हैं जिनकी परिधि बहुत संकुचित है, सरकार की नीति से जिनका कोई संबंध नहीं है और जो स्थानीय प्रश्न हैं उनका इसमें उल्लेख कर दिया गया है। यदि इन स्थानीय प्रश्नों और छोटी-छोटी बातों का राज्यपाल अपने अभिभाषण में समावेश करते तो गांव पंचायत से लेकर टाउन एरिया और म्युनिसिपल कमेटीज तक की तमाम स्कीमों को उसमें विस्तार देना पड़ता और वह उसमें देना उनके लिये संभव नहीं था। यदि वे ऐसा करते तब तो वह बहुत बड़ी पोथी और खाता बन जाता और फिर भी संशोधनों का समावेश नहीं हो पाता। इसलिये श्रीमन्, जब हम राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार करें तो यह समझें कि राज्यपाल का अभिभाषण एनसाइक्लोपीडिया नहीं है कि जिसमें सारी समस्याओं का जिक्र हो; वह तो केवल एक चीज है, जिसमें से बहुत सी बातें सरकार के करने के लिये, उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिये फलती फैलती हैं। यह केवल एक दिशा निर्देश है और एक संकेत मात्र है। वह एक विस्तृत व्याख्या नहीं है कि हर बात का उसमें समावेश रहे। वह तो केवल एक मार्गदर्शन मात्र है। इस बात का महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में संकेत किया है।

राज्यपाल महोदय के सारे अभिभाषण और विरोधीपक्ष की ओर से दिये गये भाषणों को सुनने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने आज हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है भुखमरी की, उसको उन्होंने 'अभूतपूर्व' की संज्ञा दी है। ऐसा अभूतपूर्व सूखा जो १९०४ में नहीं हुआ उसे उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। वह ऐसे शब्द हैं जो सूखा ग्रस्त इलाके के दुखित लोगों को संतोष और राहत देने वाले हैं, राज्यपाल ने उनकी असली समस्या और दुख दर्द को समझा है और इस समस्या को 'अभतपूर्व' कहा है। इसके साथ-साथ राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि जो इस संबंध में यह सरकार करने जा रही है। मंत्रिमंडल के गठन होने के तीन दिन के पश्चात् श्री राज्यपाल ने जो संकेत किया उसके बारे में देखना है कि उस पर हमारी सरकार ने क्या किया। नेता सदन ने क्या किया? मुख्य मंत्री ने क्या किया और हमारे आदमियों ने क्या किया? तो इस अर्थ में मैं अपने मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा सूखे का इलाका मिर्जापुर और इलाहाबाद का है, वहां वे गये हैं और वहां की ओर विशेष ध्यान उन्होंने दिया है। उन्होंने वहां के दुख दर्द को देखा है, वस्तुस्थिति को देखा है, रिलीफ कार्य को भी देखा है। सुदूर क्षेत्रों में जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते तरबगंज आदि के जहां पर भुखमरी है वहां के रिलीफ कार्य को, टेस्ट-वर्क को देखा और श्रीमन् इतना ही नहीं, हमारा जो सबसे अधिक भुखमरी का जिला है वहां पर टेस्ट-वर्क चलाने के बारे में फ्री-किचेन की व्यवस्था में वहां के अधिकारियों ने सरकारी और गैरसरकारी आदमियों का बड़ा सहयोग लिया और बड़े जागरूक ढंग से काम शुरू किया है और हमें आशा है कि जिस प्रकार से हमारी नयी सरकार ने सख्ती के साथ, सतर्कता के साथ सूखे से लड़ने लिये कदम उठाया है, उससे आशा बंधती है कि हमारे जिले में शीघ्र ही सूखे की स्थिति खत्म होगी और हमारी सरकार समस्या पर काबू पाने में सक्षम होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे राज्यपाल महोदय ने पंचवर्षीय योजना और कृषि के कार्य के बारे में जो वरीयता के आंकड़े दिये हैं उससे लगता है कि यह किसानों के प्रदेश का अभिभाषण है। इसमें उन्होंने कहा है कि ९२६ करोड़ रुपये में से २३३ करोड़ कृषिकार्यों पर खर्च करने जा रहे हैं। किसानों की उन्नति के जो कार्य है उनमें से सिंचाई पर ८० करोड़, विद्युत पर २८९ करोड़ रुपये खर्च होगा। इसी प्रकार किसानों की हालत सुधारने के लिये कृषि उत्पादन, सिंचाई के साधन, बीजों पर व्यय करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने १५ वर्षों में ६६ परसेंट सिंचाई में वृद्धि की है जो तीन सौ वर्षों में ब्रिटिश काल में हुई थी उसका ६६ परसेंट। इससे अन्दाज लगता है कि हमारी सरकार सिंचाई के साधनों की उन्नति करने के लिये कितनी जागरूक है। वह किसानों की हालत सुधारने के लिये कितनी कटिबद्ध है इसका अन्दाज सिंचाई की वृद्धि से ही लगता है।

हमारी सरकार ने आते ही आते एक खास बात का परिचय दिया। कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता ४ करोड़ ४६ लाख रुपये दी गयी और अधिभार में ५ करोड़ का घाटा हुआ। इस प्रकार ९ करोड़ ४६ लाख रुपये से राज्य सरकार वंचित केवल इसलिये हुई जिससे राज्य कर्मचारियों और मध्यमवर्ग को राहत देने के लिये कदम उठाये गये।

एक बात और जिसके लिये संशोधन में कहा गया और जिसके लिये इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने कहा और उसमें औचित्य भी है, वह है भूमिहीन मजदूरों के लिये। हम लोगों ने किसानों के बारे में काफी काम किया है किसानों के लिये पानी की व्यवस्था करने, उर्वरक बांटने, बीज की व्यवस्था करने, आदि के बहुत से भमिसुधार संबंधी काम हुये हैं और आने वाले दिनों में उनका मूल्यांकन होगा, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमिहीनों की दशा सुधारने के लिये जो कदम उठाये जाने चाहिये वह नहीं उठाये गये हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून में किसानों को बंजर जमीन देने के लिये प्राविधान है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, लेकिन कानून में लिखित प्राविधानों को कार्य रूप में नहीं लाया गया। भूमिहीनों की दशा सुधारने के लिये सीलिंग कानून के अनुसार जो कुछ किया गया उससे उसका जो मंशा था वह भी फारफीट हो गया, क्योंकि बड़े-बड़े भूमिपतियों ने अलग अलग नामों से जमीन को अपने लिये अलाट करवा लिया और भूमिहीनों को कोई फायदा नहीं हो सका। गांव समाज की जो जमीन देने की व्यवस्था है वह गलत है क्योंकि वह भूमिहीनों को जमीन दे नहीं पाते, उसके लिये कलेक्टर के हाथ में उसका अधिकार होना चाहिये जो भूमिहीनों को प्रायरिटी के हिसाब से जमीन दे। जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों, और पंचायतों के चुनाव के बारे में कहा गया, वह हो जावेंगे।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि एलेक्टोरल रोल्स में परिवर्तन होना चाहिये। मेरा विचार है कि वह हो ही जायगा। हर चुनाव के पहले सूचियां दोहराई जाती हैं और वह व्यवस्थित होती हैं, लेकिन एक सिद्धांत की बात यह जरूर है कि गांव सभा के अन्दर जो गांव पंचायतों के सदस्यों का निर्धारित क्षेत्र है उसमें रिजरवेशन है। उसमें हरिजन समुदाय के लोगों को आबादी के अनुसार रिजरवेशन होता है जैसे २५ गांव पंचायत के सदस्य होते हैं। अगर उनकी आबादी ५० प्रतिशत हो तो १२, १३ आदमी उन के चुने जायेंगे और जिन पुरवों में हरिजनों की आबादी ज्यादा होगी उन में से ही वे हरिजन सदस्य लिये जायेंगे और उन के मुकाबले में हरिजन सदस्य ही खड़े होंगे। इसी तरह से जो गांव सभा के प्रधानों का चुनाव होगा, आबादी के अनुसार ही उन की संख्या भी निर्धारित की जायगी। जहां हरिजन ज्यादा होंगे वहां का प्रधान हरिजन होगा और यही व्यवस्था क्षेत्र समिति में भी लागू होनी चाहिये। जिला परिषद के अध्यक्ष के बारे में भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिये। यह सिद्धांत जब आप ने विधान सभा और संसद के लिये मान लियाँ है तो उसे नीचे के स्तर पर भी उसी प्रकार माना जाना चाहिये और कांस्टीट्यूयेंसीज के बारे में भी यही बात अपनायी जानी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप का यह मंतव्य कि हरिजनों का उद्धार हो और

[श्री बेचनराम]

उनको साझेदारी मिले दूसरे सारे कामों में, पूरा नहीं हो सकता। इसके लिये आप क्षेत्र समिति अधिनियम को संशोधित करें और तभी इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो सकती है।

(श्री गया प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुलायम सिंह (जिला इटावा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस से पहले जो अधिष्ठाता महोदय बैठे थे उन्होंने पिछली बार मुझे मौका दिया था और उस के बाद...

श्री अध्यक्ष---

आप को तो यथा नाम तथा गुण होना चाहिये। चार दिन हैं इसके लिये। सभी को अवसर मिलेगा। इस बात के लिये आप को समय लेना उचित नहीं था।

श्री गया प्रसाद (जिला बहराइच)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव, जिसे माननीय कृष्णानन्द राय जी ने प्रस्तुत किया है, पर जो संशोधन विरोधी दल की ओर से आये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। यह बात छिपी नहीं है कि राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ने के बाद यही मालूम होता है कि सरकार की नीतियों का उन्होंने खुला समर्थन किया है चाहे वह गलत हों या सही, चाहे उनसे देश का हित होता हो अथवा अहित, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता उस पर अविश्वास करती हो अथवा विश्वास, परन्तु राज्यपाल उसी पुरानी लकीर पर चल कर सरकार की नीतियों का खुला समर्थन कर रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में कोई ठोस प्रोग्राम इस तरह का नहीं दिखायी देता जिससे इस प्रदेश की जनता को राहत मिले और उसकी आपत्तियां दूर हो सकें, इस प्रदेश की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई सुझाव भी उस में नहीं है। जितनी बातें उसमें कही गयी हैं वह सब पिटी पिटाई हैं। मैं निवेदन करूं कि उस दिन श्री बनारसीदास जी ने इसी सदन में कहा था कि बहराइच में जो सब लोग जीत गये हैं वह इंदिरा जी की फोटो दिखा कर जीत गये हैं।

मैं उनसे अगर निवेदन करूं कि सन् ५२ में ही दो एम०पी० और ५ एम०एल०ए० स्वतंत्र पार्टी के जीते थे, तब भी क्या यह पोस्टर चिपकाया गया था? मैं अगर उनसे निवेदन करूं कि सन् ५२ और सन् ६७ के अन्तर को देखें कि कितना अन्तर आज हुआ है, कितनी गिरावट कांग्रेस में आयी है, तो आप ऐसा न कहते। आप क्रमशः गिरते गये हैं, क्यों? इसका कारण है आपकी दुर्नीतियां और चालाकियां, आपको प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़, आपका पक्षपात, आपकी सांप्रदायिकता की नीति। इसी कारण से आपकी गिरावट होती चली गयी है। आप इस जौम में हैं कि मैंने सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनाने का एक बड़ा भारी कारण हमारे राज्यपाल महोदय रहे हैं। जब ७ तारीख को हमारे नेता विरोधी दल ने अपनी लिस्ट राज्यपाल महोदय को दी तो उन्होंने टाल-मटोल करके वह अवसर कांग्रेस पार्टी को प्रदान किया और वह अपनी सरकार बना सकी। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। आप सरकार बनाने में अवश्य सफल हुए, मगर षड़यंत्र के कारण। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने प्रदेश की कौन-सी समस्या हल की है, कौन-सी बुराइयां दूर की हैं? एक शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइये। आपने कहा था कि हम बहुत जल्द सभी के लिये कम्पलसरी तालीम लागू करेंगे, लेकिन १८-२० साल कांग्रेस को हुकूमत लिये हो गये बराबर अभी तक कम्पलसरी तालीम नहीं हुई। आपने यह जरूर किया कि मांटेसरी और सैनिक स्कूल, ज्यादा खर्चीले स्कूल अवश्य कायम किये, उसके लिये....

श्री अध्यक्ष---

जब आप 'आप' शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपका तात्पर्य सरकार से होगा, मुझ से तो नहीं?

श्री गया प्रसाद--

आप से नहीं, मेरा मतलब सरकार से है। तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने मांटेसरी और सैनिक ज्यादा खर्चीले स्कूल कायम किये, मगर कम्पलसरी तालीम करने का कष्ट नहीं किया और उसका नतीजा यह है कि आज प्रदेश में निरक्षरता भरी हुई है। यहां का वोटर वोट देना नहीं चाहता। जो सूचना विभाग खुला हुआ है २० साल से वह प्रदेश में वोट देने की बात को अच्छी तरह से नहीं समझा सका क्योंकि सूचना विभाग तो महज सरकार की नीतियों को दोहराने के लिए, दुर्नीतियों पर परदा डालने के लिए खुला हुआ है। आप शिक्षा में अध्यापकों का वेतन नहीं बढ़ायेंगे तो उनको संतोष नहीं होगा और जब तक उनकी दूसरी तरफ रगबत रहेगी तब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। सरकार जब अध्यापकों की पे बढ़ायेगी और उनको राहत पहुंचायेगी तभी वे शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे। उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहा जाता रहा है कि विरोधी पक्ष उनको भड़काये हुये हैं। अब राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जैसे ही नयी सरकार बनी वैसे ही सरकारी कर्मचारियों की समस्या हल हो गयी। तो क्या जब सुचेता की सरकार थी तब तो समस्या हल नहीं हुई और नयी सरकार बनी तो हल हो गयी, इसमें आखिर क्या राज है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके माने यह हैं कि नयी सरकार के लोग चाहते थे कि जब हमारी सरकार बने तभी समस्या हल हो। फिर समस्या के हल करने का कोई ठोस प्रोग्राम नहीं है कि क्या हल किया है और क्या करेंगे सरकारी कर्मचारियों के साथ। कितना उनका वेतन बढ़ायेंगे, क्या भत्ता देंगे, कुछ पता नहीं है? लोकल बाडीज के कर्मचारी भी उसी जिले में काम करते हैं और उसी जिले में सेंटर के और प्राविंश्यल कर्मचारी भी काम करते हैं परन्तु सबके वेतन भत्ते भिन्न हैं; समान स्तर का कार्य करने वाले लोगों को समान वेतन भत्ता दिया जाय इसकी ओर आपका कोई कदम नहीं है। इस तरह की दुर्नीतियां यहां राज्य कर्मचारियों के संबंध में हो रही हैं और यही कारण है कि इतना असंतोष फैला हुआ है और सरकारी कर्मचारी राज्य के काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जब तक यह भेद-भाव की नीति बनी रहेगी तब तक राज्य कर्मचारी और सभी विभागों के कर्मचारी दिलचस्पी से कार्य नहीं करेंगे, और अगर वह दिलचस्पी से कार्य नहीं करेंगे तो सरकार की स्थिति नहीं संभलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना करना चाहता हूं कि कृषि की उन्नति के लिये विकास खंडों के द्वारा जो रुपया बांटा जाता है उससे कोई लाभ नहीं हो पाता। ३१ मार्च करीब आने पर वह रुपया जबरदस्ती उनको दे दिया जाता है चाहे उनके द्वारा काम हुआ हो या नहीं। मेरा सुझाव है कि यह रुपया क्षेत्र समितियों द्वारा बनाये गये प्रोग्राम के अनुसार तथा उनके ही द्वारा वितरित किया जाना चाहिये। जब तक यह रुपया पंचायतों द्वारा वितरित नहीं होगा, और नीचे की जो इकाई है, यानी पंचायतों को, अधिकार नहीं दिये गये, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया, तब तक सरकार खाद्य समस्या को हल नहीं कर पायेगी, कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा।

खाद्य समस्या को हल करने के लिये तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये मेरे सुझाव हैं कि एक समिति बनायी जाय जिसमें खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, यह तीनों मंत्री हों, तथा विरोधी पक्ष के भी सदस्य हों, और वे मिल कर इस समस्या के हल के लिये कोई समाधान निकालें। परन्तु यह सरकार तो विदेशों के सामने नंगी भूखी खड़ी होना तथा विदेशों से अन्न मंगाना ही पसंद करती है। मैं पूछता हूं कि ५ वर्ष पहले तो सूखा नहीं पड़ा था? तब तक आप क्या करते रहे?

आप छिपे हुये गल्ले निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो बड़े बड़े जखीरेबाज हैं उन तक यह सरकार नहीं पहुंचती, जो छोटे छोटे दूकानदार हैं उन्हीं को पकड़ा जाता है। सरकार

[श्री गया प्रसाद]

जिस तरह से खाद्यान्न पर कंट्रोल करती है उससे खाद्य समस्या को हल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल करने से गल्ला चोर बाजार में चला जाता है। मुझे सरकार से निवेदन करना है कि वह कंट्रोल करने के बजाय जहां जहां सैठ साहूकारों की दूकानें हों, वहां उनके करीब सस्ते गल्ले की दूकानें खोलें और सस्ते मूल्य पर सामान बिकवाये। इससे भाव नहीं बढ़ने पायेंगे। यह सही है कि किसान गल्ला मंहगा बेंचना चाहता है, मगर किसान को उसकी जरूरत की सभी चीजें उचित मूल्य पर मिलने लगें तो वह कभी भी गल्ला मंहगा बेचना नहीं चाहेगा। किसानों को भी मंहगायी से तकलीफ होती है क्योंकि उसके पास इतना गल्ला नहीं होता कि वह साल भर बैठ कर खा सके।

ग्राम समाज की भूमि का जो बंटवारा होता है वह ग्राम समाज द्वारा न होकर तहसीलदार और पटवारी द्वारा होता है। खाद्य समस्या का यह भी एक कारण है। भूमि का समुचित बंटवारा हो, इसके लिये यह अधिकार ग्राम समाज को ही दिया जाना चाहिये। जब भूमि का बितरण ठीक होगा तो उससे उत्पादन में भी बद्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यबाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही यह भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि विरोधी पक्ष से जो आरोप लगाये गये हैं उनका भी उत्तर दूं। हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बात का खुलकर प्रचार किया कि कांग्रेस का स्तर सन् ५२ से अब तक गिरता जा रहा है। मेरे भाई महीलाल जी ने कहा कि असंतोष बढ़ रहा है और इसी तरह से चुनाव में कुछ गड़बड़ियों की बातें कही गईं। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस तरह से कृत्रिम महंगाई बढ़ाई गई है उसी तरह से यह बनावटी असंतोष भी जनता में फैलाया गया है। मैं भी अपने क्षेत्र हरदोई से तीसरी बार चुनकर आया हूं। मैंने अनुभव किया कि असंतोष जनता में नहीं था बल्कि जनता में विरोधी पार्टियों के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलाया है। यह बात भी कही गई कि सन् ५२ से अब तक कांग्रेस का स्तर गिरा है। मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार बार सिटिंग मेम्बर, जो जनसंघ पार्टी के थे मेरे जिले में चुनाव हारे हैं और चारों सीटें कांग्रेस ने ली हैं। इसका यह प्रमाण निकला कि जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि कांग्रेस के प्रति जनता में असंतोष नहीं है लेकिन जहां जहां विरोधी पार्टी के लोगों ने भड़काया वहां असर जरूर हुआ। हमारे एक नौजवान साथी ने बुलन्दशहर के बारे में बहुत बुरे शब्दों में आरोप लगाया कि इस तरह अधिकारियों ने किया है। मैं तो कहता हूं कि हर जगह इस तरह की बातें सामने आई हैं। कुछ कर्मचारियों पर ये आरोप लगाये जा सकते हैं। हमारे साथी मुन्नीलाल बैठे हैं जो कांग्रेस टिकिट से बिजयी हुये हैं। इनके समर्थक जो थे उनके खेत काटे गये, उनके दरवाजे उखाड़े गये और उनके घर उजाड़े गये। इसकी पुलिस को इत्तिला है। यहीं तक नहीं, अब तो वे विरोधी पार्टी वाले इनकी जान के पीछे भी पड़े हैं और ये अब किसी एम०एल० ए० की हिफाजत में रह रहे हैं। ये बातें हमारे सामने हैं, लेकिन इनको नजर अन्दाज किया जाता है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि तोड़ फोड़ किया गया है। इसके बारे में भी मैं प्रमाणित कर दूं कि हमारे लखनऊ के ही जनसंघ के एक प्रत्याशी का जब नामिनेशन पेपर खारिज हो गया तो उन्होंने कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य को जो उम्मीदवार के रूप में खड़े थे अपनी ओर मिला कर जनसंघी उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसी तरह से हमारे चुनाव क्षेत्र की बात है हरदोई जिले की। जनसंघ को जब लोक सभा के लिये अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल रहा था तो उन्होंने वहां के एक प्रभावशील कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य को तोड़ फोड़ की नीति के द्वारा अपना कर उनको सफेद टोपी को बदल कर पीली टोपी लगवा दी और अपना उम्मीदवार घोषित कर

दिया। सफेद टोपी को बदल कर पीली टोपी लगवा दी और अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो तोड़ फोड़ की जो एकतरफा बात की जाती है वह सही नहीं है। हमारे विरोधी दल के नेता सामने बैठे हैं, देखिये कि आपने क्या किया। कांग्रेस की ओर से जिनको मरजी के माफिक टिकट नहीं मिला ऐसे व्यक्ति जो दस बीस साल से कांग्रेस की सेवा करते थे उनको भड़काया कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया। समाचार पत्र भी जिन पार्टियों से प्रभावित हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो निर्दलीय चुनकर आये हैं वे विश्वासघात करेंगे। अगर उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है। यह बात नितांत असत्य है। हमारे जिले से जो निर्दलीय सदस्य चुन कर आये उन्होंने तो साफ कह दिया था कि हम महात्मा गांधी के नाम पर वोट मांगते हैं और अगर चुन लिये गये तो फिर कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। इसलिये यह कहना कि विरोधियों ने कांग्रेस को हराया है, बिलकुल गलत है। इस बीज का सबूत भी दिया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया शांत रहें। लोकतंत्र में कुछ कड़वी बातें कही जाती हैं और कुछ सुनने को मिलती हैं। जब आपका समय आये तब आप अपना रंग दिखायें।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि—

विरोधी पार्टी के लोगों ने मंत्रियों का नाम ले लेकर बहुत सी बातें कहीं, लेकिन हम लोग चुप बैठे रहे, अब हमारी बात सुनने की भी क्षमता रखिये। अगर हमने शीशा आपके सामने रख दिया तो आप नाराज क्यों होते हैं अपनी शक्ल को ही देखकर। आप सोचें कि आपका नक्शा कैसा है।

माननीय राज्यपाल जी ने बहुत सी बातें कही हैं। उनमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन वह भी अधिकारियों और विरोधी दल के लोगों के कारण ही हैं। उन्होंने कर्मचारियों को कहीं कहीं प्रभावित करके सिंचाई के निमित्त मिलने वाला पानी तक रुकवाया। अन्त में अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहाबाद पिहानी मार्ग जो १६ मील का है उसको शीघ्र बनवा दिया जाय। पिहानी क्षेत्र के उत्तर भाग में सिंचाई का साधन नहीं है, उसको भी किया जाय। और गांव सिरोमन नगर में सुखेता नाला पर पुल की बहुत आवश्यकता है। उसके बिना जनता को बड़ा कष्ट है। बाढ़ के समय तो वहां के लोगों का संपर्क ही कट जाता है अतः उसको भी शीघ्र बनवाया जाय।

(श्री मुलायम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जंग बहादुर (जिला बाराबंकी)—

मैं माननीय सदस्य से एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा कोई कायदा नहीं है। जब मंत्री महोदय बोल रहे हों तो जानकारी प्राप्त की जा सकती है और अगर वह जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं।

मुलायम सिंह जी, ४ बजे दूसरा कार्यक्रम होना है, लेकिन आप १० मिनट बोल लें। ४ बजकर ५ मिनट पर दूसरा कार्य आरंभ होगा। अगर समय बचेगा तो यह विषय फिर चलेगा।

*श्री मुलायम सिंह—

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वह तथ्यहीन है। इसके बाद भी जो संशोधन इधर से प्रस्तुत किये गये हैं उन पर भी पर्दा डाला जा रहा है। हमने कहा है कि सिंचाई की बड़ी भारी अव्यवस्था रही है, लेकिन सरकारी दल से कहा जा रहा है कि सिंचाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुलायम सिंह]

के साधन पर्याप्त थे और सरकार इस मामले में प्रयत्नशील रही है। जब साधन पूरे थे तो सूखा क्यों पड़ा ? जब सिंचाई होती रही तो फसल हरी भरी रहनी चाहिये थी और खाद्य समस्या गड़बड़ नहीं होनी चाहिये थी, फिर खाद्य समस्या क्यों है ? इस प्रकार की बात क्यों कही जाती है ? हमारा तो यह कहना है कि सरकार सिंचाई के साधनों को पूरी तरह से देने में बिलकुल असफल रही है। हां, इसमें वे सफल जरूर रहे कि जब चुनाव आया तो जहां नलकूप चाहिये थे वहां उसकी मंजूरी दे दी गई और कनेक्शन के लिये कह दिया गया कि हमारे पास नहीं है। कहीं नलकूप है तो कनेक्शन नहीं, अगर कनेक्शन है तो आपरेटर नहीं और अगर आपरेटर है तो उसको देने को किसान के पास रिश्वत नहीं, गरीब किसान कहां से दे तो नतीजा यह होता है कि वह सिंचाई से वंचित रह जाता है। इसी तरह से करहल रजबहे पर भी जब सिंचाई का समय आया तो लगातार ६ सप्ताह तक बम्बा बन्द रहा, टूटा रहा, उसकी शिकायतें की गई और उसके बाद भी जब पानी आया तब भी वह ३ मील से आगे नहीं बढ़ा। बड़ा प्रयत्न किया गया, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर से भी कहा गया, पब्लिक भी गई, लेकिन उन्होंने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। खजरारा माइनर में एक डेढ़ मील से आगे पानी नहीं बढ़ा और किसानों ने अपने साधनों से और तालाबों से पानी लगाया। पंपिंग सेट से पानी लिया और किसी तरह से फसल को तैयार किया। लेकिन एक दो पानी देने के बाद वह पानी भी चुक गया। एग्जिक्यूटिव इंजीनियर से बार बार कहा गया कि टेल पर व दो तीन दिन के लिये ही पानी पहुंचा दिया जाय तो एक हजार एकड़ जमीन की फसल बच सकती है। कहा गया कि अभी तक तो कुओं तालाबों और बोरिंग से पानी देकर फसल को बचाया गया है आप २–३ दिन के लिये पानी दे दें तो फसल अच्छी हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को कोई तसल्ली या उम्मीद नहीं दी गई। इस तरह से इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है वह बहुत अधिक है, अन्य विभागों में शायद कुछ सुनवाई हो जाती हो, लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं होती। कोई भी शिकायतें विभाग में कहीं की जायं, लेकिन यहां किसी भी शिकायत का कोई भी असर नहीं होता। यह मेरा निजी अनुभव है, इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी भी विभाग में नहीं है। जहां तक गरीब किसानों और खाद्यान्न का संबंध है दोनों की समस्या हल हो सकती है अगर इस भ्रष्टाचार को दूर कर दिया जाय।

दूसरे, राज्यपाल महोदय ने जो सम्बोधन में शिक्षा के विषय में कहा है कि शिक्षा की ओर हमारा प्रदेश बढ़ रहा है और शिक्षा का प्रदेश में काफी प्रसार हुआ है वह ठीक नहीं है। उनका यह अभिभाषण तथ्यहीन है। शिक्षा का प्रसार यहां बिलकुल नहीं हुआ है। वह भी इसी तरह से हुआ है जिस तरह से सिंचाई विभाग में कनेक्शन है तो आपरेटर नहीं। इसी तरह से नाम-मात्र को बहुत से विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन उन स्कूलों में टाट पट्टी, ब्लैक बोर्ड और बैठने का ठिकाना नहीं है और पढ़ाई के मामूली साधन भी नहीं हैं। एक ओर तो उन स्कूलों से जहां मिनिस्टरों, डी० एम०, एस० पी०, आई० जी० और अफसरों के लड़के पढ़ते हैं, वहां एक लड़के पर ३०० रुपया प्रति मास व्यय होता है और इन स्कूलों में एक लड़के पर ३ रुपया प्रतिमास। क्या आप इससे समानता लाना चाहते हैं ? जब नौकरी का कम्पीटिशन होता है तो वह प्रार्थी जो ३०० रुपये प्रति माह खर्च करता था उस ३ रुपये प्रति मास खर्च करने वाले से अधिक अच्छा साबित होता है। उस ३०० रुपये खर्च करने वाले प्रार्थी की पोशाक भी उससे अच्छी होगी और ३ रुपये पाने वाला प्रार्थी किसी भी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। फल यह होगा कि गरीब का लड़का उसके मुकाबले में नौकरी में नहीं लिया जा सकेगा। क्या आपने किसी गरीब किसान का या मजदूर का लड़का डी० एम० होते देखा है ? नहीं, जो होते हैं वे या तो आई० जी० के लड़के होते हैं या और बड़े बड़े अधिकारियों के लड़के होते हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आगे चल कर यह प्रजातंत्र समाप्त हो जायगा अगर इतना असंतोष व्याप्त रहा। जब इसके बारे में सरकार से कहा जायगा और उसकी ओर से कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर यह आन्दोलनों के द्वारा या जो भी परिवर्तन लाने के लिए और तरीके होंगे, वे अख्तियार करने पड़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह कह देना चाहता हूं कि इस असन्तोषजनक शिक्षा पद्धति को समाप्त किया जाय। इसके साथ साथ जो हमारा अध्यापक वर्ग है, उसको भी अच्छी तरह से तनख्वाह दी जाय। उन्होंने, जब उनकी तन्ख्वाह नहीं बढ़ाई तो उन्होंने आन्दोलन किए। सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिए गये। फिर उन्होंने आन्दोलन किए। उससे जो अशांति और अव्यवस्था हुयी उससे लाखों लड़कों का नुकसान हुआ। फिर आप कहते है कि अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में है। उन्हें तो पर्याप्त साधन चाहिए। जब बच्चे पढ़ने में व्यस्त होंगे उन्हें स्वयं अनुशासनहीनता करन का समय नहीं मिलेगा जब खाली दिमाग होगा तभी अनुशासनहीनता बढ़ेगी। यदि अध्यापकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक और सक्रिय रूप से न विचार किया गया तो फिर आन्दोलन होंगे और उस समय हमारा ही दल नहीं बल्कि संयुक्त विरोधी दल सारा का सारा उनके साथ होगा और सारे प्रदेश की जनता उनका साथ देगी और उस समय आप उस आन्दोलन को दबा नहीं सकेंगे। इसलिये आने वाले आन्दोलन को समाप्त करने के लिये आप अभी से अध्यापकों की मांगों को स्वीकार कर लीजिए।

इसके बाद मुझे विद्यालयों को जो ग्रान्ट दी जाती है, उनमें जो धांधलियां होती हैं, उनकी ओर मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मै भी एक विद्यालय का मैनेजर हूं, पर इस विद्यालय को कोई ग्रान्ट नहीं मिली बल्कि जो और आसपास के वैसे ही विद्यालय हैं और जिनके मैनेजर कांग्रेसी हैं और जो यहां के मंत्रियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं, उनको १० हजार, २० हजार और ३०-३० हजार रुपये तक की ग्रान्टस मिली हैं। अभी तक मुझे १ रुपये की ग्रान्ट भी नहीं मिली है क्योंकि मेरा किसी मंत्री से सम्पर्क नहीं था। इस प्रकार से हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। यदि इसको अब भी रोक दिया जाय तो जनता के हित में होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब मैं कार्य सूची के आइटम ८ को ले रहा हूं। मेरे पास जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं, उनमें एक माननीय अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश, श्री ब्रह्मानन्द और श्री चन्द्रशेखर जी के हस्ताक्षर से है, यह मिर्जापुर में भुखमरी से संबंधित है। आज ही कार्यक्रम में इसी के बारे में वक्तव्य होना है....

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी राकेश (जिला मिर्जापुर)--

अध्यक्ष महोदय, यह उससे अलग का मसला है। चूंकि अभी माननीय मुख्य मंत्री गये थे वहां पर, उन्होंने बहुत देखा सुना था और मैंने तमाम पत्रों के माध्यम से यह रिपोर्ट देखी कि एक आदमी भी भूख से नहीं मरा....

श्री अध्यक्ष--

वह सारी बात आप को करने का पूर्ण अधिकार होगा जब माननीय मंत्री का वक्तव्य होगा। कोई इतना वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट नहीं होता। मूल प्रश्न के बारे में जब जिक्र करेंगे तो आप पूछ सकेंगे।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी राकेश--

माननीय मुख्य मंत्री भी बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह वाद विवाद का प्रश्न नहीं है। मुख्य मंत्री अलग से बोलें यह कोई औचित्य भी नहीं है और न मैं उसके लिये बाध्य कर सकता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

एक दूसरा काम रोको प्रस्ताव माननीय झारखन्डे राय जी, माननीय नर्बदेश्वर लाल जी का है। वह कहते हैं कि आजमगढ़ जनपद में कुछ दंगा हुआ, कुछ व्यक्ति घायल हुए। तो जो होना था वह तो हो चुका है। अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे काम रोका जाय। कानूनी विचार हो सकता है इसलिये मैंने इसको अस्वीकार कर दिया।

एक अन्य कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय चन्द्रबली सिंह जी का आया है मंहगाई के विषय में। श्री राज्यपाल के भाषण के संबंध में वाद विवाद चल रहा है, इसमें तीन दिन अभी बाकी हैं, पूरी इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इस सिलसिले में जरा सुन लें। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा होगी वह बहुधंधी होगी और यह जो महंगाई का सवाल है सरकार के कदम से उत्पन्न हुआ है। छापा मारने के बाद भी सरकार मंहगाई को रोकने में असफल रही है इसलिय सरकार का सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात स्पष्ट हो गई। आप कृपया बैठें। मैं प्रार्थना करूंगा कि नियमों का और अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। बहुधंधी तो होता है विवाद, लेकिन उसमें किसी माननीय सदस्य को यह पूरा अधिकार है कि वह किसी एक बात पर सारा जोर लगा दे। तो चर्चा जब हो सकती है किसी और सामान्य वाद विवाद में उस विषय पर साधारण नियम है कि उस पर काम रोको प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं होता है। अगर आप चाहें तो मैं विस्तार से, मेरे यहां कक्ष में आयेंगे, देख सकूंगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था चाहता हूं। आप इस कुर्सी पर बैठ कर जो शब्द कहते हैं वह रूलिंग बन जाती है। आपने काम रोको प्रस्ताव के संबंध में कहा, कोई भी कामरोको प्रस्ताव तात्कालिक महत्व के विषय पर दिया जाता है, आप अगर इस मापदण्ड से तौलेंगे कि जो कुछ होना था हो चुका है, इस पर काम रोको नहीं हो सकता है तो यह रूलिंग बड़ी घातक होगी, आइन्दा कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—

जो मैं कहता हूं वह व्यवस्था तो हो ही जाती है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यदि मुझसे असन्तोष हो तो मुझे वे अवसर दें कि उनसे बातचीत कर सकूं और यदि मैं उनको संतुष्ट कर सकूं तो फिर ठीक है, वरना मैं पुनः विचार करूंगा।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैंने भी एक प्रस्ताव २२ लाख जनता की तरफ से दिया था।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो क्रम चल रहा है।

अब इसके बाद मेरे पास ५ कामरोको प्रस्ताव और आय हैं। माननीय ऊबल की ओर से, माननीय प्रताप सिंह की तरफ से, माननीय जंग बहादुर वर्मा की तरफ से और कई सदस्यों के दस्तखत हैं, पहले दस्तखत माननीय उग्रसेन जी के हैं, और एक और है माननीय बेचन राम की तरफ से। ये उपल वृष्टि से सूखे से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, इससे विशेषत संबंधित हैं।

श्रीऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जरा सुन लें। इसमें अनावृष्टि से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो सवाल है वह है २६ तारीख को जो बड़े पैमाने पर पानी बरस गया और बड़े पैमाने पर ओले की वर्षा हुई, इससे व्यापक क्षति हुई और आदमी तथा जानवर मर गये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल से मैं आशा करता था, वह तो पुराने सदस्य हैं ....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष—

हां, माननीय उग्रसेन जी ने ठीक कहा, मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका अन्यथा माननीय ऊदल जी आपत्ति नहीं करते ....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, जरा हमको सुन लें तब कुछ कहें। एक निश्चित विषय हमारे सामने है जिसमें इस बात का जिक्र है कि इतनी क्षति हुई। २६ तारीख को मार पड़ी है। घरों पर, पेड़ों पर और खलियान पर पड़ी। यह बहुत गंभीर मार है। आज २९ तारीख है। २६ और २९ तारीख के बीच में एक पैसे की मदद नहीं दी, यह बात निश्चित है।

श्री अध्यक्ष—

आज सुबह इस पर जिक्र हुआ था तब मैंने राजस्व मंत्री जी से यह चाहा था कि २१ तारीख तक की जो उन्होंने सूचना दी है उसके बाद की सूचना वह अविलम्ब दे दें। इस विषय पर कामरोको प्रस्ताव आया हुआ है। उन्होंने कहा कि वह मुझे अपराह्न में बतलायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों की यह मांग थी कि इस विषय पर चर्चा हो जाय, तो इस पर वह राजी हैं? अब साधारणतया जो कार्यक्रम है वह १ अप्रैल तक है। दो तारीख को रविवार है। डिप्टी स्पीकर के चुनाव के बारे में मैं कल घोषणा करूंगा, वह भी कदाचित् इसी सत्र में करना है। मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह ३ तारीख को ठीक समझते हैं कि इस पर बातचीत हो जाय जैसा कि उन्होंने सुबह कहा था?

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, मैं भी यही समझता हूं कि सदन का जब साधारण कार्यक्रम समाप्त हो जाय तो उसके बाद आप कोई समय दे दें जब हम ओले, सूखे इन दोनों बातों पर विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

बसवां आइटम जो है उसे भी इसके साथ हम जोड़ लें।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

१०वां आइटम इसमें नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि मुख्य मंत्री वहां गये हवाई जहाज से और नेशनल हेराल्ड में उनका यह बयान देखा कि एक भी आदमी नहीं मरा। मैं वे तमाम लिस्टे, नाम व पते सहित, प्रस्तुत करने को तैयार हूं। माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय सदस्य इस सदन के मेरे साथ चलें मिर्जापुर जनपद में हवाई जहाज से ४,३६९ वर्ग मील का एरिया उन्होंने सर्वेक्षण किया था और कह दिया कोई भूख से नहीं मरा। सड़कों से गुजर गये होंगे नीचे उतरे नहीं होंगे। टेस्ट वर्क्स का निरीक्षण कर लिया। यह कितने लोक महत्व का प्रश्न है जो भुखमरी से संबंधित है! झूठ और गलतबयानी का भी सवाल है। विशेषाधिकार का

[श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—]

प्रश्न तो मैं उठाना नहीं चाहता लेकिन यह सही है कि या तो मैं झूठा हूं या माननीय मुख्य मंत्री। उन्होंने डी० एम० से ही पूछा होगा जिससे उनको रिपोर्ट मिली कि एक भी आदमी भूखा नहीं मरा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय अश्विनी कुमार जी, आपने संकेत में बात कह दी। मैं आप की बात समझ गया। आप स्थान ग्रहण करें। आप देखें कि जब माननीय सदस्यों की इच्छा हो और जब इस तरह के गम्भीर विषय सदन में आयें तो नियमों को आवश्यकता पड़ने पर हम रिलेक्स भी कर सकते हैं। इस पर वाद विवाद हो और अच्छी तरह से हो। यह देखकर कि जो विषय आपने उठाया है उस पर आज भी कई कामरोको प्रस्ताव आये हुए हैं मैंने स्वयं यह चाहा कि इस पर विस्तृत रूप से विचार हो जाय। माननीय कुमार जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बड़े महत्व का है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार इसको अच्छी तरह से समझ ले कि जो सूचना इस सदन में दी जाय वह अच्छी तरह से जांच करके दी जाय और अगर वह गलत सिद्ध हो तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय। वास्तव में वह मंत्री महोदय स्वयं ही उसके उत्तरदायी होते हैं अगर वह गलत सूचना माननीय सदन के सामने आवे। मैं चाहूंगा कि माननीय कुमार जी, लिखित रूप में जो सारी बातें हैं, माननीय मंत्री जी के पास भेज दें। मैं समझता हूं कि उससे उनको भी सन्तोष होगा, माननीय कुमार जी। फिर माननीय राजस्व मंत्री जी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें अच्छी तरह से जांच करने के बाद और मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद कदाचित् हम ३ तारीख को इस बारे में बातचीत कर लेंगे।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

श्रीमन्, आपने कहा कि मैं तमाम बातें लिख कर माननीय राजस्व मंत्री के पास भेज दूं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं खेद के साथ बधाई भी देना चाहता हूं कि होली के मौके पर वे वहां गये और मुझे इस बात का दुख है कि मैं वहीं रहा लेकिन वहां रहने के बावजूद भी मुझे कोई सूचना नहीं मिली ....

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे ही लिख कर भेज दें।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

तमाम लोगों की मृत्युए हुई हैं, यह एक दिन का विषय नहीं है, मेरे पास इतनी मोटी फाइल है जिसमें तमाम मृत्यु के सिलसिले में लिस्ट दी गयी है, लोगों के चित्र भी दिये गये हैं, इसके अलावा तमाम हिन्दुस्तान के अखबारों में भी छपा है ....

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह चुका हूं कि इसके लिये एक दिन दिया जायगा, मैं समझता हूं कि इससे सभी को सन्तोष होगा।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि यही कम से कम स्वीकार कर लिया जाय कि माननीय मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया वह पूरी सूचना के आधार पर नहीं दिया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने माननीय अश्विनीकुमार जी के कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जो इस पर अभी विवाद करा रहे हैं। आप आइटम नं० १० ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, यह हमें बतला दें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि आप आइटम नं० १० को अलग डील करें और इस चीज को अलग डील करें। आज माननीय मंत्री जी के सामने यह नौबत आ गयी कि उनको सही सूचना नहीं मिली जिससे वे निश्चित उत्तर दे सकें कि इस व्यक्ति की भूख से मृत्यु हुई। तो अभी इसको आप पोस्पोन कर दें, आइटम नं० १० के बारे में निश्चित सूचना आना आवश्यक है। साथ ही यह बतला दें कि आइटम नं० ९ का क्या होगा।

श्री अध्यक्ष—

उसे मैं अभी लूंगा, निश्चित।

श्री उग्रसेन—

मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कितने दिनों तक बहस होगी, तीन दिन, चार दिन या पांच दिन, आइटम नं० ९ पर कितने दिन बहस होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आइटम नं० ९ अभी लिया जायगा। आइटम नं० ९ में हैं—नियम ५१ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनायें, यदि कोई हों।

श्री उग्रसेन—

ओले के ऊपर एक दिन बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री जो कुछ कहना चाहते हैं, पहले आप उनको सुन लें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं केवल इतनी सूचना देना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

आप यह भी बतला दें कि क्या आइटन नं० १० पर आपके पास इस समय पूरी सूचना है और आप उसे दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं इस समय केवल इतनी सूचना देना चाहता हूं कि माननीय अश्विनी कुमार जो ने जो प्रश्न सदन में उठाया है कि उनको कोई सूचना नहीं दी गयी, मैं स्वयं बिना जिला अधिकारियों को किसी तरह की सूचना दिये हुए ही तथा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को बिना सूचना दिये हुए ही वहां की सब बातें देखना चाहता था और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस समय मैं वहां से सारी बातें देखकर आया तो उसके बारे में गंभीरता पूर्वक हम सबों ने विचार किया और माननीय मुख्य मंत्री भी उन बातों को सुनकर ही वहां जानकारी प्राप्त करने के लिये गये थे और वहां जो कुछ भी कार्य उन्होंने किया, उसका भी इस सदन को कुछ आभास हम लोग दे सकेंगे।

इस संबंध में मैं इतना और निवेदन कर दूं कि इससे पूर्व कि हम पूरा बयान यहां दें मैं माननीय अश्विनी कुमार जी से ही नहीं बल्कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य से जो उन अंचलों से संबंधित हैं व्यक्तिगत रूप से बात करना पसन्द करूंगा और उनकी सभी बातों को सुन कर ही.....

श्री उग्रसेन—

हम तो से भुखमरी लड़ रहे हैं और माननीय मंत्रीजी सूखा से लड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, आपने कोई बयान भेजा भी तो है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जो सूखे से संबंधित भुखमरी है मैं उसी के संबंध में बात कर रहा था।

एक सदस्य---

जब माननीय मुख्य मंत्रीजी या माननीय राजस्व मंत्रीजी उस क्षेत्र में जाते हैं जहां के सदस्य ने शिकायत की है तो यह तो साधारण शिष्टाचार की बात है कि वहां के विधायक को भी साथ में ले लें।

श्री अध्यक्ष--

जितना वादविवाद इस सदन में होगा वह किसी नियम के अन्तर्गत होगा। यह जो कार्यक्रम का नम्बर १० है इसको एक साथ जो हम लोग ले रहे हैं उसमें मुझे ऐसा दीखता है कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ८ के बारे में तो मैंने आपको पढ़ कर भी सुना दिया। उसमें आपकी इच्छाओं का आदर करते हुये मैंने राजस्व मंत्री से यह चाहा कि वे इस पर वक्तव्य दें और कुछ विस्तार से बात हो जाय। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उस पर ३ तारीख को बातचीत हो जायगी।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

इसके लिये ३ तारीख जो आपने निश्चय किया है राजस्व मंत्री से इसका सीधा संबंध नहीं है, इसका सीधा संबंध मुख्य मंत्री से है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस तरह से हर बात पर वाद-विवाद की इजाजत नहीं दूंगा। प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री जी से सीधा संबंधित हो या राजस्व मंत्री जी से संबंधित हो, मंत्रिमंडल एक इकाई है, उनकी कलेक्टिव और इंडिविजुअल रेस्पांसिबिलिटी है। इसलिये कोई भी मंत्री दें, फर्क नहीं पड़ता है। आपकी बात सुन कर मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं बाध्य नहीं कर सकता कि मुख्य मंत्री ही वक्तव्य दें।

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा मुख्य मंत्री जी से.....

श्री अध्यक्ष--

गुजारिश तो उन्होंने सुन ली।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी राकेश'---

आपने कहा था कि उनको शायद पूरी सूचना न हो।

श्री अध्यक्ष--

आप दो चीजों को मिला रहे हैं। मैंने सुविधा के लिये ८ और १० को एक साथ लिया तो ८ के बारे में यह निश्चय हुआ कि ३ तारीख को उसके बारे में बातचीत होगी।

श्री ऊदल---

मान्यवर, आपने अभी यह कहा कि ३ तारीख को इसके बारे में बातचीत होगी। तो जो कामरोको प्रस्ताव आपके सामने कई माननीय सदस्यों ने, जिनकी तादाद दस है, दिया है उनको आपने किस रूप में स्वीकार किया है ? अगर आपने स्वीकार कर लिया है तो मेरा निवेदन आपसे यह होगा कि आप उनको पढ़ कर सुना दें तब समय निश्चित कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि पूरी बात वह भी सुनने में नहीं आयी। मैंने उन कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई माननीय सदस्यों ने एक ही विषय पर चर्चा की है, मैंने सरकार से पूछा और सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो आपके कामरोको प्रस्ताव का जो लक्ष्य था वह तो हो ही गया।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

चूंकि अखबारों में यह सूचना आयी है .....

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं उसको स्वीकार कर चुका और किसी व्यवस्था पर वाद-विवाद यहां शोभा नहीं देता है और न यह परम्परा है।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं अपनी बात कहने आया हूं। आप कहें तो मैं बाहर चला जाऊं। मुख्य मंत्री गलत-बयानी करते हैं ....

श्री अध्यक्ष—

आप आइटम ८ के बारे में कह रहे हैं या १० के ?

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं ८ के बारे में कह रहा हूं और इसलिये कह रहा हूं कि डेढ़ सौ आदमियों की सूचना मैं दे रहा हूं। जो चित्र प्रकाशित हुए हैं वह दे रहा हूं। तमाम विधायकों की बात कह रहा हूं। अभी तो मैं केवल १५० आदमियों के मरने की सूचना दे रहा हूं। लेकिन वहां पर १५० नहीं बल्कि ४,३०० वर्गमील जो भूमि है .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय अश्विनीकुमार जी, सदन की कुछ परम्परायें हैं, कुछ मर्यादा है।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

लेकिन मरने वालों को भी देखना होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप सारी बातों पर ध्यान दें, मैंने आपकी भावना का आदर करते हुये निश्चय किया, यद्यपि वह काम रोको प्रस्ताव की तरह से स्वीकृत नहीं हो सकता था, फिर भी आपकी भावना का आदर करते हुये सरकार से आग्रह किया। कामरोको प्रस्ताव तो केवल घंटे डेढ़ घंटे के लिये होता लेकिन मैंने ज्यादा समय दिला दिया, तो जो आपका लक्ष्य था उसकी पूर्ति हो गई।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

सवाल यह है कि वहां पर आदमी मरे या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो जब बहस होगी उस समय बात आयेगी। इस समय बहस नहीं हो रही है।

(व्यवधान) (श्री बेचनराम जी के खड़े हो कर कुछ कहने पर) माननीय बेचनराम जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, अनियमितता कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई अनियमितता कर रहे हैं तो दूसरी अनियमितता नहीं होनी चाहिये ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, ८ नम्बर का बड़े लोक महत्व का सवाल है । भूख से किसी की मौत नहीं हुई यह किस आधार पर उनकी सूचना है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने उसको अस्वीकार कर दिया और कारण भी बता दिया । मेरी बात यदि आप नहीं समझते तो नेता विरोधी दल से परामर्श करें ।

श्री उग्रसेन—

माननीय अश्विनीकुमार जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । हम कहते हैं कि १५० आदमी मरे और वे कहते हैं कि कोई नहीं मरा । मैं आप से कहता हूं कि आप इस पर वाद-विवाद कराइये और देखिये । यदि मुख्य मंत्री की बात सही हो तो हम लोग चले जायं और माननीय अश्विनीकुमार जी को जाना पड़ेगा और अगर उनकी बात सही हो तो माननीय नेता सदन इस्तीफा देकर चले जायं । इसलिये आप इस पर बहस कराइये । ३ तारीख को इस पर बहस कराइये और ४ तारीख को ओले वाले मामले पर बहस कराइये । एक बात कहूंगा कि जिनके राजा-रानी भूखों मर रहे हैं उनको गुस्सा होगा । यह सदन जनता के दुख दर्द का आइना है । अगर उसमें झलक नहीं आयेगी तो हम यहां किस लिये आये हैं । भूख से लोग रोज मरेंगे, मर रहे हैं और हम कहे देते हैं कि गुप्ता जी के राज्य में ५/१० हजार आदमी भूख से मरेंगे । यह गुस्से में हैं ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि अगर मैं झूंठा होऊंगा तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा और यदि वे हों तो वे कहें ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप कई बार कह चुके हैं ।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, २१ तारीख के बाद २३ तारीख को ओले पड़े और वहां सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लोग लगान वसूल कर रहे हैं और इस पर ३ तारीख को बहस होगी ।

श्री अध्यक्ष—

सुबह से कितनी बार यह बात हो चुकी है । अगर एक माननीय सदस्य इसी बात की पुनरावृत्ति करें तो ठीक नहीं होगा । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री जंगबहादुर—

लोगों में आतंक और मातम छाया हुआ है । मनुष्य और जानवर भूख से मर रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच दिन के लिये लगान, सिंचाई कर और टैक्सों की वसूली की बंदी रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं फिर एक बात आप से कहूं। यहां पर जो कुछ भी होता है वह नियमों के अनुसार होता है। राज्यपाल के भाषण पर विवाद चल रहा है, उसमें सरकार की नीतियों पर आप कटु से कटु आलोचना कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

माननीय वर्मा....

श्री अध्यक्ष—

मुझे कह तो लेने दीजिये।

श्री उग्रसेन—

मैं आपकी सहायता हेतु खड़ा हुआ हूं। माननीय वर्मा यह कह रहे हैं कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है कि वसूली स्थगित हो गयी है। माननीय वर्मा का कहना है कि आपके बयानों का सरकारी कर्मचारियों पर असर नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

आखिर इस आसन पर जिसे बिठाते हैं उसे अपनी बात तो कह लेने दीजिये। माननीय सदस्य ने जो बात कही उसके बारे में जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता था किया गया; वह छोटा सा कामरोको प्रस्ताव और व्यापक कर दिया गया और पूरा दिन करीब-करीब आपको मौका मिलेगा उस पर विवाद करने का। उस समय तक क्या होगा, आपने यह सारी बातें कह दीं, यह सरकार के ध्यान देने की बात होगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये हम आपके आभारी हैं कि आपने माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ कर एक दिन विवाद के लिये दिया। लेकिन तात्कालिक प्रश्न शंका का है। माननीय नेता और माननीय माल मंत्री यहां उपस्थित हैं। सुबह उन्होंने अपने बयान में कहा है कि लगान और आबपाशी की वसूली स्थगित कर दिया है। उस पर आशंका है कि अमल नहीं हो रहा है। नेता सदन आश्वासन दें तीन तारीख तक के लिये, इसके लिये आप हमारी मदद करें कि नेता सदन से वक्तव्य दिलवाएं कि तीन तारीख तक वसूली नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही, सरकार इस को ध्यान में रखे। जो नीति की घोषणा इस सदन में हो गयी उस पर जरूर कार्यान्वयन हो। अगर उस पर कार्यान्वयन न हो तो तीन तारीख को आप बतला सकेंगे। अब...

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अभी जो मांग की गयी उस पर नेता सदन कुछ कह दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं कह रहा हूं कि वह ध्यान दें तो आशा करनी चाहिये कि वह ध्यान देंगे। अगर नहीं देंगे, तो आपको कहने का मौका होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

माल मंत्री शायद इस संबंध में कुछ कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, जो आदेश जाएंगे हम देखेंगे कि उनका पालन होता है।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज जो नियम ५१ में ध्यान आकृष्ट करने की सूचनाएं आयी हैं उनमें उन्हीं घटनाओं का उल्लेख है जो मैंने बतायीं। उनको मैंने अस्वीकार किया है, जिनके कारणों का विस्तृत अंकन सूचनाओं पर कर दिया गया है। एक माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी की सूचना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय और मेडिकल कालेज के गैरअध्यापक कर्मचारियों की मांगों की सरकार द्वारा निरन्तर अवहेलना किये जाने से कर्मचारियों में भीषण असंतोष व्याप्त है। तो इसको मैंने मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा है, इसके अतिरिक्त और अस्वीकृत हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप इस पर एक बयान दिला दीजिये, वे विधान सभा के फाटक पर हजारों की संख्या में आए हैं।

श्री अध्यक्ष—

यदि माननीय मंत्री जी स्वयं बयान देना चाहें तो दे सकते हैं, किन्तु मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आप इस पर कह रहे हैं कि मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता, किन्तु अभी आपने इसके पूर्व वसूलयाबी के संबंध में सरकार को उसे रोकने के लिये बाध्य किया है।

श्री अध्यक्ष—

उस पर भी मैंने उन्हें बाध्य नहीं किया। माननीय राजस्व मंत्री जी स्वयं अपनी इच्छा से खड़े हुये। इस पर भी यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो कह दें।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं इसके लिये आज तैयार नहीं हूं।

जिला मिर्जापुर की तहसील दुद्धी में भीषण अकाल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब आईटम १०, जिला मिर्जापुर की तहसील दुद्धी में भीषण अकाल मे संबंध में श्री भुवनेश भूषण द्वारानियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

मैं चाहता हूं कि इस के संबंध में सदन में चर्चा हो। किन्तु मैं सदन की आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूं कि तीन तारीख को जब यह सम्पूर्ण प्रश्न सदन के सामने हो तब ही मुझे इस संबंध में भी कुछ कहने की सदन आज्ञा दे, तो मैं इसके लिये सदन का बड़ा अनुग्रहीत हूंगा। इसका कारण यह है कि जिस तरह की मैं सूचना और छानबीन चाहता था वह उस तरह की मुझे नहीं मिल पायी है। मैं जिस प्रकार से सूचना चाहता था वह उस प्रकार की नहीं मिल पायी है। इसलिये तीन तारीख को ही मैं इसके संबंध में भी पूरा वक्तव्य दे सकूं तो बड़ा अच्छा हो।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

एक मंत्री के वक्तव्य के बाद और माननीय सदस्य के द्वारा नाम और पता बता देने के बाद भी कि इतने इतने आदमी इन स्थानों पर भुखमरी से मर गये हैं और मंत्री जी के सरप्राइज विजिट के बाद भी क्या कारण है कि मंत्री जी अभी सूचना एकत्र नहीं कर सके हैं? क्या इसका यह कारण है कि मंत्री जी ने अपने पर्सनल विजिट में जो देखा है उसमें और अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना में काफी मतभेद है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन, जैसा मैंने निवेदन किया, सचना मेरे पास आयी है, लेकिन मैं कुछ सूचना और अवश्य चाहता था और मैं यहां पर इस संबंध में सम्पूर्ण सूचना देना चाहता था। इसीलिये मैंने सदन से आज्ञा प्राप्त करने की आपके द्वारा दरख्वास्त की।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मेरी राय है कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें और विलम्ब ठीक नहीं है, इसलिये जो भी सूचना मंत्री जी के पास है वह सदन में दे ही दें।

श्री अध्यक्ष--

वह सब सूचना तो मुझे दे ही दी है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

नहीं, वह आपको देने से काम नहीं चलेगा। यह सूचना तो पूरे सदन को दी जानी है। मंत्री जी इस सूचना को सदन में पढ़ेंगे और हम लोग स्पष्टीकरण और प्रश्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यों तो ठीक है और चाहिये भी यही कि नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचना हो वह तुरन्त बता दी जाए। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। देर होने से उसका महत्व ही नष्ट हो जाता है और उससे नुकसान पहुंचता है। किन्तु चूंकि यहां पर विशेष परिस्थिति है और मंत्री जी चाहते हैं, हांलाकि जो सूचना उनके पास है वह उन्होंने मुझे भेज दी है, और वह सदन से यह अनुज्ञा चाहते हैं कि विस्तत जानकारी प्राप्त करने का आप उन्हें अवसर दे दें और इस विषय को ३ तारीख के लिये रहने दें तो अच्छा हो। हमको सबको मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिये और यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हों तो उन्हें समय दे दें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य के उपरान्त उन पर प्रश्न होंगे और उस पर माननीय मंत्री जी को उनका एक कैटेगेरिकल आन्सर देने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि उसी के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी को कहना पड़ेगा कि लगान क्यों वसूल हो रहा है, इसलिए मंत्री जी इसका इस समय वक्तव्य देने से हीला-हवाला कर रहे हैं और उस सारे विवाद में इसे खींचले जाना चाहते हैं जिससे हर बात साफ न कहनी पड़े। इसलिये इस समय वक्तव्य आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, ऐसी दशा में जो आपके पास सूचना है वह आप दे दें, और जो सूचना प्राप्त हो उसे फिर दे दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शुकेश भूषण शर्मा, सदस्य विधान सभा, ने अपने नोटिस नियम ५१ के अन्तर्गत सूचित कियाहै किनिला मिर्जापुर की तहसील दुद्धी में अकाल पड़ा है और लगभग एक दर्जन व्यक्ति मर चुकेहैं, जिनकेनाम व पते की सूची उन्होंने मेरे कार्यालय में प्रस्तुत की थी ।

मिर्जापुर जिले में सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबला करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की सहायता दी जा चुकी है तथा दी जा रही है। सर्वप्रथम शासन ने प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली १५ नवम्बर, १९६६, तक बन्द की थी जो स्थिति में सुधार न होने के कारण इस समय भी बन्द है। लोगों को रोजगार देने के हेतु इस समय तक २३५ टेस्ट वर्क्स सदर, राबर्टसगंज तथा दुद्धी तहसीलों में चलाये गये। १५३ टेस्ट वर्क्स का कार्य समाप्त हो चुका है तथा ८२ टेस्ट वर्क्स इस समय चालू हैं। टेस्ट वर्क्स पर इस समय तक ४१,४५,००० रुपया व्यय हुआ है। २३ मार्च, १९६७, को ६५,००० मजदूर टेस्ट वर्क्स पर कार्य कर रहे थे। इस वित्तीय वर्ष में १४,८०,९१५ रुपया की आपत्तिकालीन तकावी का वितरण किया जा चुका है। जिले में निराश्रितों के लिये गेहूं, दुग्ध पाउडर तथा बिस्कुट भेजे गये हैं जिनका वितरण किया गया है। १५ मार्च, १९६७ तक २,५३२ क्विन्टल गेहूं का वितरण निस्सहाय लोगों को किया गया है। थाना, ब्लाक और तहसील में भी गल्ला रख दिया गया था ताकि यदि किसी के पास बिलकुल गल्ला न हो तो वहां से लेकर अपना काम चला सके। स्त्रियों तथा बच्चों के लिये एक योजना चलायी जा रही है जिसमें प्रत्येक प्राइमरी स्कूल सेन्टर पर दूध तथा दलिया इत्यादि का वितरण हो रहा है। २,७४,००० स्त्रियां और बच्चों का प्रबन्ध किया गया था लेकिन आने वालों की संख्या अभी इसकी लगभग ५५ प्रतिशत ही है। मार्च के महीने में ८,००० टन गल्ला मिर्जापुर को दिया गया है और पहले पखवारे में २,००० टन से ऊपर गल्ला सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरण किया गया था। इन परिस्थितियों में किसी की मृत्यु भुखमरी से होना सम्भव नहीं प्रतीत होता क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि सरकार ने जो प्रबन्ध किया है उसका लोग लाभ अवश्य उठा लेंगे और अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे।

तथाकथित भूख से मरने वालों के बारे में जिलाधिकारी मिर्जापुर से आख्या मांगी गयी। उन्होंने अधिकथित ११ भुखमरी से हुई मृत्यु के बारे में जांच कराई है। जांच से मालूम हुआ कि धनुधारी सुत परदेशी, त्रिलोकी सुत सदर, छोटा बच्चा सुत नकाल, झुरहीनन्द सुत नेवाज, रामविलास सुत जनथामन, नाहर सिंहपनिका, दुसिया पत्नी जंगी, जितना लड़की प्रसाद, सगन लड़का रामदास, लड़की मगमतिया, किसमतिया पत्नी रमन की मृत्यु बीमारी तथा नैसर्गिक कारणों से हुई और उनकी मृत्यु भुखमरी से नहीं हुई।

श्रीमती देवकलिया पत्नी सोमास का जो गांव का नाम नोटिस में दिया गया है वह गांव दुद्धी तहसील में नहीं है अतएव इनकी मृत्यु के बारे में जांच नहीं हो सकी है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इनकी मत्यु किस बीमारी से हुई और क्या नैसर्गिक कारणों से हुई ? अगर बीमारी से हुई तो कितनों की बीमारी से और कितनों की नैसर्गिक कारणों से ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने निवेदन किया था कि इसका अलग अलग विवरण मेरे पास नहीं है लेकिन इतना जरूर सही है कि जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके अनुसार यु मत्युयें नैसर्गिक कारणों से हुई।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी भूख से मौत की परिभाषा क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, मैं तो भूख से मौत की परिभाषा यह समझता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को खाने को न मिले और उससे उसकी मत्यु हो जाय तो वह भूख से मौत है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

सरकार ने जिन ११ व्यक्तियों की मत्यु नैसर्गिक कारणों से होना बताया है उनमें से किसी एक दो के संबंध में वह क्या जांच करायेगी कि वहां के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं । और वह स्वयं जाकर वहां पता लगायेंगे कि वास्तव में उनकी मत्यु भुखमरी से हुई है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

यदि सदन मुझे वहां जाने की आज्ञा दे तो बात दूसरी है, लेकिन मैं सदन को इतना आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि जो जांच इनके संबंध में मैंने करायी हैं वह कदाचित गलत नहीं है और अगर उसमें कोई गलती हो तो वह मुझे बतायी जाय ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय राजस्व मंत्री के पास जो सूचना है वह किसी अधिकारी से प्राप्त हुई है और यह जांच किस अधिकारी ने की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास जिला अधिकारी द्वारा आयी है और उन्होंने अपने अन्य अधिकारियों द्वारा यह जांच करायी होगी ।

आचार्य दीपङ्कर (जिला मेरठ)---

जब यहां भूख से मरने का सवाल है तो उसकी जांच किसी मेडिकल अफसर द्वारा क्यों नहीं करायी गयी , यह जांच जिला अधिकारियों द्वारा क्यों करायी गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

उनका पोस्टमार्टम तो संभव नहीं था क्योंकि वे मर चुके होंगे और उनकी हत्या के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं थी । उनके संबंध में तो मरने के बाद ही सूचना इकट्ठी की जा सकती थी ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---

क्या माननीय मंत्री जी इसे ध्यान में रखेंगे कि जिला अधिकारियों की लिस्ट में ऐसे दस आदमी हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसे १५० आदमी मरे हैं तो क्या किसी उच्च अधिकारी द्वारा इस बात की वे दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं समझता हूं कि इस संबंध में और कोई प्रश्न उठता नहीं । जब जिला अधिकारी ने जांच कर ली है तो उससे बड़ा अधिकारी और कौन होगा ?

श्री चन्द्र बली (जिला देवरिया)---

जो आदमी मरे हैं उनकी मत्यु के दिन दवा और पथ्य का प्रबन्ध क्या था ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

यह विवेक तो आपने मुझे दे रखा है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि सरकारी देयों की वसूली १५ नवम्बर, १९६६, तक बन्द थी और उसके बाद इस समय तक वह बन्द है, तो क्या सरकार ने १५ नवम्बर तक के लिये आदेश प्रसारित किये थे या उसके बाद भी आदेश प्रसारित किये ? और अगर किये तो किस तारीख तक के किये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

आदेश तो भेजे ही गये हैं, उनके अनुसार वसूलयाबी बन्द है और जहां तक डेफिनिट डेट की बात है कि उसके बाद भी गये या नहीं, तो उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

मने प्रश्न किया था कि भूख से मरने की परिभाषा क्या है तो कहा गया कि जिसको खाना नहीं मिलेगा । यह तो सभी जानते हैं कि १० दिन तक भी नहीं मिलेगा तब भी आदमी नहीं मरेगा और उसके बाद भी खाना न मिला तो बीमारी से ही मरेगा, कुछ न कुछ बीमारी ही कही जायगी । इसलिए मैं जानना चाहता था कि जो भूख से मरने की परिभाषा है कि ३ महीने तक १५६० ग्राम खाना भी रोज न मिले तो उसकी किसी भी कारण से मत्यु हो सकती है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये जो मत्यु हुई वह इसी प्रकार से हुई या वास्तव में बीमारी से हुई ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट देकर हाउस को मिसगाइड किया है, उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ? अगर भूख से मत्यु नहीं हुई होती तो इस वक्तव्य में यह न होता कि "भूख से मौत होना प्रतीत नहीं होता है" ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री, "प्रतीत नहीं होता है" इस पर प्रकाश डालें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

इस संबंध में कुछ गलतफहमी है । ये शब्द "प्रतीत नहीं होता है, पैराग्राफ २ में हैं कि इन परिस्थितियों में यानी जो ऐसे कार्य हैं उनका विवरण दिया है, किसी की मत्यु भुखमरी से होना संभव प्रतीत नहीं होता है । इसका मतलब यह है कि जो भूख से मरने वालों की सूची दी गयी थी भुवनेशभूषण जी के प्रश्न के संबंध में उनके संबंध में निश्चित आख्या है कि भूख से मत्यु नहीं हुई, इसको आप पैराग्राफ ३ में देखेंगे कि मत्यु नैसर्गिक कारणों से हुई, और उनकी मत्यु भुखमरी से नहीं हुई ---

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के समय कई माननीय सदस्य खड़े एक साथ हो जाते हैं, तो दिक्कत पड़ती है । इस बात का निर्णय मेरे ऊपर छोड़िये कि आपने एक प्रश्न किया उसका उत्तर आया तो वह उचित है या नहीं ।

श्री प्रताप सिंह---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी अभी स्वयं वहां का दौरा करके आये हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनको क्या जानकारी इस विषय में है, उनको वहां क्या देखने को मिला ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

मुझे भुखमरी के विषय में तो कुछ अधिक कहना नहीं है, मैं अपने दौरे के विषय में ही कह सकता हूं। मैं दिल्ली गया हुआ था, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जो आज प्रदेश को घेरे हुए हैं। भुखमरी की समस्या, ड्राउट की समस्या, गल्ले की कमी, इन सभी विषयों पर मैंने केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से बातें की थीं। वहां मिर्जापुर के विषय में भी कुछ चर्चा हुई थी। वहां के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये मुझसे कहा गया था। इसलिये मैं जल्दी ही उस क्षेत्र में गया क्योंकि वहां से जानकारी प्राप्त करके मुझे फिर दिल्ली उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करने के लिये जाना था। मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं अपने साथ मुख्य सचिव, एल० एस० जी० के चीफ इंजीनियर तथा रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी अपने साथ ले जाऊं क्योंकि वहां पानी की भी बहुत कठिनाई थी और वहां कुवों के खुदवाने का भी प्रश्न था, और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का भी प्रश्न था। मैं उन अधिकारियों को लेकर वहां गया। वहां मैं उन कार्यों को भी देखना चाहता था जो कार्य वहां इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिये किये जा रहे थे। जिलाधीश मुझे कुछ स्थानों पर लेकर गये जहां उस थोड़े से समय में मैं जा सकता था और मैंने वहां पर हो रहे कार्यों को देखा। जहां मैंने कमी पायी, वहां मैंने, अपने अनुभव के आधार पर राय भी दी, कुछ हिदायतें भी दीं और उन अधिकारियों ने भी, जो मेरे साथ थे, अपने सुझाव दिये कि किस प्रकार हम तात्कालिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। जहां तक भुखमरी का प्रश्न है, न तो मैं उस प्रश्न की जांच करने वहां गया था और न मैं उस जांच के अन्दर घुसा मेरा तो मुख्य तात्पर्य यह था कि जो समस्या चारो तरफ से हमें घेरे हुए थी, उसका समाधान किसी प्रकार किया जाय और उसमें उन अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त हो। जब मैं दौरा करके वापस लौट रहा था एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि आपको कुछ जानकारी भुखमरी के विषय में हुई। मैं गाड़ी पर बैठा था। तो जहां तक भुखमरी का प्रश्न है, न मैं उस प्रश्न को लेकर वहां गया और न मैंने वहां इसकी जानकारी की, क्योंकि मैं उन तमाम बातों को नजरन्दाज नहीं कर सकता था जिनके लिये मैं वहां गया था। आखिर एक मिनट के लिये यह मान भी लिया जाय कि वहां भुखमरी से मौतें हुई, तो आज हमें ऐसा प्रबन्ध करने की जरूरत है कि आइन्दा ऐसी मौतें न हों, न कि उस पर यहां बहस करें। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के नाते मेरा यह परम कर्त्तव्य है कि मैं अपना समय वहां की मूल समस्या के समाधान में लगाऊं और ऐसा प्रबन्ध करूं कि यह समस्या किसी तरह से हल हो, या जो समस्या आगे आने वाली है उसको किसी प्रकार रोका जाय और उस सब के लिये उचित प्रबन्ध किया जाय।

श्री मुल्कीराज (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, क्या सरकार के पास व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जो भखा मरने लगे तो उसकी कहीं रिपोर्ट लिखाई जायेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अभी वक्तव्य दिया कि मैं न तो भुखमरी की जांच करने गया और न ही मुझे उसके बारे में ज्ञान है, जैसा कि मैं उनके इस वक्तव्य से समझा हूं, लेकिन मैंने रेडियो और समाचार पत्रों में भी सुना और पढ़ा कि जैसे ही मिर्जापुर से मुख्य मंत्री लौटें तो उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि मिर्जापुर जिले में एक भी भुखमरी से मत्यु नहीं हुई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के उस दिन के वक्तव्य और आज के इस वक्तव्य में अन्तर क्यों है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैंने पहिले ही बतला दिया कि मेरी इस विषय में जानकारी नहीं है। मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया और न कहा कि मरे हैं और न ही यह कहा कि नहीं मरे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि आज इस समस्या को लेकर यहां हमको अपने समय को बरबाद नहीं करना है कि पहिले क्या हो गया है, पहिले कितने मरे हैं या कितने मर चुके हैं....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, इस समस्या से समय बरबाद नहीं होता है। इनका यह कहना कहां तक उचित है कि हम इस पर विवाद कर समय बरबाद कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

अब इस विषय का समय समाप्त हो गया।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२९ मार्च, १९६७।

विधान सभा सचिवालय